प्रौद्योगिकी प्रचालन प्राचलों पर प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प

(01/04/2012 से 31/03/2017)

वस्त्र मंत्रालय

0 4 OCT 2013

सं.6/19/2013-प्रोउनियो

नई दिल्ली, 2013

संकल्प

I. **उद्देश्य :-**

1. सरकार का यह संकल्प वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी ऐसे मानकों को निर्धारित करता है जो कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ) की क्रिया विधि को 12 वीं योजना अवधि (01/04/2012 से 31/03/2017 तक) के अंतर्गत कार्यान्वयन क्रियाविधि को इंगित करता है।

2. प्रौउनियो वर्ष 1999 में वस्त्र एवं जूट उद्योग के सभी उप क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के रुप में शुरु की गई। प्रारम्भ में यह योजना अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2004 के लिए मंजूर की गई और बाद में यह योजना वर्ष 2004 में एवं पुनः 2007 में संशोधनों के साथ बढ़ाई गई। और आगे पुनर्गठित रुप से दिनांक 28/04/2011 से 31/03/2012 तक जिसे बाद में 31/03/2013 तक विस्तार दिया गया। टफ के अंतर्गत निवेश ने इस योजना की पिछले 14 वर्ष की कालावधि में पर्याप्त गति प्राप्त की है।

3. इस योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र व्यावसायिक सलाहकार मेसर्स क्रिसिल ने बताया है कि प्रौउनियो के चलते उत्पादकता में बढ़ोत्तरी लागत एवं अपव्यय में कमी तथा समग्र रुप में गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी मेंसहायता हुई हैं। यद्यपि प्राप्त लाभ सम्पूर्ण उद्योग विस्तार के क्षेत्रों में हुआ है इसके साथ ही प्रोसेसिंग एवं विद्युत करघा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अध्ययन द्वारा सुझाव दिया गया है कि समग्र रुप से अधिकतम गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रौउनियों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है और इसके तहत अब तक के अपेक्षाकृत कम ध्यान दिये गये दोनों क्षेत्रों में निवेशों को बढ़ावा देने की जरुरत है।

4. तदनुसार संशोधित प्रौउनियो योजना को समाप्त कर दिया गया और इस योजना के तहत नई मंजूरी को दिनांक 26.09.2010 से बंद कर दिया गया जिसकी सूचना सभी ऋणदाता संस्थानों को दी गई। पुनर्गठित प्रौउनियो को दिनांक 28/04/2011 से 31/03/2012 तक समग्र सबसिडी कैप रुपये 1972 करोड़ रुपये संकल्प के दिन के 31/03/2012 तक रही।

5. (क) वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बिखराव को रोककर उसे आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना।

   (ख) एम एस ई क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटे निवेश को बढावा देकर।

   (ग) बुनाई क्षेत्र में हायर पर्चेजींग की शुरुवात की गई है।

प्रौउनियो को 12 वीं योजना में चालू रखकर तथा प्रौद्योगिक उन्नयन द्वारा वस्त्र उत्पादन क्षेत्र की संपूर्ण कडी में बढावा देकर वस्त्र क्षेत्र को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एवं संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र के वैल्यू चेन में संतुलन स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

6. इस बात का ध्यान रखते हुए की पुनर्गठित प्रौउनियो के रुप में 12 वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 31/03/2013 तक विस्तार किया गया उपरोक्त दिए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इस योजना को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को वस्त्र एवं जूट उद्योग के लिए संशोधित पुनर्गठित योजना को 01/04/2013 से 31/03/2017 तक चालू रखने की घोषणा करती है। तदनुसार यह योजना संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (सं पु प्रौउनियो) कहलायेगी। सं पु प्रौउनियो के लिए ऋण मंजूरी हेतु वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी मानक निम्नलिखित होंगे :-

(i) कताई क्षेत्र के स्टैण्ड अलोन योजना हेतु अनुदान की सीमा योजना आबंटन के 26 प्रतिशत तक (अर्थात रुपये 11952.80 करोड़) रखी गई है इसमें कताई क्षेत्र की समग्र देयतायें (कमिटेड लाइबिलटी) तत्कालीन / संशोधित प्रौउनियो पु प्रौउनियो एवं 12 वीं योजना अवधि की नवीन मंजूरियाँ समिमलित हैं।

(ii) विद्युत करघा क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन क लिए मार्ग दर्शा योजना हायर पर्चेस योजना के रुप में सम्पूर्ण लागत (व्यय) रुपये 300 करोड लागू किया जायेगा।

(iii) नयी मंजूरियों की स्वीकृतियों के लागत का 10 प्रतिशत माईक्रो, स्माल एवं मीडियम इण्टर प्राइजेस (एम एस एम ई) के लिए सुरक्षित होगा।

(iv) कताई क्षेत्र के स्टैण्ड अलोन के लिए नई मंजूरियों के अलग कताई इकाईयों हेतु मात्रात्मक बीमा रुपये 250 करोड़ होगी।

(v) 12 वीं योजना के अंतर्गत प्रौउनियों के तहत अनुदान का लाभ निम्नवत होगा :-

(क) कताई की स्टैण्ड अलोन इकाई - 2 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति (ब्याप्र) नयी स्टैण्ड अलोन/ रिप्लेसमेण्ट / कताई मशिनरी के उन्नयन हेतु दी जायेगी।

(ख) ऐसी इकाईयाँ जिनकी कताई की क्षमता फासर्ड इम्टीग्रेशन सहित बुनाई /नीटिंग /प्रोसेसिंग /गार्मेटींग में है- 5 प्रशित ब्याज प्रतिपूर्ति।

(ग) बुनाई - (i) नये शटललेस करघों हेतु 6 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति और 15 प्रतिशत आर्थिक अनिुदन अथवा विद्युत करघा क्षेत्र के लिए नये शटललेस करघों हेतु 30 प्रतिशत मार्जिन मनी सबसिडी (एम एम एस)।

(ii) पुरानी आयतित शटल लेस करघे जो 10 वर्ष पुरानी मशीन और जो और 10 वर्षो तक कान कर सकती है के संबंध में 2 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति अथवा 8 प्रतिशत एम एम एस मिलेगा।

(iii) 30 एम एम एस के लिए स:- एम एस एम ई क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैंपिटल सेलिंग कैप रुपये 5 करोड़ एवं अनुदान कैप रुपये 1.5 करोड़ का पालन किया जायेगा।

(घ) प्रोसेसिंग विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति एवं 10 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी होगी। वी ई टी पी / ई टी पी को प्रौउनियो के तहत मदत के लिए नहीं विचार किया जायेगा।

(ङ) गार्मेण्टींग :- गार्मेण्टींग इकाईयों की विनिर्दिष्ट मशीनरी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूति एवं 10 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी मिलेगी।

(च) टेक्नीकल टेक्सटाइल्स (गैर -वोवेन सहित)- टेक्नीकल टेक्सटाइल्स बनाने के लिए जरुरी विनिर्दिष्ट मशीनरी को 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूति एवं 10 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी मिलेगी।

(छ) हैण्डलूम एवं सिल्क क्षेत्र :- बेंचमार्कड मशीनरी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूति अथवा 30 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी मिलेगी।

(ज) एम एस एम ई एस जूट क्षेत्र सहित :- 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूति अथवा 15 प्रतिशत एम एम एस - अनुदान की सीमा रुपये 75 लाख होगी।

(झ) अन्य खण्ड :- अर्थात

(i) काँटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
(ii) कूल स्काउवरिंग, कांबिग एवं कार्पेट इण्डस्ट्री
(iii) सिन्थेटिक फिलामेंण्ट यार्न टेक्सराजिंग क्रीम्पींग एवं टवीस्टींग
(iv) विस्कोज स्टेपल फायबर एवं विस्कोस फिलामेंण्ट यार्न
(v) प्रीटींग एवं फैब्रिक इम्ब्राइड्री
(vi) वीविंग प्रीपरेट्री मशीन
(vii) मेड अप मैन्यूफैक्चरींग
(viii) सी ए डी, सी ए एम एवं डिजाइन स्टूडियों एवं
(ix) जूट, इण्डस्ट्री - 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति।

(ञ) योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लाभ हेतु भवन निर्माण, कार्य प्रचालन पूर्व खर्च तथा पूंजी निवेश के लिए मार्जिन मनी जैसे निवेश केवल हैण्डलूम एवं एपरेल क्षेत्र में सं पु प्रौउनियो के तहत कुल नये पात्र निवेश 50 प्रतिशत कैंप के लिए पात्र होंगे। जमीन को सं पु प्रौउनियो के तहत पात्र निवेश से परे रख गया है। यद्यपि यह लाभ एकीकृत (एस आई टी पी) के लिए योजना के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के लिए उपलब्ध हीं होगा।

(ट) ब्याज प्रतिपूर्ति की अवधि :- ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष के लिए की जायेगी इसमें 2 वर्ष को मोरेटोरियम / कार्यान्वयन अवधि शामिल है।

(ठ) पुनगर्ठित / पुनःअनुसूचित मामलो की पात्रता :- पुनगर्ठित मामले में अनुदान, अनुदान की मंजूर की गई मात्रा तक सीमित होगी। ऐसा प्रारम्भ में लोन रिमेम्प्ट शेडयुल में दिए अनुसार होगी।

(vi) **योजना की अवधि** :- योजना प्रौउनियो (मौजूदा) को 12 वीं योजना के प्रथम वर्ष तक बढ़ा दी गई है अर्थात 31.03.2013 तक प्रस्तावित सं पु प्रौउनियो के मानक 01.04.2013 से लागू होंगे।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान मंजूर किए गए आवधिक ऋणों (लोन) की अनुदान क लिए पात्रता पु प्रौउनियो के मानकों के अनुसार होगा। यद्यपि सबिसडी कैप प्रस्तावितमानकों के अनुसार 01.04.2013 को तथा उसके बाद दी गई सबिसडियों पर लागू होगा। ऐसे मामले जिनमें आवाधिक ऋणों के मंजूरी की तिथि 01.04.2012 के या उसके बाद की है और जो ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हैं जहाँ ग्राहय अनुदान की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है और जो पहले से ही 31.03.2013 तक बढ़ाई गई योजना में सेक्टोरल कैप की अनुउपलब्धता के चलते यू आई डी जारी किये जाने के लिए शेष हैं के लिए चालू प्रौउनियो के तहत यूआईडी जारी किये जाने हेतु विचार किया जायेगा। यद्यपि कि स्पीनिंग, विविंग क्षेत्र इत्यादि के मामलों में जहाँ सबिसउी के पैटर्न में परिवर्तन है वहाँ उन्हें नये मानकेंाएवं शर्तो के अनुसासयर चालू प्रौउनियो के अंतर्गत् पुनः आवेदन करना होगा।

(vii) अंतर मंत्रालयीन स्टेरींग समिति (आई एम एस सी) का पुनर्गठन :- आई एम एस सी का पुनर्गठन वस्त्र मंत्री जी अध्यक्षता में किया गया है इसमें योजना आयोग के प्रतिनिधियों वित्त मंत्रालय, नोडल एजेन्सियों / बैंको, वस्त्र उद्योग संघों आदि इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु दिशा :- निर्देशों को बनाने एवं उनकी निगरानी की जिम्मेदारी आई एम एस सी की होगी और वे ऐसा सी सी टी ए मंजूरी से करेंगे। आई एम एस सी को आबंटित निधि के कम उपयोग वाले मामले में री -एप्रेपिपेट द सिक्टोरल/ सिग्मेन्त्तल कैपों को संशोधित करने का अधिकार होगा।

(viii) प्लान आउटले का 1 .0 प्रतिशत योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु रखा जायेगा।

(ix) इस योजना के दो स्तरों पर जाँच संबंधी क्रियाविधि को विस्तार पूर्वक पैरा IV में दिया गया है।

7. पुनर्गठित योजना का विस्तार का विवरण पात्रता का आधार एवं प्रचालन संबंधी मानक निम्नवत होंगे

II योजना का विस्तार

पुनर्गठित प्रौउनियो में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

(क) कॉटन जीनिंग एवं प्रोसिंग
(ख) टेक्सटाईल इंडस्ट्री जिसमे निम्न होंगे :-
i). सिल्क रीलिंग एवं ट्विस्टींग
ii). वूल स्काउटिंग कोम्बिंग एवं कार्पेट इडस्ट्री
iii). सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सटाइजिंग, क्रीमपींग एवं ट्विस्टींग
iv). स्पीनिंग
v). विस्कोज स्टेपल फायबर (वी एस एफ एवं विस्कोज फिलामेण्ट यार्न (वी एफ वाई)
vi). बुनाई नीटिंग एवं फैब्रिक इम्ब्राइड्री
vii). टेक्नीकल टेक्सटाइल गैर वूवन सहित
viii). गारमेंट /डिजाइन स्टुडियो /मेड अप मैन्युफैक्चरिंग

ix). फेब्रिक, यार्न , फेब्रिक फायबर से बने हुए वस्त्र

III. सहायता के लिए पात्रता मापदंड़

1. **प्रौद्यागिकी उन्नयन की परिभाषा**

प्रौद्यागिकी उन्नयन का सामान्यतः अर्थ आधुनिकतम या आधुनिकतम के आस-पास की प्रौद्योगिकी का समावेश होना चाहिए । परन्तु भारतीय वस्त्र उद्योग के व्यापक रूप से परिवर्तनशील बहुआयामी प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर से परिवर्तनशील कम से कम एक सार्थक कदम ऐसे आएगा उद्योग को सार्थक मात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा। तद्रुसार प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये निदिर्ष्ट मशिनरी के लिए प्रौद्योगिकी कुछ स्तर सुनिश्चित किए गए हैं। उक्त विनिर्दिष्ट स्तर से निचले स्तर की मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निधि देने के लिए पात्र नहीं होगी।

2. पात्र <u>मशिनरी (ऐलिजिबल मशिनरी) :</u>

पुनगर्ठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की मशिनरी नई इकाई में स्थापित करना या वर्तमान इकाई में पुरानी मशिनरी को बदलने या उसका विस्तारण पात्र होगा।

2.1	कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग	परिशिष्ट -एमसी -1
2.2	स्पिनिंग/सिल्क रिलिंग एण्ड ट्वीसटींग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सराइझिंग क्रिम्पींग एण्ड ट्विसटिंग	परिशिष्ट – एमसी -2
2.3	वूल स्कारिंग काम्बिंग तथा कारपेट उद्योग	परिशिष्ट- एमसी -3
2.4	मैन्युफॅक्चरिंग ऑफ विस्कोस फिलामेन्ट यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर	परिशिष्ट - एमसी -4
2.5	विविंग/निटिंग	परिशिष्ट – एमसी -5
2.6	तकनीकी वस्त्र एवं गैर ऊनी वस्त्र	परिशिष्ट – एमसी -6
2.7	गारमेन्ट/मेड-अप मॅन्युफॅक्चरिंग	परिशिष्ट - एमसी -7
2.8	फायबर/यार्न/फॅब्रिक्स/गारमेन्ट/ मेड-अप का प्रोसेसिंग	परिशिष्ट - एमसी -8
2.9	पटसन उद्योग	परिशिष्ट - एमसी -9
2.10	विभिन्न क्षेत्रों के लिये एनर्जी सेविंग एवं प्रोसेस कन्ट्रोल उपकरण	परिशिष्ट - एमसी -10
2.11	बुनाई/विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत/ 8 प्रतिशत मार्जिन मनी सबसिडी (एमएमएस-प्रौ.उ.नि.यो.)टफ के अन्तर्गत पात्र मशिनरी	परिशिष्ट - एमसी -11
2.12	प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10% पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी	परिशिष्ट - एमसी -12
2.13	तकनीकी वस्त्रों जिसमें गैर ऊनी भी शामिल है के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी	परिशिष्ट- एमसी -13
2.14	गारमेंट क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी	परिशिष्ट- एमसी -14
2.15	बुनाई /विद्युत करघा क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी के अंतर्गत नये शटललेस करघे पात्र	परिशिष्ट- एमसी -15
2.16	सीएडी, सीएएम तथा डिजाइन स्टुडियो के लिए पात्र मशीनरी	परिशिष्ट- एमसी -16

टिप्पणी :- ऋणद अभिकरणों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपरोक्त सभी मशीनरी पर बनावट के प्रकार एवं विनिर्माण का वर्ष मशीन पर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। मशीन को नेमप्लेट लगाई गई है।

(3) <u>साधारण पात्रता शर्ते</u>

3.1 <u>इकाई के प्रकार</u>

1. विद्यमान इकाई विस्तारण सहित या बिना विस्तारण और नई इकाइयाँ।
2. नई इकाइयाँ सम्पूर्ण सुविधाओं की स्थापना केवल उपयुक्त पात्र प्रौद्योगिकी के माध्यमसे ही कर सकते हैं।
3. एक इकाई **।-योजना का विस्तार** में सूचीबद्ध एक या अनेक गतिविधियों में संलग्न हो सकती है।
4 शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) विदेशी इक्वीटी वाली वस्त्र/पटसन की इकाई।

3.2 **पात्र टेक्सटाईल मशिनरी के प्रकार** :-

(1) प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत सामान्यतया नई मशिनरी को मान्यता दी जायेगी।

(2) यद्यपि निम्नलिखित आयातित पुरानी मशिनरी भी पुनगर्ठित प्रौ.उ.नि.योजना के अन्तर्गत पात्र है:-

एअर जेट, प्रोजेक्टाइल, रैपियर एवं वाटर जेट शटललेस करघे जिनमें इलेक्ट्रानिक जैकार्ड/इलेक्ट्रानिक डॉबी लगे हों, अथवा नहीं तथा उच्च गति सहित/रहित डायरेक्ट बीम वार्पर क्रील सहित एवं/अथवा सेक्शनल वार्पिंग मशीन ऑटो स्टॉप सहित तथा 10 वर्षों तक टेंशन कन्ट्रोल तथा विन्टेज एवं अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष तक हो। जिसके अधिकतम मूल्य का निर्णय टीएएमसी द्वारा किया जाएगा।

(3) निर्यात करने वाले राष्ट्र के चार्टर्ड अभियंता से आयातित सेकण्ड हैंड मशीनों की विंटेज अवधि तथा अवशिष्ट अवधि प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र उचित समय पर ऋणदाता अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे कि लेंडिंग अभिकरण द्वारा नियत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र सेकंड हैंड मशीनों के किसी भी आयात के लिये ऐसा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, चाहे ऐसे आयात का मूल्य कुछ भी हो।

(4) संतुलन उपकरण अथवा उत्पादन प्रक्रिया की रूकावट कम करने के लिये आवश्यक उपकरण भी संशोधित प्रोउनि योजना के अंतर्गत निधि के लिये पात्र होंगे।

(5) छीजन कम करने के उपकरण या यंत्र भी संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निधि के लिए पात्र होंगे।

(6) मौजूदा इकाई या नई इकाई का प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नत सुविधाओं का आकार अनिवार्य रूप से न्यूनतम लाभकर आकार (एमईएस) होना चाहिए। उद्योग के पात्र खंडों के लिये एमईएस कोई भी ऐसी इकाई होगी, जो वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों के वाएबिलिटी समीक्षा के अनुसार आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो। स्टैन्ड अलोन नई कताई के लिए एमईएस 8000 तकुए होगा1

(7) मशीनरी के साथ प्राप्त मशीनरी लागत के 20% के मूल्य तक के उपकरण/संलग्नक/पूर्जे अथवा वास्तिविक कीमत की मात्रा में से जो भी कम होगा वह पात्र होगा।

(8) तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में निवेश, जिसमें प्रशिक्षण एवं विदेशी तकनीशियनों को पारिश्रमिक का भुगतान समाविष्ट है।

(9) एक खंड के लिए पात्र मशीनरी दूसरे खण्ड/कार्याकलाप के लिये पात्र है, जब तक इसकी पात्रता किसी विशेष खण्ड के लिये विशेष रूप से प्रतिबंधित न की गई हो।

(10) किसी अन्य वस्त्र मशीनरी की पात्रता जो बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी के समान अथवा अधिक हो जो अनुलग्नकों में दर्शाई नहीं गई है या टफ योजना के प्रचालन के दौरान विकसित की गई हो, अपने आप से या संदर्भ पर विशेषतः सरकार द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा तय की जाएगी।

3.3 **अन्य पात्र निवेश** :

i) एपेरल क्षेत्र तथा हथकरघा क्षैत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये स्थापित किये जाने वाले अतिआवश्यक संयंत्र तथा उपकरण के लिये निम्नलिखित निवेश भी पात्र होंगे तथा ऐसे निवेशों का कुल योग सामान्यतः ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश के 50% से अधिक नहीं होगा । (संशोधित पुनर्गठित प्रउनियो के अंतर्गत पात्र निवेश से भूमि से हटा दिया गया है।)

क) फैक्टरी बिल्डिंग, जिसमें फैक्टरी बिल्डिंग का नवीकरण भी शामिल है।

ख) प्रारंभिक तथा प्रचालन से पूर्व के खर्च ।

ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये आवश्यक पूँजी निवेश के
लिये आवश्यक मार्जिन मनी ;

(ii) यदि ऐपेरेल/हथकरघा इकाई अन्य कार्य से जुडी हुई है, इस मद के अंतर्गत पात्र निवेश केवल ऐपेरल/ हथकरघों के विनिर्माण के लिए पात्र संयत्रों तथा मशीनरी से संबंधित होगा।

2. इस पैरा (पैरा 3.3)के सब पैरा (1) में समाविष्ट मदों पर उपरोक्त सीमाओं से अधिक ऋण पर साधारण दर से ब्याज देय होगा ।

3.4 **कट-ऑफ तिथि** 01/04/2012 तक की अवधि में ऋणद अभिकरणों द्वारा मंजूर केवल ऐसे ऋण पर इस योजना के अंतर्गत लाभों की मंजूरी हेतु विचार करने हेतु पात्र है।

3.5 **ऋण की मंजूरी से पूर्व निवेश का समावेश।**

इकाई द्वारा मशीन के मूल्य का अग्रिम मार्जिन मनी तक टोकन पेमेंट का भुगतान आवधिक ऋण की मंजूरी की तिथि से पूर्व किया जा सकता है । यद्यपि आवधिक ऋण की मंजूरी के दिन तथा उसके बाद खरीदी गई मशीनों स. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत अन्य निबंधनों एवं शर्तो की पूर्ति के अधीन में पात्र हैं1

3.6 **अन्य योजनाओं के लाभ** :-

वस्त्र/पटसन इकाइयों को प्रौ.उ.नि.योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये अनुमति प्रदान की गई है, जब तक विशेषतः अन्यथा प्रावधान न किया गया हो । यदि संदेह हो तो संबंधित मामला स्पष्टीकरण के लिये वस्त्र आयुक्त के पास भेजा जा सकता है ।

3.7 **विशिष्ट स्थितियों में पात्र निवेश का निर्धारण :-**

यदि ऋण पुनगर्ठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पूर्णतः समाविष्ट नहीं है, अर्थात यदि इसमें प्रौउनियो एवं गैर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना घटक सम्मिलित हैं तो वितरण तथा पुनर्भुगतान प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना घटकों के बीच में अनुपात विभाजित करना आवश्यक है, जिससे कि देय ब्याज प्रतिपूर्ति का परिकलन किया जा सके1

4. **खंड-वार पात्रता की शर्ते :-**

4.1 **कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग**

क) सामान्यतया केवल मिश्रित (कॉटन जिनिंग के साथ प्रेसिंग) इकाइयाँ योजना के अंतर्गत समावेश के लिये पात्र होंगी । तथापि स्वतंत्र जिनिंग अथवा प्रेसिंग इकाइयाँ, योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिये पात्र होंगी, बशर्ते कि वे पहले या बाद में क्रमशः पात्र प्रौद्योगिकी स्तर को प्रेसिंग या जिनिंग सुविधा से जुड़ती हो ।

ख) केवल डबल रोलर जिन्स या सॉ जिन्स पात्र होंगी ।

ग) बेलिंग प्रेस मानक संशोधित बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप हो ।

घ) विद्यमान 2 स्तरीय मैन्युअल बेल प्रेसिंग मशीन वाली इकाई को प्रौ.उ.नि.योजना के अनुसार आधुनिकीकरण करते समय, इसे बदलने को बाध्य नहीं किया जाएगा। यद्यपि बेल प्रेसिंग मशीन बदलने वाली अथवा पहली बार बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करने वालीइकाई को केवल सिंगल स्टेज स्वचालित बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करनी होगी ।

4.2 **कताई/सिल्क रीलिंग तथा ट्विस्टिंग/वूल स्काउरिंग तथा कोम्बींग/सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न टेक्स्चराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ट्विस्टिंग :**

(क) **कॉटन रिंग कताई पद्धति :**

(i) कताई मशीनरी की नई स्टैन्ड अलोन/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण 2% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा तथा कताई इकाइयां जो कताई/निटिंग/प्रोसेसिंग/गारमैटिंग के अनुरूप क्षमता से प्रगतिशील रूप से जुडती हो 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी । समान क्षमता की श्रेणी में आने के लिए वैल्यू चैन की समरूपता स्थापित की जानी चाहिए। यदि प्रोसेसिंग में समान क्षमता का दावा किया जाता है तो इसमें संपूर्ण प्रोसेसिंग प्रक्रिया सम्मिलित होनी चाहिए न कि मात्र यार्न डाइंग।

(ii) कॉटनरिंग कताई पद्वति में नई इकाईयों के लिए एमइएस 8000 तकुए होगा। इकाईयों के क्षमता विस्तारण एवं आधुनिकीरण के लिए कोई एमईएस नही होगा।

(iii) प्रोद्योगिकी उन्नयन द्वारा वर्तमान अप्रचलित तकुओं के आधुनिकरण के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित तकुए सामान्यतः निकाल दिए जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाए जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध हो।

(iv) क) कॉटन रिंग कताई इकाइयों को रूकावटे कम करने के लिए तकुओं में वृद्धि किये बिना बैक-अप सुविधाओं को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है यथा, कोन वाइडिंग मशीन, कार्डस, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, ब्लोरूम आदि, बशर्ते कि इकाई एमईएस स्तर पर या उससे अधिक हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो और ऐसे निवेश इकाई को वांछित बेंचमार्क प्रौद्योगिकी स्तर तक लाते हैं ।

ख) सुधार के लिये रूपान्तरण के रूप में रिंग फ्रेम के लिये ऑटो डॉफर पद्धति योजना के अंतर्गत समाविष्ट की गई है, जो नई अथवा वर्तमान फ्रेम के रूप में रूपान्तरित/संस्थापित की जा सकती है, चाहे वह किसी भी बनावट/उत्पादक का हो ।

(v) नई क्षमता स्थापित करने या विद्यमान रिंग फ्रेमों के आधुनिकीकरण/परिवर्तन के लिये कॉम्पेक्ट कताई मशीन के संस्थापन को एमईएस की किसी शर्त के बिना अनुमति दी गई है । वर्तमान ड्राफ्टिंग पद्धति को कॉम्पेक्ट कताई ड्राफ्टिंग पद्धति में परिवर्तित करके वर्तमान रिंग फ्रेमों के स्वस्थाने उन्नयन को सं.पु.प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है ।

(vi) टू फोल्ड ट्विस्टेड यार्न के उत्पादन के लिए स्टैन्ड अलोन आधार पर यार्न प्रोसेसिंग संयन्त्र के स्पिनिंग/ट्विस्टिंग के पश्चात की क्रिया अथवा यार्न कताई इकाई को भेजे बिना यार्न को झुलसाना समाविष्ट है ।

ख) **ओपन एन्ड/ड्रेफ/पैराफिल/सेलफिल/एअरजेट कताई पद्धति** :

ये कताई पद्धतियाँ सब मिलाकर यार्न तैयार करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, अतःआधुनिकीकरण, क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।

ग) **वर्स्टेड कताई पद्धति** :

(i) वर्तमान क्षमता का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी वाली नई इकाई को अनुमति दी जाएगी।

(ii) स्वतंत्र ऊन स्काउरिंग तथा कोम्बिंग इकाइयां भी पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिये पात्र होगी।

घ) **वूलन/शॉडी कताई पद्धति** :

(i) कताई की वूलन पद्धति में कताई की सेमी-वर्स्टेड पद्धति समाविष्ट है ।

(ii) वर्तमान इकाइयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता विस्तारण/इस क्षेत्र में समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी ।

च) **सिल्क रीलिंग तथा ट्विस्टिंग** :

(i) वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी ।

(ii) बदली हुई अप्रचलित रीलिंग/टिवस्टिंग मशीनरी साधारणतः हटाई जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो ।

छ) **सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ट्विस्टिंग** :

वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी ।

ज) **कारपेट उद्योग** :

वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी ।

4.3 **विस्कोज फिलामेंट यार्न** :

वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी ।

4.4 **वीविंग, निटिंग तथा नॉन-वूवन/तकनीकी वस्त्र/फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ** :-

केवल नये शटललेस करघों के लिए 6% ब्याज प्रतिपूर्ति एवं पूंजी सहायता उपलब्ध है जबकि विनिर्दिष्ट पुरातन अवधि के पुराने आयातित करघें 2% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

क) I **गैर ऊनी वीविंग इकाइयों के लिये आवश्यक** :

(i) यदि विर्निर्दिष्ट किया जाए न्यूनतम आर्थिक आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीने

(ii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यतः निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

II **विकेन्द्रित एमएसएमई वीविंग क्षेत्र :**

1. साधारण करघे का अर्ध स्वचालित शटल लूम में इन्सीटू अपग्रेडेसन जिसमें अतिरिक्त विशेषताएं जैसे वेफ्ट स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, पॉजिटिव/सेमी-पॉजिटिव लेंट ऑफ मोशन, डॉबी जेक्कार्ड के साथ अथवा उसके बिना, को विकेन्द्रित विद्युतकरघा क्षेत्र के लिये अनुमति दी गई है।
2. साधारण करघे को बैंचमार्क्ड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध स्वचालित शटल करघे से प्रतिस्थापन को अनुमति दी गई है।
3. विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र में स्थित नई इकाइयों को पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंचमाकर्ड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध-स्वचालित करघों को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है।

III **हथकरघा वीविंग :**

1. पुनगठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर समय समय पर संशोधित एवं विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों को अनुमति देने वाले जी आर में पहले से विनिर्दिष्ट सभी मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी लाभ प्राप्त करने के लिये हथकरघा क्षेत्र पात्र है। हथकरघा क्षेत्र में केवल वीविंग कार्य विद्युत करघा तथा मिल क्षेत्र से अलग है, जबकि अन्य कार्य, विशेषतः प्रोसेसिंग समान है।
2. बैंचमार्कड में विनिर्दिष्ट हथकरघों को समाविष्ट किया गया है।

ख) **वूलन इकाइयों के लिये आवश्यक :**

(i) न्यूनतम लाभ कर आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीनें।

(ii) कम से कम वीविंग क्षमता के अनुरूप इन हाउस वीविंग प्रिपरेटरी (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में वीविंग प्रिपरेटरी आवश्यक नहीं)।

(iii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यतः निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

ग) **स्वतंत्र वीविंग प्रिपरेटरी इकाइयां :**

स्वतंत्र एमएसएमई /गैर एमएसएमई (ऊनी अथवा गैर ऊनी) वीविंग प्रिपरेटरी इकाई परिशिष्ट एमसी -5 में विनिर्दिष्ट वीविंग प्रिपरेटरी मशीन संस्थापित करेगी।

घ) **निटिंग इकाइयाँ** : वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना , क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाईयों के समुचित प्रौद्योगिकी के साथ संस्थापन को को पुनर्गठित करने को प्रोउनियो के अंतर्गत अनुमति है।

च) **तकनीकी वस्त्र / नॉन वूवन्स उत्पादक इकाइयां**

क) तकनीकी वस्त्र तथा नॉन वूवन्स उत्पादित करने के लिए आवश्यक मशीनों , जैसे कि परिशिष्ट डी-1 में सूचीबद्व की गई हैं।

ख) चूकिं तकनीकी वस्त्रों की कुछ मशीनरी समान है, अतः 10% पूजीगत सहायता प्राप्ति के लिए इच्छुक तकनीकी वस्त्र इकाइयों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पंजीकरण क्रमांक 10 प्रतिशत पूजीगत आर्थक सहायकता के लिए पात्र बनाने पूर्व प्राप्त करना होगा। पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के लिए तकनीकी वस्त्र इकाइयों को विहित प्रपत्र टीएफआर-1 में जानकारी भरकर देनी होगा।

4.5 **गारमेंट/मेड अप उत्पादन :**

क) वूवन्स तथा/अथवा निटेड गारमेंट तथा/अथवा मेड अप विनिर्माण अथवा उनका सयुक्त रूप पात्र होगा।

ख)	परिशिष्ट –एमसी-7 में दर्शाई गई सूची में से गारमेंट/मेड अप विनिर्माण तथा अन्य अतिरिक्त उपकरण संस्थापित करना आवश्यक है।

4.6 **डिजाइन स्टुडियोः-**

वस्त्र/रेडीमेंड गारमेंट तथा पटसन उद्योग द्वारा पात्र मशीनरी/उपकरणों /साफ्टवेअर तथा अन्य परीक्षण उपकरण के साथ स्थापित किया गया डिजाइन स्टुडियों पुनर्गठित प्रोउनियो के अंतर्गत शामिल है।

4.7 **फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्टस/मेड अप का प्रोसेसिंग**

फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्टस/मेड अप का प्रोसेसिंग तथा फिनिशिंग के लिये परिशिष्ट-एमसी-8में दिखाए गए आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों सहित प्रोसेसिंग मशीनरी पात्र होगी।

4.8 **पटसन वस्त्र :-**

क) **पटसन सॉफ्टनिंग एवं कार्डिंग, ड्राइंग, कताई तथा बुनाई :**

परिशिष्ट - एमसी-९ में दिखाई गई पात्र प्रौद्योगिकी की नई मशीनों को अनुमति दी जाएगी।

ख) **पटसन सम्मिश्रणों की कताई तथा वीविंग/निटिंग :**

(i) पटसन सम्मिश्रणों की कताई करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें रुई कताई के समान होंगी, जो कि पैरा 4.2 में स्पष्ट की गई हैं।

(ii) पटसन सम्मिश्रित फैब्रिक्स की वीविंग/निटिंग करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें नॉन-वूलन वीविंग तथा निटिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.4 में स्पष्ट की गई हैं।

ग) **पटसन सम्मिश्रित गारमेंट / मेड अप उत्पादन :**

पटसन सम्मिश्रित गारमेंट तथा/अथवा मेड अप्स का उत्पादन करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें गैर-पटसन गारमेंट/मेड अप उत्पादन के समान होंगी, जो कि पैरा 4.5 में दर्शाई गई है।

घ) **पटसन उत्पादों का प्रोसेसिंग :**

(i) परिशिष्ट - एमसी-९ में दर्शाई गई प्रोसेसिंग मशीनें पात्र है।

(ii) प्रौ.उ.नि. योजना के लिये पात्र गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी पात्र होंगे, जो परिशिष्ट - एमसी-९ में दिखाए गए हैं।

च) **पटसन सम्मिश्रित उत्पादों की प्रोसेसिंग :**

पात्रता शर्तें गैर - पटसन वस्त्र उत्पादों की प्रोसेसिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.7 में दर्शाई गई हैं।

छ) **सामग्री संचालन :**

सामग्री संचालन के लिये मशीनरी जो कि परिशिष्ट एमसी-९ में दर्शाई गई है, पटसन इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक है।

तकनीकी सलाहकार-सह देखरेख समिति (टीएएमसी)

5. **पात्रता की व्याख्या :**

सरकार ने वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टी ए एम सी)गठित की है, जिसमें सरकारी एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। टीएएमसी की रचना एवं कार्य **परिशिष्ट-ए** पर है।

(1) मशीनों की सूची में जोड घटाव से संबंधित कोई भी संशोधन टीएएमसी द्वारा किया जाएगा।

(2) यदि ऋणदाता अभिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसी इकाई या मशीन की पात्रता के बारे में व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण पूछा जाता है, इसके लिये नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति की राय प्राप्त की जाएगी।

(3) टीएएमसी योजना की प्रगति की समीक्षा तथा देखरेख भी करेगी और मंत्रालय तथा आईएमएससी को समय समय पर सूचित करेंगा ।

IV योजना के अन्तर्गत ऋण

1. प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों तथा अनुबंधों के आधार पर ऋण उपलब्ध किये जाएंगे ।

क) **ऋण की राशि** :
आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जाएगी । वैयक्तिक ऋण के लिये कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं होगी ।

ख) **समर्थकों का अंशदान** :
ऋणदाता अभिकरण द्वारा विद्यमान सामान्य मापदंडों के आधार पर तय किये जाएंगे ।

ग) **ब्याज दर** :

(i) **रुपयों में ऋण** :
संबंधित कर्जदार को प्रभारित ब्याज की प्रभावी दर, वित्तीय संस्थानों तथा बैंको द्वारा प्रभारित किये जाने वाले प्रचलित दरों से से कम होगी, वस्त्र मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत सभी खंड़ो, सिवाय नयी स्टैन्ड अलोन/ प्रतिस्थापित कताई मशीनरी/कताई इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 5 प्रतिशत (केवल नये शटललेस करघों के लिए 6%)वापस करेगा, जहां ब्याज वापसी 2% तक सीमित होगी । रूपयों में ऋण के लिए आयतित पुराने शटललेस करघों के संस्थापन के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति 2% होगी।

(ii) **विदेशी मुद्रा में ऋण** :
जैसा कि साधारण विदेशी मुद्रा ऋण के लिये लागू है । तथापि योजना के अंतर्गत विनिमय दर के उतार-चढाव के लिये प्रति वर्ष 5% (से अधिक नहीं) (केवल नये शटललेस करघों के लिए 6%)तक की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी । कताई मशीनरी के मामले में नई स्टेन्ड अलोन/ प्रतिस्थापित / कताई मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए विनिमय दर चढ़ाव उतार 2% तक सीमित होगा। विदेशी मुद्रा में ऋण के लिए आयतित पुराने शटललेस करघों के संस्थापन के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति 2% होगी।

(iii) **ब्याज वापसी की अवधि** :

क. (1) ब्याज वापसी की अवधि, जो कि दो वर्ष कार्यान्वयन / विलंबन अवधि सहित 07 वर्ष उपलब्ध होगा। कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि 2 वर्ष से अधिक हो सकती है किन्तु कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि के लिए ब्याज वापसी केवल 2 वर्ष तक सीमित होगी । कार्यान्वयन तथा विलंबन अवधि पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत ऋण के वितरण की पहली तिथि से माना गया है।

2 पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत तिमाही वार ब्याज वापसी 07 वर्ष के ऋण पुनर्भुगतान सारणी के अनुसार अथवा वास्तविक , जो भी कम है की मात्रा तक सीमित की जाएगी जो कि ऋणद अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को पैरा IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक मात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था । विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव /फारवर्ड कवर प्रिमीयम भी इसी पद्धति का अनुसरण करेंगे।

3 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में देय सबसिडी का दावा उसी वित्तीय वर्ष में किया जाए।

4 बैंक 7 वर्ष से अधिक के लिए ऋण देने के लिए स्वतंत्र है किन्तु आर्थीक सहायता अधिकतम दो वर्ष विलंबन काल सहित केवल सात वर्ष की अवधि तक ही प्राप्त होगी।

ख) यदि खाता असक्रिय आस्ति (एमपीए) बन जाता है, ब्याज वापसी उपलब्ध नहीं होगी। ब्याज वापसी एनपीए श्रेणी से बाहर आने की तिथि से उपलब्ध होगा। पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत तिमाही वार ब्याज वापसी 07 वर्ष के ऋण पुनर्भुगतान सारणी के अनुसार अथवा वास्तविक , जो भी कम है की मात्रा तक सीमित की जाएगी जो कि ऋणद अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को पैरा IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक मात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

घ) **अन्य शर्तें यथा ऋण की अवधि, सुरक्षा, परिवर्तन विकल्प,ऋण साम्या अनुपात आदि** :

पात्र इकाइयाँ न्यूनतम लाभकर आकार की होंगी। अन्य शर्तें ऋणदाता अभिकरण द्वारा निर्धारित, विद्यमान साधारण मानकों के अनुसार होंगी।

च) **पात्र इकाई के वित्तीय मानक** :

ऐसी इकाइयां पात्र है, जिनका अच्छा ट्रेक रिकार्ड हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, सकारात्मक नेटवर्थ हो।

छ) **आकस्मिकता के लिये प्रबंध** :

(वास्तविक आधार पर)अधिकतम 5% तक आकस्मिकता के लिये प्रबंध (अनिश्चित लागत)संशोधित पुनर्गठित प्रौ. उ.नि. योजना के अंतर्गत पात्र संयन्त्र तथा मशीनों एवं अन्य निवेशों के संदर्भ में संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट है।

ज) **एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरे बैंक /वित्तीय संस्थान में प्रौ.उ.नि.यो. ऋण अंतरित करना उसी तरह पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत एक आवधिक ऋण खाता बंद करना तथा नया आवधिक ऋण प्राप्त करना।**

पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना ऋण खाते की बकाया मूल राशि को एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरी बैंक/वित्तीय संस्थान में अंतरित की जा सकती है, बशर्ते कि पोर्टफोलियो(अर्थात् शेष मूल राशि) में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कुल पुनः भुगतान अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यद्यपि, यह सुविधा ऋण की अवधि के दौरान केवल एक बार प्रदान की जाएगी। मूल बैंक द्वारा जमा की गई तिमाही वार आर्थिक सहायता यद्यपि अपरिवर्तित रहेगी।

ट) **रुपयों में आवधिक ऋण से विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमत:परिवर्तन** :

वार्षिक आधार पर रुपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमतः परिवर्तन को पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत अनुमति दी गई है। विनिमय का आधार दर वह होगा, जो रुपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में परिवर्तन की तारीख में प्रचलित था। ऋण राशि की अवधि 7 वर्ष की पुनः भुगतान अवधि एवं ऋणद अभिकरण से विदेशी मुद्रा में ऋण की उपलब्धता के अधीन समान रहेगी।

ठ) **वायदा किस्त का समावेश** :

पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिये वायदा सुरक्षा किस्त की विकल्प के रूप में विनिमय के आधार दर पर प्रति वर्ष 6%/ 5% /2% तक सीमित लागत समाविष्ट की गई है, जिसका उपयोग परियोजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किया जाए।

ड) **पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश :**

विनिर्माताओं द्वारा नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थानों से ली गई वित्तीय सहायता का ब्याज का हिस्सा पात्र मशीनों तथा उपकरणों के लिये पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है । पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश पट्टे पर वित्तीय सहायता के सामान्य मापदंडों की शर्त पर होगा किन्तु पट्टा अवधि 07 वर्ष तक सीमित होगी।

ढ) **हायर पर्चेस पर मशीनरी का समावेश:**

संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत हायर पर्चेस स्कीम के अंतर्गत सबसिड़ी को समाविष्ट किया गया है, बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत निहित प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्रता प्राचलों क पूर्ति करते हुए स्पेशल पर्पज व्हेइकल(एसपीवी) द्वारा प्रवर्तित परियोजना हो/ यह योजना वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से मॉनिटर /प्रचालित की जाएगी। हायर पर्चेस पर विस्तृत प्रचालनात्मक, दिशा-निर्देश परिशिष्ट -बी पर दिए गए है।

ण) **सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों को प्रभावित किये बिना मंजूर ऋण के लिये नोडल अभिकरण का अनुमोदन :**

संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, जो सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर एवं प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों के अनुसार हो, को नोडल अभिकरणों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

त) **यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर द्वारा दी गई सह-गारंटी :**

ऐसे यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो एवं जो बैंक के मापदंडों की पूर्ति करता हो, द्वारा दी गई सह-गारंटी के बल पर लघु उद्योग विद्युत करघा इकाइयों को पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना ऋण की मंजूरी देने का निर्णय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा लिया जाना है । तथापि यदि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान/बैंकों द्वारा आवधिक ऋण/वित्तीय सहायता दी जाती है तो ऐसी इकाइयों को अनुमोदित मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के लाभ प्राप्त होंगे ।

थ) **विलंबित भुगतान गारंटी (डीपीजी) योजना - परिचालन के लिये मार्गदर्शक बिन्दु :**

केवल रुपयों में ऋण के मामले में डीपीजी का समावेश संशोधित पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना में किया गया है ।मार्गदर्शक बिन्दु परिशिष्ट – सी में दिए गए हैं।

द) **संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत ईसीबी का समावेश :-**

भारतीय बैंक/विदेशी बैंक, जिनकी भारतीय शाखा हो (सहयोजित पीएलआई के रूप में) की ओवरजीज शाखा से प्राप्त किया गया ईसीबी संशोधित पुनर्गठित प्रोउनियो के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिए विहित लाभों के लिए पात्र होगा, अर्थात् मूलदर से विनियम दर उतार-चढ़ाव के लिए यथास्थिति 2% 5% 6%कवर या प्रतिवर्ष 2% 5% 6% तक सीमित फारवडे कवर प्रिमियम।

ध) विद्युत करघा क्षेत्र के लिये प्रौउनियो (8%- प्रौउनियो अथवा 30 %- की दर पर एम एम एस) के अंतर्गत 30% की दर पर मार्जिन मनी सबसिडो (नये शटललेस करघे) / 8 % (पुराने आयातित शटललेस करघे) प्रचालन के लिये दिशा - निर्देश :

विद्युत करघा क्षेत्र के लिये एम एम एस - प्रौउनियो @ 30% (नये शटललेस करघे) अथवा 8% पुराने आयातित करघे) वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रचालित की जाएगी

तथा इसके विस्तुत माग्दर्शक तत्व परिशिष्ट ' घ ' तथा सबसिडी का दावा करने हेतु आवेदन फार्म एफ आर - 1 पर है ।

तथा उसके पश्चात वस्त्र आयुक्त, मुंबई को विहित प्रपत्र में ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करेगा। नोडल अभिकरण से ईसीएन प्राप्त करने के पश्च्यात वस्त्र आयुक्त , मुंबई को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत करेंगे। एकमात्र आय डी नं. के आवेदन पत्र का एफ आर - 2 पर है ।

न) **संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग मशीनरी गारमेंटिंग मशीनरी तथा तकनीकी वस्त्र मशीनरी के लिए 10% तथा नये शटललेस करघो के लिए 15% सहायता पूंजी के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन।**

विस्तृत मार्गदर्शन तत्व क्रमशः**परिशिष्ट-एफ तथा परिशिष्ट जी** में दिए गए हैं।

प) **संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के लिए 30% पूंजीगत आर्थिक सहायता :**

1. संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को या तो 30% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अथवा 5% ब्याज वापसी को चुनने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है।
2. विनिदिन्ष्ट हथकरघा मशीनरी की सूची सहित विस्तृत प्रचालनात्मक तत्व विकास आयुक्त (हथकरघा), नई-दिल्ली द्वारा जारी किए जाएंगे।

फ) **संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत रेशम क्षेत्र के लिए 30% पूंजीगत आर्थिक सहायता :**

1. संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत रेशम क्षेत्र को या तो 30% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अथवा 5% ब्याज वापसी को चुनने का अतिरिक्त विकल्प किया गया है।
2. विनिदिष्ठ रेशम मशीनरी की सूची सहित विस्तृत प्रचालनात्मक तत्व केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूर द्वारा जारी किए जाएंगे।

V कार्यान्वयन/देखरेख/मूल्यांकन प्रक्रिया :

1. स्तर -I: कार्यान्वयन

i) वस्त्र आयुक्त , मुंबई द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन पूर्व प्राधिकृत करने की पद्धति होगी। आवेदनों पर पात्रता एवं निधि की उपलब्धता के अधीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ii) यूआईडी के लिए मांग को नीचे वर्णित पैरा (iii) में अनुमेय आवेदन के अलावा आवधिक ऋण की मंजूरी की तिथि से केवल एक वर्ष तक विचाराधीन रखा जाएगा।

iii) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान मंजूर आवधिक ऋणों के मामलों में ऋणद अभिकरणों को संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियों के अन्तर्गत यूआईडी के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय की ऑनसिस्टम में 31.03.2014 तक आवेदन जमा करने के लिए अनुमति है।

iv) एकमात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए नोडल बैंक अभिकरण/ सहयोजित पीएलआई प्रत्येक मामले हेतु पात्रता एवं अनुमेय राशि का निर्धारण करेगा एवं प्रत्येक मामले के लिए इसीएन (पात्रता प्रमाण पत्र संख्या) आबंटित करेगा तथा तत्पश्चात वस्त्र आयुक्त को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत करेगा। नोडल अभिकरणों के सहयोजित पीएलआई उनके सबंधित नोडल अभिकरणों से इसीएन प्राप्त करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त, मुंबई को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन जानकारी जमा करेंगी। एकमात्र आईडी नं. प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफआर-2 पर है। ऋणद अभिकरणों द्वारा 7 वर्ष की समग्र अवधि अथवा वास्तविक अवधि, जो भी

कम हो के लिए तिमाही वार आर्थिक सहायता की आवश्यकता प्रस्तुत करना आवश्यक है। तिमाही वार ब्याज प्रतिपूर्ति/पूंजी सबसिडी वस्त्र आयुक्त को इस प्रप्रपत्र में जमा मात्रा तक समिति रखी जाएगी । तिमाही वार ब्याज प्रतिपूर्ति / पूंजीगत आर्थिक सहायता वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत किए गए इस प्रपत्र में दी गई राशि से कम हो सकती है किन्तु इस राशि से अधिक नहीं हो सकती।

(v) यदि यूआई डी आवेदन पत्र पूरी तरह सही पाये गये, उन्हें यूआईडी के आबंटन के लिये अगली कार्रवाई हेतु भेजे जाऐगे तथा वस्त्र आयुक्त, मुंबई ऑनलाइन सिस्टम में ऋणद अभिकरण द्वारा सबसिडी दावे के प्रस्तुतीकरण हेतु ऋण आवेदन को पूर्व प्राधिकृत करने के लिये आई डी नं. जारी करेंगे । यूआईडी के लिये जमा की गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी संबंधित ऋणद अभिकरण की होगी ।

(vi) यदि उसमें कुछ स्पष्ट विसंगति हो, तो यूआई डी आवेदन पत्र पुनः संबंधित ऋणद अभिकरण को सुधारने एवं पुनः जमा करने के लिये वापस भेज दिये जाएंगे । वापस जमा किये आवेदन पुनः पहले आओ पहले पाओ आधार पर विचाराधी रखे जाएंगे ।

(vii) ऑनलाइन सिस्टम में यूआईडी आवेदन को मात्र क्रिएट करने जमा करना ही प्रौउनियो के अन्तर्गत सबसिडी के लिये तथा यूआईडी नं. के लिये पात्र नहीं होगा ।

(viii) वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी एकल आई डी नं. के बिना बैंक द्वारा मंजूर कोई आवेदन प्रौउनियों के अन्तर्गत सबसिडी देने के लिये पात्र नहीं होगा ।

(ix) खण्ड में सबसिडी की मर्यादा जैसे ही पूरी होगी , वस्त्र आयुक्त पूर्व - प्राधिकृत करना बन्द करेंगे, जैसा कि पैरा 6 (i) में उल्लेख किया गया है ।

(x) आँकड़ों की सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋण लेने वाले को ऋणद अभिकरणों की गलतियों से बचाने के उद्देश्य से तथा किसी संभाव्य दुरुपयोग को रोकने के लिये, वस्त्र आयुक्त के वेब वोर्टल पर एफ आर-2 के माध्यम से ऋणद अभिकरणों द्वारा भरी गई जानकारी अवरुद्ध रखी जाएगी तथा सबसिडी भुगतान सख्ती से अवरद्ध आंकडों के अनुसार ही विचाराधीन रखे जाएंगे । अतः ऋणद अभिकरणों को भली प्रकार से सलाह दी जाए कि यूआईडी के लिये आवेदन पत्र में जानकारी भरते वक्त दुगने सतर्क रहें, क्योंकि योजना के पूर्व प्रचालन का अनुभव कुछ कमियों को सामने लाया है , जो अंतिमत ऋण लेने वाले को खतरे में डालती हैं । बचाव के रुप में, ऋणद अभिकरणों द्वारा जमा किये गये आंकड़ों में भिन्नता के वास्तविक मामलों में हो रही किन्ही गलयिों पर वस्त्र आयुक्त द्वारा केवल तब विचार किया जाएगा जब ऋणद अभिकरणों के सी एमडी द्वारा उसकी सिफारिश की जाए एवं आई एम एस सी के अनुमोदन से प्रतिबद्ध दायित्वों को समग्र आंकड़ों के भीतर वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा प्रति सिफारिश की जाए ।

2. **मॉनिटरिंग प्रोसेस का स्तर II**

i) टीएमसी योजना की प्रगति को मॉनिटर तथा समीक्षा करेगा एवं मंत्रालय तथा आईएमएससी को समय-समय पर सूचित करेंगा।

ii) वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत आई एम एस सी योजना की समीक्षा करेगी एवं सबसिडी मर्यादा का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(Vi) प्रबंधन

पुनर्गठित प्रोउनियो के अंतर्गत सहायता की मंजूरी के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक संबंधित इकाई का सक्षम प्रबंधन होगी, जो इकाई के कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस हेतु नोडल अभिकरण आवश्यकतानुसार बोर्ड के विस्तारीकरण, वरिष्ठ तकनीकी /वित्तीय व्यवस्थापकों की नियुक्ति, प्रबंधन का व्यावसायिकरण तथा इस प्रकार की समितियों के गठन संबंधी शर्ते निर्धारित कर सकती है।

(vii) कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताएं

चूँकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम की सफलता एवं इसका पूर्ण लाभ पर्याप्त कार्यकारी पूँजी की उपलब्धता पर निर्भर है, इकाइयों को उनके बैंकों से कार्यकारी पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करने चाहिए।

(viii) नोडल अभिकरण/सहयोजित पीएलआई

1. योजना के अंतर्गत विभिन्न खंडों के लिए नोडल अभिकरण निम्नानुसार हैं।

खंड	नोडल अभिकरण
वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	आईडीबीआई बैंक
लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र	सिडबी
पटसन उद्योग	आईएफसीआई

2. नोडल अभिकरण इस योजना में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी) तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों को ऋण की मंजूरी एवं वितरण एवं बेहतर पहुंच के लिए सहयोजित कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे संयोजन से कर्जदार के मिलने वाले ब्याज वापसी की दर में कोई कटाव नहीं होगा ।सह योजित ऋणद अभिकरणों की सूची परिशिष्ट **एच** पर है।
3. नोडल अभिकरणों, पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत उनके द्वारा सीधे सहायता किए गए मामलों की पात्रता का निर्णय करेंगी और विहित प्रपत्र में आर्थिक सहायता संबंधी दावा वस्त्र आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी।
4. सहयोजित वित्तीय संस्थानों के मामले में, नोडल अभिकरण पात्रता तय करेंगे तथा सहयोजित एआईएफआई / एसएफसी / एसआईडीसी तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों के ब्याज वापसी दावों की जाँच एवं उनके वास्तविक वितरण के लिए नोडल अभिकरण जिम्मेदार होंगे।
5. इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन पत्र संबंधित नोडल अभिकरणों से अथवा सहयोजित एआईएफआई/एसएफसी/ एसआईडीसी /वाणिज्यक / कॉपरेटिव बैंकों आदि जैसे भी मामला हो से विहित प्रपत्र प्राप्त करके आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

6. ऋण संबंधी आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष प्रउनि प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

7. नोड़ल बैंक में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपयोग प्रमाण पत्र मासिक/ त्रैमासिक आधार पर अगले तिमाही के दावे करने से पूर्व विहित प्रपत्र में देंगे। सहयोजित पी एल आई उनका अनाधिक्य दावा प्रमाण पत्र संबंधित नोडल एजेन्सियों (परिशिष्ट-आई) को जमा करेंगी तथा संबंधित नोडल अभिकरण इसके प्रत्येक सहयोजित पीएलआई के लिए अनाधिक्य दावा प्रमाण पत्र वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अगले तिमाही के दावे करने से पूर्व विहित प्रपत्र में देंगे।

ix नोडल बैंक

(i) संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत बैंको की वित्तीय सहायता देने हेतु 36 नोड़ल बैंको को निर्दिष्ट किया गया है। 36 बैंकों के नाम निम्नवत हैं :-

1..	अलाहाबाद बैंक	19.	आय एन जी वैश्य बैंक
2.	आन्ध्र बैंक	20.	जम्मू एण्ड कश्मिर बैंक
3.	एक्सिस बैंक	21.	कर्नाटका बैंक
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	22.	करुर वैश्य बैंक
5.	बैंक ऑफ इंडिया	23.	लक्ष्मी विलास बैंक
6.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24.	नॅशनल कॉ-आपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कारपोरेशन (एन सी डी सी)
7.	कॅनरा बैंक	25.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस
8.	कॅथिलिक सीरियन बैंक	26.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27.	पंजाब नॅशनल बैंक
10.	सिटी यूनियन बैंक	28.	राजस्थान स्टेट इंडिस्ट्रीयल इंनवेस्टमेंट कारपोरेशन
11.	कॉरपोरेशन बैंक	29.	साऊथ इंडियन बैंक
12.	देना बैंक	30.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
13.	एक्जिम बैंक	31.	सिंडीकैट बैंक
14.	फेडरल बैंक	32.	तामिलनाड मर्कन्टाइल बैंक
15.	आय सी आय सी आय बैंक	33.	यूको बैंक
16.	इंडियन बैंक	34.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17.	इंडियन ओवरसिज बैंक	35.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
18.	इंदूसिंध बैंक	36.	विजया बैंक

(ii) नोड़ल बैंक उनके द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने वाले सभी मामलों में स्वंय पात्रता का निर्धारण कर सकेंगे और संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के लाभ देंगे जिसमें गैर एस एस आई, एस एस आई एवं 10 % पूंजीगत आर्थिक सहायता, विनिर्दिट प्रौसेसिंग मशीनरी/गार्मेटिंग मशीनरी / नए शटल रहित करघें / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपने सात (7) एसोसिएट बैंकों के लिए भी नोडल बैंक के रुप में कार्य करेगा। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा उसके पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नोड़ल बैंक के रुप में कार्य करेगा।

(iii) संघ वित्तीय पोषण के मामले में संघ का प्रमुख पुनर्गठित प्रौउनियो के तहत परियोजना की पात्रता का आकलन स्वयं के लिए करेगा और साथ ही संघ के अन्य सदस्यों के लिए भी करेगा ,बशर्ते संघ का प्रमुख एक नोड़ल बैंक हो । ऐसे मामले में जहाँ संघ का प्रमुख नोड़ल बैंक नहीं है तो ऐसे में नोड़ल बैंक जिसका आवधिक ऋण में बड़ा हिस्सा हो वह परियोजना की पात्रता का निर्धारण और संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के तहत ऋण की मात्रा का भी निर्धारण करेगा और विनिर्दिट प्रौसेसिंग मशीनरी/गार्मेटिंग मशीनरी / नए शटल रहित करघें / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए 10 % पूंजीगत सहायता का भी निर्धारण करेगा ।

(iv) कई बैंकों द्वारा वित्तीय पोषण के मामलों मे वह बैंक जिसके पास आवधिक ऋण का बड़ा हिस्सा होगा वे संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के तहत स्वयं के लिए और अन्य बैकों के लिए भी परियोजना की पात्रता का निर्धारण कर सकेगा । बशर्ते उक्त बैंक नोड़ल बैंक हो । ऐसे मामलों में जहाँ ऋण का बड़ा हिस्सा रखने वाला बैंक नोड़ल बैंक नहीं है तो ऐसे में वह नोड़ल बैंक जिसका हिस्सा अपेक्षाकृत बड़ा हो वह परियोजना की पात्रता एवं संशोधित पुनर्गठित प्रोउनियो के तहत ऋण की मात्रा का निर्धारण कर सकता है साथ ही निर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी / बिलकुल नए शटल रहित करघों / गार्मेटिंग/ टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता का भी निर्धारण करेगा ।

(v) ऐसे मामलों में जहाँ संघ । कई बैंको द्वारा वित्तीय पोषण किया जा रहा हो वहाँ बैंक विशेष उनके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई इकाईयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा बशर्ते बैंक नोड़ल बैक हो । यद्यपि आई डी बी आई बैंक उन बैंकों को जो संघ के / कई बैको से वित्तीय पोषण प्राप्त परियोजनाओं विनिर्दिट प्रौसेसिंग मशीनरी/गार्मेटिंग मशीनरी /नए शटल रहित करघें / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी को ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा जो नोड़ल बैंक नही है इसके लिए आई डी बी आय /सिडबी को नोडल बैंक द्वारा उन बैंकों को जारी पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति अग्रेषित करेगा ।

(Vi) नोडल बैंक, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से विहित प्रपत्र में अगले तिमाही का दावा प्रस्तुत करने से पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगें ।

(x) सहयोजित निजी क्षेत्र कमर्शियल बैंक

सिडबी के सहयोजित निजी क्षेत्र के कर्मर्शियल बैंक एस एस आई मामलों की पुनर्गठित प्रौउनियो के तहत पात्रता निर्धारित करेंगे और सिड़वी के माध्यम से दावे वस्त्र आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बैंक के लिए निधि सिड़बी के माध्यम से दी जायेगी । निजी क्षेत्र के सहयोजित कमर्शियल बैंकों के नाम निम्रवत हैं :-

1. डेवलपमेण्ट क्रेडिट बैंक लिमिटेड , मुंबई
2. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

3. एच डी एफ सी बैंक

4. रत्नाकर बैंक लिमिटेड

5. येस बैंक लिमिटेड

6. नैनीताल बैंक लिमिटेड

सहयोजित निजी क्षेत्र के कामर्शियल बैंक उन सभी एस एस आई मामलों को जिनमें वे वित्तीय पोषण कर रहें हो वे उनकी पात्रता का निर्धारण करेंगे और ऐसे दावे सिड़बी के माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

XI. नोड़ल अभिकरणों / नोड़ल बैंकों / सहयोजित पी एन आई को निधि जारी करना

(i) ऋणद अभिकरण , जिसके लिये युआई डी प्राप्त किया गया हो ऐसे प्रत्येक मामले के लिये सबसिडी दावा का उल्लेख करते हुए त्रैमासिक दावा वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अगली तिमाही की 15 तारीख तक वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा विकसित ऑन लाइन सिस्टम के माध्यम से जमा करेंगे। प्रत्येक तिमाही के लिये दावा या तो समान हो अथवा संबंधित तिमाही के मामले में यू आई डी आवेदन में उल्लिखित राशि से कम हो।

(ii) सबसिडी दावे को वरीयता देने का अधिकार आई डी नं. प्राप्त करने तिथि से केवल अगली तिमाही के अन्त तक होगा।

(iii) उपयोजन प्रमाणपत्र, अनाधिक्य दावा प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र कि बँक भ्रष्टाचार/अनुचित तरीकों में शामिल नही है, की प्राप्ति संबधित बैंको द्वारा वस्त्र मंत्रालय के मंजूरी आदेश की स्वीकृती के पश्चात निधि को उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) नोडल अभिकरणों के सहयोजित पीएलआई सबसिडी दावे संबधित नोडल अभिकरणों को परिशिष्ट आई के साथ जमा करेगा तथा नोडल अभिकरण दावे वस्त्र आयुक्त कार्यालय को परिश्टि -जे एवं उपरोक्त पैरा (iii) में विनिर्दिष्ट सभी अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करेगा।

(v) प्रौउनियो के अंतर्गत सबसिडी संबधित इकाई द्वारा ऋणद अभिकरण को वितरीत ऋण पर प्राप्त ब्याज वापसी के रूप में है एवं इसलिये इकाई सबसिडी के लिये तभी पात्र होती है, जहाँ ऋण वितरीत किया गया हो तथा इकाई द्वारा ऋणद अभिकरण को ब्याज का भुगतान कर दिया गया हो। ऋणद अभिकरण उनकी शाखाओं से प्राप्त वास्तविक दावों के आधार पर दावे प्रस्तुत करेगा।

(vi) पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत लाभार्थियों को निधियों का संवितरण वस्त्र मंत्रालय से निधि प्राप्त होने के तीन (3) कार्य दिवस के भीतर कर दिया जायेगा।

(vii) ऋणदाता संस्थान इस उद्देश्य के लिए प्राप्त निधियों को किसी और उद्देश्य के लिए नहीं देंगे और योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे अथवा दूसरे संस्थानों अथवा संगठनों को नहीं देंगे और वे निधियों के जारी करने संबंधी शर्तों एवं निबंधनों का पालन करेंगे। यदि बैंक दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो बैंक से अपेक्षित होगा कि वह जारी निधि की राशि को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहित उसे वापस करें।

(viii) पुनर्गठित प्रौउनियो के तहत निधि प्राप्त करने वाले सभी नोडल अभिकरण / नोडल बैंक / सहयोजित पी एल आई इस उद्देश्य के लिए समर्पित ब्याज मुक्त बैंक खाता खोलेंगे। इस उद्देश्य के लिए खोले गए बैंक खाते में उपयोग उपरांत बची हुई राशि पर मिलने वाले ब्याज की राशि को प्रत्येक तिमाही में बैंक, वेतन एवं लेखा कार्यालय वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के खाते में जमा करेंगे। इस प्रकार की राशि के लिए माँग पत्र (डी.डी.) वेतन एवं लेखा अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के नामे बनाये जाँए। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की राशि जमा करते समय, ऋणदाता संस्थान पूर्ण विवरण अर्थात वह राशि जिस पर ब्याज प्राप्त हुआ है, निश्चित दिनांक एवं अवधि तथा लागू ब्याज दर का विवरण वेतन एवं लेखा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, को देंगे।

(ix) नोड़ल बैंकों को इस योजना के संबंधित निधि का संवितरण इलेट्रानिक क्लियरेंस सर्विस (ई सी एस)/रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट (आर टी जी एस) के माध्यम से ही किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक नोड़ल, वस्त्र मंत्रालय को विवरण जैसे बैंक का नाम, ब्रांच, एकाउण्ट नम्बर, बैंक का एम आई सी भार कोड इत्यादि देगा।

(x) सहयोजित वित्तीय संस्थान्नों के मामले में, नोडल अभिकरण सहयोजित पीएलआई द्वारा जानकारी के आधार पर पात्रता का निर्धारण करेंगे। सही एवं विनियमित सूचनाओं को उपलब्ध कराने की जानकारी सहायोजित पीएलआई की होगी।

(xi) इस योजना के लिए निधि का संवितरण करने के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश सिड़बी को सहयोजित पी एल आई, आई डी बी आई बैंक एवं आई एफ सी आई पर लागू होंगे।

XII विविध

(i) इस निधि योजना मे सहायता के लिए संबंधित नोड़ल अभिकरणों अथवा सहयोजित ए आई एफ आई / एस एफ सी / एस आई डी सी / कमर्शियल / कॉ-ऑपरेटिव बैंकों जैसा भी मामला के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जना किया जाना चाहिए।

(ii) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय पोषण करने वाले संस्थानों द्वारा इसके लिए एक विशेष प्रकोष्ट बनाना होगा जिसमें एक नोडल अधिकारी होगा जिसमे तीव्रतम गति से ऋण संबंधी आवेदन पत्रों को प्रोसेस किया जा

सके। वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऐसे नोड़ल अधिकारी का नाम, पता, पदनाम, टेलीफोन नम्बर एवं ई - मेल आई डी सूचित करना होगा।

(iii) ऋणदाता संस्थान कम्पनी का आवश्यक विवरण / परियोजना वार स्थापित पात्रता / पुनर्गठित प्रौउनियो पात्रता संबंधी लांबित मामलों का विवरण दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति इत्यादि की जानकारी का विवरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं संसदीय प्रश्न यदि कोई हो तो इसके लिए आवश्यक डाटा बेस रखेंगे।

(iv) आई डी बी आई बैंक / सिडबी उनकी सलाहकार के रुप मे एक नोड़ल बैंको / सहायोजित पी एल आई को किसी स्पष्टीकरण के लिए देंगे तथा इसके लिए वे वस्त्र आयुक्त कार्यालय के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन नोड़ल बैंकों तथा सहयोजित पी एल आई के लिए कर सकते है।

(v) मामला विशेष में पात्रता संबंधी किसी प्रकार की शंका के लिए अथवा अन्य किसी प्रकार के संबंधित मामले के लिए नोड़ल बैंक / सहयोजित पी एल आई आई डी बी आई बैंक / सिडबी अथवा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन / सहायता के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

(vi) ऋणदाता संस्थान पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत यथा अनुमोदित प्लाण्ट एवं मशिनरी, के इकाई द्वारा विधिवत संस्थापन का प्रत्यक्ष मुआयना कर सकते हैं।

सुनयना

(सुनयना तोमर)

संयुक्त सचिव

भारत सरकार ,वस्त्र मंत्रालय

परिशिष्ट- एमसी - 1

प्रौउनियो योजना के अंतर्गत पात्र जीनिंग एवं प्रेसिंग मशीनरी की सूची

क्र.सं.	वस्तु	न्यूनतम आवश्यकता	
		बड़ी इकाई	छोटी इकाई
1.	जीनिंग मशीनें	6-8 बेल्स प्रति घंटा की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ऑटोफीडर / 3 सॉजिन्स (90 सॉ) या समतुल्य के साथ सामान्य आकार के 24 डी आर/22 अतिरिक्त लंबे डी आर /18 जम्बो डी आर	3-4 बेल्स प्रति घंटा की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ऑटोफीडर /1 या 2 सॉजिन्स या समतुल्य के साथ सामान्य आकार के 12 डी आर/11 अतिरिक्त लंबे डी आर /9 जम्बो डी आर
2.	प्रीक्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 4 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 4 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर
3.	लिन्ट क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 3 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 3 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर
4.	कपास कन्वेयर सिस्टम	(i) न्यूमेटिक कन्वेयर जो स्टोन कैचर फार द फर्स्ट स्टोन फ्राम हीप्स टू प्रीक्लीनर सहित हों (ii) मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर फ्राम प्रीक्लीनर टू इन्डीवीज्यूअल जीन्स सेन्ट्रल प्लेटफार्म सिस्टम की अनुमति नहीं है सिवाय जिसमें पहले से लगा हो।	(i) न्यूमेटिक कन्वेयर जो स्टोन कैचर फार द फर्स्ट स्टोन फ्राम हीप्स टू प्रीक्लीनर सहित हों (ii) मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर फ्राम प्रीक्लीनर टू इन्डीवीज्यूअल जीन्स सेन्ट्रल प्लेट फार्म सिस्टम की अनुमति नहीं है सिवाय जिसमें पहले से लगा हो।
5.	लिन्ट कन्वेयर सिस्टम	मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर (i) जीन्स से लिन्ट क्लीनर	मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर (i) जीन्स से लिन्ट क्लीनर

		(ii) लिन्ट क्लीनर से प्रत्येक पाला हाल और (iii) प्रत्येक पाला हाल से (क) पारम्परिक बेल प्रेस के मौजूदा मामले मे बेल प्रेस हाल (ख) बेल प्रेस बॉक्स मार्डन बेल प्रेस के मामले में लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म (डायरेक्ट फीडींग ऑफ काटन फ्राम लिन्ट क्लीनर से प्रेस बाक्स परमिटेड)	(ii) लिन्ट क्लीनर से प्रत्येक पाला हाल और (iii) प्रत्येक पाला हाल से (क) पारम्परिक बेल प्रेस के मौजूदा मामले मे बेल प्रेस हाल (ख) बेल प्रेस बॉक्स मार्डन बेल प्रेस के मामले में लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म (डायरेक्ट फीडींग ऑफ काटन फ्राम लिन्ट क्लीनर से प्रेस बाक्स परमिटेड)
6.	बेलप्रेस	(i) सिंगल स्टेज ऑफ हाइड्रोल्कि आटो ट्रेम्पींग बेल प्रेस जो लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मेकेनिज्म सहित हो जिससे प्रेस बाक्स मे सीधे ही लिन्ट की फीडिंग की जा सके । प्रारम्परिक वाटर हाइड्रोलिक टू स्टेज प्रेसेस जो बिना आटो ट्रैम्पिंग फेसिलिटी के हों की अनुमति है बशर्ते वे पहले से मौजूद हो।	(i) सिंगल स्टेज ऑफ हाइड्रोल्कि आटो ट्रेम्पींग बेल प्रेस जो लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मेकेनिज्म सहित हो जिससे प्रेस बाक्स मे सीधे ही लिन्ट की फीडिंग की जा सके । प्रारम्परिक वाटर हाइड्रोलिक टू स्टेज प्रेसेस जो बिना आटो ट्रैम्पिंग फेसिलिटी के हों की अनुमति है बशर्ते वे पहले से मौजूद हो।
7.	के लिए कन्वेयर	ऑटो मेटिक कन्वेयर जो जीन्स से सीड प्लैटफार्म तक हो	ऑटो मेटिक कन्वेयर जो जीन्स से सीड प्लैटफार्म तक हो
8.	हयूमिडी फायर मास्चराइजर	<u>जीन हाल में</u> सेण्ट्रल प्लेटफार्म के मामले में 2 बेन्सन फैन अथवा पर्याप्त संख्या में नोजल्स लगे हों। <u>पाला हाल के मामल में</u> 2 बेन्सन फैन प्रत्येक हाल में या पर्याप्त मात्रा में नोजल्स लगे हों।	<u>जीन हाल में</u> सेण्ट्रल प्लेटफार्म के मामले में 2 बेन्सन फैन अथवा पर्याप्त संख्या में नोजल्स लगे हों। <u>पाला हाल के मामल में</u> 2 बेन्सन फैन प्रत्येक हाल में या पर्याप्त मात्रा में नोजल्स लगे हों।

9.	फायर फाइटिंग सिस्टम	<u>ऐसे मामलों में जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल न हो</u> ओवर हेड टैंक एवं /अथवा सम्प (क्षमता 1.25 लाख लिटर)/पानी की टॅकी (1.50 लाख लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रेन्टस स्ट्रेटेजीकली लगे हो होज पाइप में नोजल्स हों और एक स्टैण्ड बाय डीजल पम्प इलेक्ट्रीक पम्प के अलावा हो । <u>ऐसे मामले जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल हो</u> ओवर हेड टंकी एवं अथवा सम्प (क्षमता 50,000 लिटर)/पानी की टॅकी (50,000 लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रेन्टस स्ट्रेटेजीकली लगे हों, होज पाइप में नोजल्स लगे हों एवं इलेक्ट्रिक पम्प के अलावा एक डीजल का पम्प हो।	<u>ऐसे मामलों में जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल न हो</u> ओवर हेड टैंक एवं /अथवा सम्प (क्षमता 60000 लिटर)/पानी की टॅकी (75000 लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रेन्टस स्ट्रेटेजीकली लगे हो होज पाइप में नोजल्स हों और एक स्टैण्ड बाय डीजल पम्प इलेक्ट्रीक पम्प के अलावा हो। <u>ऐसे मामले जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल हो</u> ओवर हेड टंकी एवं अथवा सम्प (क्षमता 25000 लिटर)/पानी की टॅकी (50,000 लिटर) जिसमें कम से कम 06 हाइड्रेन्टस स्ट्रेटेजीकली लगे हों, होज पाइप में नोजल्स लगे हों एवं इलेक्ट्रिक पम्प के अलावा एक डीजल का पम्प हो।
10,	अण्डर ग्राउण्ड वायरिंग	सभी हाई टेंशन एवं लो टेंशन वायर / केवल अण्डर ग्राउण्ड होने चाहिए	सभी हाई टेंशन एवं लो टेंशन वायर / केवल अण्डर ग्राउण्ड होने चाहिए
11,	वेह ब्रीज	क्षमता 20 टन / 5 टन स्थानीय जरुरत अनुरुप (जरुरत नहीं यदि सुविधा पास में ही उपलब्ध हो)	क्षमता 20 टन / 5 टन स्थानीय जरुरत अनुरुप (जरुरत नहीं यदि सुविधा पास में ही उपलब्ध हो)

12. वैकल्पिक मशीनरी : सभी बाहरी फायबर डिटेक्टर्स / रिमूवर्स।
13. कोई अन्य मशीनरी जैसा तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीए एम सी) द्वारा उपयुक्त समझी जाए।

परिशिष्ट – एमसी -2

प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत स्पीनिंग/सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग/वूल स्काउरिंग एवं काम्बिंग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सचराइजिंग क्रीम्पींग एवं ट्वीस्टिंग के लिए पात्र मशिनों की सूची ।

ए. कॉटन सिस्टम के स्पीनिंग के लिए स्पीनिंग मशीनरी :-

1. माइक्रो प्रोसेसर्स सहित पूर्णतः स्वचालित बेल हैंडलिंग, प्लकिंग, पीलिंग एवं ब्लेन्डिंग ग्रेब मशीन।

2. (I) काटन फाइबर के लिए परिष्कृत ब्लो रूम मशीनरी एवं उसके ब्लेण्डस जिसमें पहले सफाई करने वाला उपकरण, खोलने एवं सफाई करने वाली मशीन जिसमें च्यूट फीडिंग व्यवस्था सहित अथवा लैप मेकिंग व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर माइक्रोडस्ट रिमूवर एवं डी डस्टींग कन्डेन्सरों (ओपन एवं एण्ड रोटर स्पीनिंग) फॉरेन फाइबर डिटेक्टर/रिमूवर सहित अथवा बिना उसके सम्मिलित हैं।

(ii) कृत्रिम/रिजनरेटेड फाइबर्स के लिए परिष्कृत ब्लो रूम मशीनरी एवं उनके ब्लेण्डस् जिसमें ओपनिंग एवं क्लीनिंग मशीनें जो च्ूट फीड सिस्टम सहित लैप मेकिंग सिस्टम, मेटल डिटेक्टर सहित अथवा बिना फॉरेन फाइबर डिटेक्टर/रिमूवर सम्मिलित हैं।

(iii) सीसीडी कैमरा सहित सभी फॉरेन फाइबर डिटेक्टर, आटोमेटिक बेल तोड़नेवाली मशीनें एवे परिष्कृत सफाई करने वाली मशीन के उपकरण जो मौजूदा ब्लो रूम लाईन में हैं।

3. कार्ड, गील बाक्स, काम्बर एवं रिंग फ्रेम सहित अथवा बिना उसके जिसमें वेस्ट रिकवरी/री-साईकिलिंग मशीनरी जिसमें स्वचालित कचरा निकालने की व्यवस्था है।

4. (I) उच्च उत्पादन कार्ड जो 50 कि.ग्रा/घंटा जिसमें आटो लिवर हो स्लीवर उत्पादन में सक्षम हो।

(ii) कार्ड जो लिप फीड सिस्टम द्वारा 50 कि.ग्रा/घंटा स्वचालित स्लीवर सहित या बिना उसके उच्च उत्पादन कर सकें।

(III)

5. उच्च उत्पादन ड्रा-फ्रेम जो आटोलिवर सहित हो तथा जिसकी गति 500 मीटर/मिनट हो।

6. स्लीवरलैप/रिबनलैप, लैप फार्मर।

7. 240 नीपस्/मिनट एवं उससे अधिक उच्च गति के कोम्बर्स।

8. 1200 गति प्र. मि. के स्पीड फ्रेम तथा उससे अधिक।

9... उच्च गति रिंग फ्रेम्स जिनके तकुएँ (स्पीण्डल) की गति 16000 गति प्र.मि. एवं अधिक हो।

10. 75000 गति प्र. मि. एवं उससे अधिक गति के ओपन इण्ड रोटर एवं अन्य आधुनिक स्पीनिंग सिस्टम, जैसे डीआरईएफ, पी ए आर ए एफ आई एल, एस ई एल एफ आई एल एवं ए आई आर जे ई टी।

11. स्वचालित कोन वाइडिंग मशीन (आटो कोनर) जो 1500 मीटर प्र.मि. एवं उच्च गति की गति से चलती हैं एवं अथवा चीज वाइडिंग मशीन जिसमें साइरो क्लीनर लगें हों।

12. इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीयरर्स एवं मौजूदा स्वचालित वाइडिंग मशीनों के उन्नयन हेतु सप्लायर्स।

13. टू फार वन/थ्री फार वन ट्वीस्टर जो क्रमशः कम से कम 8000 ग.प्र.मि. एवं 5000 ग.प्र.मि. की गति से चलती हैं।

14. यार्न कंडीशनिंग मशीन।

15. इण्डस्ट्रीयल ह्यूमिडीफिकेंशन सिस्टम जिसमें एयर वाशर प्लान्ट एवं एयर फिल्टर आर एच को मेन्टेन करने के लिए तथा टेम्प्रेचर जिसमें डीह्यूमिडफायर्स (चीलर्स) लगे हों।

16 डस्ट/पार्टीकुलेट मटेरियल सेपरेटर्स/कलेक्टर (वायप्रदूषण नियंत्रण)।

17 स्पीनिंग एवं वाइंडिंग के लिए ओवर हेड क्लीनर।

18. कोर स्पन यार्न को तैयार करने का उपकरण।

19. समानान्तर वाइंडिंग मशीन जो इन्डीविड्यूजल कन्ट्रोल प्रबंध सहित हो तथा लम्बाई नापने की मशीन।

20. **प्रोसेस नियंत्रण उपकरण :-**

(ए) मौजूदा वाइंडिंग मशीन के कोटी उन्नयन के लिए इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीयरर्स।

(बी) ह्यूमीडफिकेशन प्लान्ट के लिए आर एच मेन्टेन एवं नियन्त्रित करने के लिए साउटर आटोमेटिक प्लान्ट कन्ट्रोल।

(सी) रिंग फ्रेम्स के लिए स्पीन्डल की गति बदलने के लिए डॉफ प्रक्रिया की सम्पूर्ण प्रक्रिया के सेट पैटर्न में आप्टी स्पीड जिससे धागे की टूटन प्रक्रिया को कम से कम किया जा सके आदि।

(डी) सूचना तकनीकी के अन्तर्गत "प्रीमिअर रिंग आई" क्योंकि उपकरण धागे की रिंग फ्रेम मे टूटन को मानिटर करता है और रोग्यू तकुओं (स्पीन्डल्स) का पता लगाता है जिससे टूटन बढ़ती है और जो कम्प्यूटर के माध्यम से रिंग फ्रेम के माध्यम से उत्पादन दर्शाता है।

21. 15 एच पी एवं अधिक के एयर का प्रेसर।

22. रिंग फ्रेम (अर्थात ऐलिटविस्ट अटेचमेंट फारस्पीनिंग मशीन) में सीधे ही डबल यार्न टॅवीस्टींग अटेचमेंट।

23. रिंग डाटा मैनेजमेंट सिस्टम

24. प्लान्ट इसीसीएसी मैनेजमेंट सिस्टम

25. केबलिंग मशीन

26. यार्न सिजिंग मशीन

27. स्वाचालित सामग्री संचालन /पैंकिंग सिस्टम

नोट :क्रम सं. 27 तक बढ़ाई मशीनें 4 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है इसमें न्यू स्टैण्ड अलोन/रिप्लेशमेंट /स्पीनिंग, मशीनरी का आधुनिकीकरण शामिल है। यद्यपि वेस्पीनिंग इकाईयां इसमें फावर्ड इन्टीग्रेशन तथा बुनाई /निटिंग /प्रोसेसिंग /गारमेंटिंग की मैजिंग क्षमता है वे ही ब्याज प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

बी. **फ़्लैक्स स्पीनिंग के लिए मशीनरी :-**

1. फ़्लैक्स हैकलिंग मशीन।
2. फ़्लैक्स के लिए ड्राइंग मशीन
3. फ़्लैक्स के लिए रोविंग मशीन।
4. फ़्लैक्स के लिए वेट रिंग फ्रेम।
5. फ़्लैक्स के लिए आटो वाइंडिंग मशीन।

सी **सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टींग के लिए मशीनरी :**

1. मल्टाइंड सिल्क रिलिंग मशीन (स्वचालित अथवा अर्ध स्वचालित)।
2. सिल्क ट्वीस्टींग मशीन (टू फार वन अथवा थ्री फार वन अथवा अप ट्वीस्टर्स)।
3. वाइंडिंग मशीन।
4. कनवेयर कुकींग मशीन।

डी. **सिल्क वेस्ट प्रोसेसिंग/स्पीनिंग के लिए मशीनरी :-**

1. सिल्क वेस्ट प्रोसेसिंग
   - कोकून ओपनर
   - कम्प्यूटरीकृत सिल्क वेस्ट कटींग मशीन
   - डेगुमिंग मशीन
   - ड्राइंग चेम्बर्स
   - कार्डिंग मशीन
   - प्रेपरेटरी मशीन

2. सिल्क ओपनर

3. स्वचालित होपर फीडर/ब्लेंडिंग होपर फीडर/स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण सहित फीडर (चाहे स्वचालित गुणवत्ता वेट अथवा मात्रा नियंत्रण के साथ) सिल्क कार्ड के लिए मात्रा नियंत्रण।

4. कार्डिंग सेट।

5. रेक्टीलिनियर कोम्बर।

6. वोगोराक्स टाप/सिल्वर प्रीन्टींग मशीन।

2. टाप टू फाइबर/टाप कनवर्टींग मशीन।

8. टाप बम्प प्रेस।

9. ड्रा फ्रेम/रोविंग फ्रेम/आटोमेटिक रविंग फ्रेम/बोबीनर्स/फीनिसर।

10. नोट स्वयं ऐठन करने वाली स्पीनिंग मशीन/साइरो स्पीनिंग (2 प्लाई स्पीनिंग) मशीन/कोट स्पीनिंग मशीन।

11. फैन्सी यार्न ट्वीस्टींग एवं पैटर्न मशीन।

12. जम्बो हैंक रीलिंग मशीन।

13. यार्न ब्रुशिंग मशीन

14. उच्च गति इन्टर सेटींग रोटरी/चेन पिन ड्राइंग रोटर्स/गील बाक्स।

15. फाइबर ओपनिंग एवं ब्लेंडींग मशीन।

16. रेजींग/ब्रुशिंग मशीन।

17. मल्बरी एवं टसर के लिए स्वचालित एवं अर्धस्वचालित रीलिंग मशीनरी।

18. ट्वीस्टींग, रीलिंग, यार्न सैम्पल्स की ब्रुशिंग एवं सादा (प्लेन) एवं फैन्सी धागों (यार्न) की अल्प मात्राओं से संबंधित मशीनें।

19. सिल्क फैब्रिक के लिए दो चेम्बर वाला स्टेन्टर प्रोसेसिंग हेतु।

ई. **कृत्रिम फिलामेन्ट यार्न क्रीम्पींग/टेक्सराइजिंग एवं ऐठन(ट्वीस्टींग) के लिए मशीनें**

1. क्रीम्पींग मशीन।

2. टेक्सराइजिंग मशीन।

3. ऐठन देने वाली (ट्वीस्टींग) मशीनें

4. जम्बो हैंक वाइन्डर।

5. रिवाइन्डर/प्रीसीसन कोन वीन्डर।

6. माइक्रो स्लीटींग/रोल कटींग मशीन।

7. फैन्सी यार्न ट्वीस्टर्स एवं डबलिंग मशीन।

8. ट्वीस्टेड एवं कवर्ड कोर्ड उत्पादक मशीन।

9. लीटरींग मशीन/जीक मेकिंग मशीन।

10. एयर कवरींग मशीन।

11. यूनिवर्सल डबल कवरींग मशीन।

12. स्पैन्डेक्स अटैचमेन्ट ऑन सर्कुलर नीटिंग/टेक्सचराइजिंग मशीन।

13. ड्रा ट्वीस्टर्स/ड्रा विन्डींग मशीन।

14. पीसीशन असेम्बली वाइण्डर

15. प्रीसीशन शाफ्ट वाइण्डर

16. हैंक्टूकोन/ चीज वाइडिंग मशीन

एफ. रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग प्लान्ट हेतु मशीनरी।

1. स्वचालित नरम रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन।
2. स्वचालित सख्त रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन।
3. स्वचालित बेल प्रेस पध्दति (पॅकिंग)
4. स्वचालित कॉटन डस्ट एवं स्पीड कलेक्शन एवं फिल्टरेशन पध्दति।
5. आग सुरक्षा प.ध्दति।
6. सेवा - सुविधाएं, यथा, परिवहन, तोलसेतु पध्दति, स्वचालित बेल तुलाई पध्दति, आदि।

जी. फायबर/यार्न परीक्षण उपकरण।

1. आधुनिक फायबर परीक्षण उपकरण यथा, लंबाई, मजबुती, सुक्ष्मता परिपक्वता, कचरा, रंग आदि की जांच हेतु उच्च/मध्यम/कम मात्रा वाले उपकरण
2. एकरूपता परीक्षक
3. यार्न की त्रुटियों का वर्गीकरण करने वाले उपकरण, यथा, क्लासिमॅट, क्लासिडाटा, आदि
4. नेप्स, लंबाई, व्यास, परिपक्वता, कचरे की जांच हेतु उपकरण यथा एएफआईएस/एफआईएलई/एडवांस फायबर इन्फॉर्मेशन पध्दति, रॅपिड टेस्टर, आदि
5. सिंगल यार्न टेनासिटी टेस्टर, यथा टेन्सोरॅपिड, स्टॅटीमॅट, टेन्सोमॅक्स आदि
6. टेनासिटी/फायबर क्रिम्प मापनेवाले उपकरण , यथा फेवीमेट आदि।
7. आधुनिक यार्न परीक्षण उपकरण, यथा, ट्विस्ट टेस्टर, हेअरीनेस टेस्टर, टेन्शन टेस्टर, फिक्शन टेस्टर को इफिशियन्ट।
8. नमी परीक्षक।
9. पॅकिंग डेन्सिटी परीक्षक
10. उच्च सुक्ष्मता तुलाई सन्तुलन
11. सीएसपी.काऊन्ट हेतु संगणकीकृत ली स्ट्रेंग्थ टेस्टींग मशीन तथा सीएसपी एवं काऊंड हेतु सी.वी. प्रतिशत

एच. आधुनिक मटेरियल हॅण्डलिंग उपकरण, यथा फोर्क लिफ्टर, बेल स्टॅकर्स, आदि।

आई. सिलाई के धागे (कॉटन/पॉलिएस्टर/कन्टीन्यूअस पॉलिएस्टर फिलामेंट/कोर यार्न सिलाई के धागे) विनिर्माण हेतु मशीनरी।

1. व्यक्तिगत नियंत्रण सुविधा तथा लंबाई मापने के उपकरण के साथ असेम्बली वाईंडिंग/चीज वाइंडिंग मशीन।
2. आर्द्र सुविधा के साथ या बिना हेवी रिंग डबलर।
3. पॉलिशिंग सह लुब्रिकेशन मशीन।
4. हिट सेटींग तथा स्टॅबिलाइझिंग मशीन।

5. प्रि-अप्लिकेशन वाइंडर/कम्पोझिट लुब्रिकेशन वाइंडर/कोन वाइंडर।
6. प्रिसिशन वाइंडर एवं फिनिशिंग मशीन/टिवन कोन वाइंडिंग तथा कॉप वाइंडिंग मशीन।
7. टयूब वाइंडिग मशीन।
8. ऑटो लेबलिंग तथा पॅकिंग मशीन।
9. बॉक्स स्टिचिंग/कार्टन स्ट्रॅपिंग मशीन।
10. बॉन्डींग मशीन।
11. स्पूल वाइंडर।
12. ब्रेइडिंग मशीन।
13. ब्रेइड डाटा पॅकेज वाइंडर।
14. ब्रेइड वॉक्सिंग मशीन।
15. ब्रेइड कॉप वाइंडर।
16. प्रि- ट्विस्टर/असेम्बली वाइंडिंग मशीन
17. अपट्विस्टर।
18. डाय पॅकिंग वाइंडर

जे. तकनीकी सलाहकार -सह- देखरेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझाी गई कोई अन्य मशीनें।

000

प्रोउनियो के अंतर्गत वूल स्कावूरिंग, कोम्बींग एवं कारपेट इंडस्ट्री के लिए पात्र मशीनों की सूची

ए.. स्पीनिंग के वर्स्टेड व्यवस्था हेतु वूल स्काउरिंग, काम्बिंग एवं स्पीनिंग मशीनरी :-

1. परिष्कृत वूल स्कावरिंग मशीन कार्बोनाइझिंग प्लॉट /लाईन सहित या उसके बिना ।
2. फाइबर ओपनिंग/ब्लेडिंग/क्लीनिंग/डस्टींग मशीन ।
3. उच्च उत्पादन वर्स्टेड कार्डस जो प्रतिघण्टे 50 कि.ग्रा. उत्पादन कर सकते हों।
4. उच्च गति इण्टरसेक्टिंग गील बॉक्स/चेन गील्स/रोटरी गील्स/उर्ध्वाधर (वर्टिकल) गील बाक्स जिसकी डिलवरी स्पीड कम से कम 400 मीटर प्रति मिनट होगी।
5. ड्राईंग सेट/रोलिंग फ्रेम/रबिंग फ्रेम की डिलवरी स्पीड 200 प्रति मिनट हो।
6. 12000 ग.प्र.मि. एवं उच्च गति के वर्स्टेड रिंग फ्रेम जिसमें साइरो स्पीनिंग अटैचमेन्ट लगें हों या नहीं/अथवा आटो डाफर्स लगें हों या नहीं।
7. जम्बों स्पीनिंग फ्रेम।
8. उच्च गति के रेक्टल्ीनियर काम्बर जिसकी गति 210 निप्स प्रति मिनट तथा उससे भी अधिक गति हो।
9. क्रमशः कम से कम 8000 ग.प्र.मि. एवं 5000 ग.प्र.मि. की गति से चलने वाले टू फार वन/थ्री फार वन ट्वीस्टर्स।
10. यार्न कन्डिशनिंग मशीन।
11. असेम्बली वाइंडिंग मशीन जिसमें माइक्रो प्रोसेस कन्ट्रोल की व्यवस्था हो।
12. प्रेसिसिअन कोन वाइंडिंग मशीन।
13. एअर स्प्लीसर्स
14. कार्ड के लिये स्वचालित वेस्ट निकालने की व्यवस्था, गिल बॉक्स, कोम्बर एवं रिंग फ्रेम जिसमें वेस्ट रिकवरी/रिसाइकिलींग मशीनरी लगे हो अथवा नहीं।
15. बेलिंग प्रेस फार वूल कॉम्बींग
16. वूल कार्बोनाइझिंग प्लॉट/ लाइन।

बी. **वूलेन स्पीनिंग सिस्टम के लिए मशीनरी** :

1. वूल स्काउरिंग मशीन।
2. उच्च उत्पादन कार्डिंग मशीन।
3. सेमी वर्स्टेड यार्न के लिए गील बाक्स।
4. स्पीड फ्रेम।
5. रिंग फ्रेम।
6. आधुनिक स्पीनिंग सिस्टम (डीआरइएफ)।
7. वाइंडिंग मशीन।
8. कार्ड के लिए वेस्ट रिकवरी/रीसाइकिलिंग मशीनरी के साथ या बिना, स्वचालित कचरा निकालने की व्यवस्था।

सी. शोडी स्पिनिंग सिस्टम के लिए मशीनरी :-

1. लगातार गारनेटिंग, रॅग टीयरींग एवं पुलिंग एवं कार्डिग मशीन।
2. रिंग फ्रेम।
3. वाईंडर

(डी) <u>कार्पेट उद्योग के लिए मशीनरी</u>

I <u>कार्पेट यार्न विनिर्माण की मशीनरी</u>

(i) वूलेन/सेमी वर्स्टेड यार्न की मशीनरी

(1) एसेम्बली प्लाइंग

(2) रीलिंग /हैंक से कोन वाइंडिंग/कोन वाइंडिंग से चीज एवं कोन।

(ii) दूसरे यार्नो के लिए मशीनरी

(1) चेनाइल स्पीनिंग

II कार्पेट इंडस्ट्रिस द्वारा उपयोग किये जाने वाले यार्नो की डाइंग एवं फिनिशिंग की मशीनरी

(1) स्टीम ड्रायर

(2) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर

(3) स्पेस डाइंग

(4) केम सेट मशीन /टिवीस्ट सेट

(5) टेप स्काउर

(6) सैम्पल डाइंग मशीन

(7) सहायक वस्तुएं

ए वॉटर ट्रीटमेंट /सॉफटनींग प्लाण्ट

बी कार्विंग/ इम्बोसिंग/सियरींग इक्वीपमेंट

सी कार्पेट साफ करने के लिए वैक्यूम सक्शन

III **वोवेन कार्पेट के लिए मशीनरी**

(1) एक्समिन्स्टर वीविंग

ए स्पूल ग्रीपर

बी जैकार्ड ग्रीपर

(2) विल्टन वीविंग

ए वायरलूम वीविंग / ब्रसेल्स वीविंग

बी फेस टू फेस वीविंग

(IV) <u>कार्पेट बनाने वाली अन्य मशीनरी</u>

(1) पास टफ्टींग

(2) निडिल फेल्टींग

(3) फ्यूजन बॉडिंग

(4) कार्पेट सीयरिंग एवं जे बॉक्स /जे स्क्रेस

(5) कार्पेट बैक कोटींग / कार्पेट के फिनिंशिंग एवं लेटेक्सींग के लिए कोटींग एवं ड्राइंग लाईन

(6) कार्पेट ओवरलॉकिंग / ओवर एजिंग मशीन

(7) कार्पेट लेबल मशीन

(8) कार्पेट वाइडींग / बेलिंग मशीन

(9) कार्पेट इनस्पेक्शन /रबींग मशीन

(10) कार्पेट फ्रिगिंग मशीन

(11) कार्पेट प्रिटींग मशीन

(12) कार्पेट टाइल बेंकिंग/ कोटींग /लेटेक्सींग एवं कटींग लाईन

(13) एम- टफ्ट (मोद्रा - टफ्ट)

(14) किब्बी

(15) नेड ग्राफींक

(16) वीव लिंक

V कार्पेट को जॉचने के उपकरण

(1) टफ्ट वीथड्रावल टेन्सोमीटर

(2) वीयर एवं एब्रेशन टेस्टर

(3) हैक्सपाड वॉकर टेस्टर

(4) कार्पेट डायनमिक लॉडिंग टेस्टर

(5) कार्पेट स्टेटिक लोंडिंग टेस्टर

(6) कार्पेट पाइल हाइट टेस्टर

(7) कार्पेट थीकनेस टेस्टर

(8) कार्पेट फ्लेमेबिल्टी टेस्टर

(9) लाईट फास्टनेस टेस्टर (जिनो टेस्टर)

(10) लाउंडर- ओ-मीटर

(11) क्रॉक मीटर

(12) झॉलेट एक्सट्राक्टर

ई तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य कोई मशीन।

000

ए. विस्कोस फिलामेंट यार्न एवं विस्कोज स्टेपल फाइबर विनिर्माण करने हेतु प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची ।

1. विस्कोस फिलामेंट यार्न के लिए कन्टीन्यूअस स्पिनिंग मशीन ।
2. कन्ट्रोल बोर्ड समेट स्पिनिंग मशीनों के लिए डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेन्सी इनवर्टर ।
3. संबद्ध फीड पध्दति के साथ फिनिशिंग ऑयल मिटरींग पम्प
4. विस्कोस के लिए मिटरींग गिअर पम्प
5. स्टिर्ड वेसल, मिटरिंग पम्प, उपकरण तथा नियंत्रण पैनल से परिपूर्ण विस्कोस डोप फिलामेंट के इंजेक्शन के लिए पोर्टेबल पध्दति
6. डिस्ट्रीब्युशन प्लेटस,(प्रि-स्पिनरेट) समेट प्रेशियस मेटल स्पिनरेटस
7. फ्लॅश इवॅपोरेशन द्वारा स्पिन बाथ डिगॅसिंग प्लान्ट
8. कॅन्डल फिल्टर्स के साथ स्पिन बाथ बॅकवॉश फिल्टरेशन पध्दति
9. विस्कोस तैयार करने के लिए कन्टीन्युअस डिसोल्विंग एवं होमोजीनाइझिंग पध्दति
10. विस्कोस के लिए कॉन्टिडिस्क फिल्टर्स
11. ग्रॅफाइट में स्पिनबाथ हिट एक्सचेंजर
12. विस्कोस के स्वचालित नियंत्रण प्राचलों के लिए डिस्ट्रीबुटेड सेन्ट्रल पध्दति (डिसीएस)
13. कताई के दौरान तथा प्रक्रिया के पश्चात स्वचालित केक हॅण्डलिंग पध्दति ।
14. प्रोसेसर नियंत्रित प्रेसिशन कोन वाइंडिंग मशीन
15. स्वचालित कोन पॅकिंग तथा पेलेटाइझिंग पध्दति
16. नॉटिंग विस्कोज फिलामेंट यार्न ब्रेक्स के लिए स्प्लाइसर्स
17. विस्कोज फिलामेंट यार्न स्टंेग्थ टेस्टर, इन्स्ट्रॉन या स्टॅटीमॅट या वाइब्रोडिन 400 मॉडेल
18. प्रक्रिया के नियंत्रण तथा पर्यावरण की देखरेख के लिए टेस्टिंग उपकरण:-
    - i वातावरण की देखरेख के लिए एअर सेन्ट्री
    - ii क्रॉस सेक्शन स्टडी हेतु स्टिरिओं माइक्रोस्कोप
    - iii व्रिस्कोस, पिगमेंटस् तथा टिओझ डिस्पर्शन स्टडीज् के लिए पार्टीकल साईज अनालाइजर
    - iv स्पीनेरीटीज इनस्पेक्शन माइक्रोस्कीप
    - v मैगनेटिक फलो मीटर इन बीआरआय
    - vi साफ्ट वाटर हार्डनेश
    - vii पोर्टबल कलर मैचिंग सिस्टम
    - viii वाइण्डर मशीन फार युनिफार्म शेड स्ट्रीट
    - ix प्रसाइज वाल्यूमटिक एनालिसस ऑटो टाइरेटर
    - x पोर्टेबल डेन्सिटी मीटर

19. **इको लेवल प्रमाणन** - इको पॅरामीटरों के लिए परीक्षण उपकरण :-
    - i हाई परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तथा हाई परफॉर्मन्स थीन लेयर मेटोग्राफी
    - ii परस्पिरोमिटर
    - iii वाश व्हिल मशीन
    - iv सहायक उपकरणों के साथ ऍटोमिक अब्सार्पशन स्पेक्ट्रोमीटर
    - v यूवी - विसुअल स्पेक्ट्रोमीटर
    - vi मास स्पेक्ट्रोमीटर समेत गॅस क्रोमेटोग्राफी
    - vii फोरिअर ट्रान्सफॉर्मिंग इन्फ्रा रेड स्पेस्ट्रामीटर
    - viii बी.ओ.डी. एवं सी.ओ.डी. मॉनीटर्स

बी. (i) **विस्कोस स्टॅपल फायबर के लिए मशीन ।**

1. पल्प-प्रि-ट्रिटमेंट-इलेक्ट्रान
2. स्वचालित पल्प फिडिंग पध्दति
3. स्वचालित स्लारी कन्सिस्टन्सी कन्ट्रोल पध्दति के साथ पल्प स्लरी मिक्सर
4. श्रेडर समेत ट्विन रोल स्लरी प्रेस
5. एजिंग ड्रम
6. स्वचालित अल्कलि सेलुकोस कन्वेइंग / फिडिंग पध्दति
7. अल्कलि सेलूलोस कुलर - स्वचालित तापमान नियंत्रण के साथ फल्युइडाइज्ड बेड टाइप
8. लाय फिल्टर (कॅन्डल फिल्टर्स)
9. स्वचालित चार्ज लाय तथा चार्ज वाटर मिक्सिंग तथा कुलिंग पध्दति
10. ऑटोमेशन के साथ ज़ौन्थॅटर
11. होमोजिनाइझर्स के साथ कन्टीन्युअस डिसॉल्पिंग पध्दति
12. स्वचालित प्रक्रिया नियंत्रण के साथ रिपेनिंग रूप, ऑटो बॅक फ्लश फिचर्स के साथ कनटीन्युअस फिल्टर्स, हाइड्रोलिक फिल्टर प्रेस, रद्द विस्कोज की वसुली हेतु सेन्ट्रीफ्यूज स्क्रु/गिअर प्रकार का विस्कोस पंप, विस्कोस हिटींग पध्दति बास्केट प्रकार का विस्कोस डेअेरेटर्स कन्टीन्युअस स्पिकिंग टॅंक्स
13. विस्कोस सेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्युटेड कंट्रोल पध्दति
14. स्वचालित स्पिनबाथ तैयार करना, परिचालन फिल्टिरेशन, हिटींग एवं इवॅपोरेशन पध्दति
15. हॅस्टीअलॉय-सी हैक्सा रोलर्स स्ट्रेच युनिट
16. उच्च गति के स्वचालित रोटरी कटर्स
17. कार्बन डाय-सल्फाइड रिकवरी थ्रु के लिए हॅस्टीअलॉय-सी
18. स्क्रबर्स एवं कन्डेन्सर्स के साथ कार्बन डाय सल्फाइड रिकवरी पध्दति
19. सम्प झोन कुलिंग तथा फिल्टरेशन पध्दति
20. फायबर की धुलाई,कन्वेइंग ऑल फायबर तथा रासायनिक प्रक्रिया हेतु आफ्टर ट्रिटमेंट पध्दति
21. आफ्टर ट्रिटमेंट केमिकल्स फिल्टरेशन पध्दति
22. न्युमॅटीक फायबर स्क्विझिंग पध्दति, वेट फायबर ओपनर, फायबर ड्रायर तथा स्वचालित इन्वेइंग पध्दति के साथ डाय फायबर
23. बेल वेट, नमी आदि की प्रक्रिया नियंत्रण के साथ संपूर्ण स्वचालित बेलिंग प्रेस
24. स्वचालित बेल हण्डलिंग पध्दति
25. स्पिनिंग से बेलिंग प्रेस के लिए डिस्ट्रीब्युटेड कंट्रोल पध्दति

(ii) **रंगीन फायबर के लिए मशीनरी ।**

1. कलर स्लरी प्रिपरेशन तथा इंजेशन हेतु डिस्ट्रीब्युटेट कन्ट्रोल पध्दति
2. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आधारित संगणकीकृत कलर मॅचिंग पध्दति
3. कलर स्लरी इंजेक्शन पम्प
4. ऑन लाइन फायबर गुणवत्ता देखरेख उपकरण
5. ऑन लाइन फायबर सम्मिश्रण, जॉच तथा निराकरण पध्दति
6. स्वचालित फायबर सॅम्पलिंग पध्दति (रोबोटिक प्रकार की)

(iii) उपयोगिता :-

1. विस्कोस फिलामेंट तथा विस्कोस स्टॅपल फायबर दोनों के लिए - प्रोसेस कुलिंग तथा राइपनिंग रूप एअर कंडिशनिंग एनर्जी इफिशियन्ट कुलिंग टॉवर्स हेतु रेफ्रिजरेशन पध्दति
2. 15 एच.पी. तथा उससे अधिक का एअर कॉम्प्रेसर

(iv) **लियोसेल फायबर प्लान्ट :-**

1. पल्पर्स
2. हाई विस्कोस रिएक्टर ऑपरेटिंग वॅक्यूम
3. थीन फिल्म इवॅपोरेटर्स
4. पॉलिमर पम्प
5. पॉलिमर फिल्टर्स
6. स्पिनिंग मॉड्यूल
7. फायबर वॉशिग तथा ट्रिटमेंट मशीन
8. फायबर ड्रायर्स
9. फायबर ओपनर्स
10. बेलिंग प्रेस
11. एजिटेटेड रिएक्टर
12. सहायक उपकरणों के साथ डिस्टीलेशन टॉवर
13. मल्टि स्पेज इवॅपोरेटर्स
14. आईओएन एक्सचेंज प्यूरिफिकेशन प्लान्ट

(v) **उच्च नमी वाले मोडयूलस विस्कोस फायबर**

1. मॉडल (एचडब्ल्यूएम) मशीन लाइन
2. सोडा स्टेशन के लिए पम्प
3. ब्राइन पीएचई
4. डिसॉल्वर के लिए हिट एक्सचेंजर
5. 3% कॉस्टिक पीएचई
6. मॅच्यूरिंग ड्रम हेतु रोटरी एअर लॉक
7. स्तर नियंत्रण पध्दति के साथ चार्ज वॉटर टॅंक
8. स्टिटर के साथ डोप टॅंक
9. विस्कोस परिचालन पम्प
10. फ्लॅश टॅंक से पहले हिट एक्सचेंजर
11. स्पिनिंग पम्प
12. स्पिनिंग पम्प के बाद हिट एक्सचेंजर
13. स्पिनिंग से बेलिंग तक संपूर्ण पध्दति स्पिन बाथ टॅंक तथा पंप
14. स्पिन बाथ टॅंक तथा पंप
15. झिंक डिसॉल्विंग पध्दति
16. स्पिन बाथ फिल्टर्स एवं एक्सझॉस्ट फॅन
17. स्पिन बाथ कुलिंग के लिए हिट एक्सचेंजर
18. रोटरी वॅक्यूम फिल्टर एवं पंप

सी **तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें ।**

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वीविंग,निटिंग के लिए पात्र मशीनों की सूची ।

ए. प्रारंभिक वीविंग के लिए :-

1. सिंगल यार्न साइझिंग मशीन
2. उच्च गति वाली मल्टी सिलेंडर साइझिंग मशीन/झिरों ट्विस्ट साइझिंग मशीन
3. क्रील के साथ अति उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (शटललेस करघों के लिए)
4. क्रील के साथ उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (ऊनी इकाईयों के मामलों में शटललेस करघों के लिए)
5. क्रील के साथ उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (स्वचालित शटललेस करघों के लिए)
6. वार्प टाइंग मशीन
7. स्वचालित ड्राइंग इन मशीन/रिचिंग इन मशीन
8. संपूर्ण स्वचालित पीर्न वाइंडिंग मशीन (स्वचालित शटललेस करघों के लिए)
9. हाइड्राऊलिक बीम लिफ्टिंग ट्रॉली (शटललेस करघों के लिए)
10. बुनाई (विकल्प) के लिए संगणकीकृत डिजायन पध्दति
11. क्रमशः न्यूनतम 8000 आरपीएम एवं 5000 आरपीएम गति से चलने वाले टू फॉर वन ट्विस्टर/थ्री फॉर वन ट्विस्टर
12. ड्रा वार्पिंग एवं साइझिंग मशीन
13. 800 मीटर प्रति मिनट की गति वाली कॉल्स ट्विस्ट टेक्सचराइसिंग मशीन
14. माईक्रो प्रोमेसर्स/कट चेन्नील यार्न मशीन के साथ फॅन्सी यार्न ट्विस्टर एवं डबलर्स
15. यार्न सिंजिंग मशीन
16. ऑटोस्टॉप एवं टंेशन कंट्रोल के साथ सेक्शनल वार्पिंग मशीन
17. कोन डाइंग मशीन
18. पीर्न वाइंडिंग मशीन
19. हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर वर्टिकल एक्सिट वार्पिंग मशीन
20. आटो रोलिंग स्टीच मशीन
21. बीम गेटिटिंग ट्राली
22. वार्प लीजिंग मशीन
23. डार्बी डिजाईन कार्ड पंचीग एवं कापिडंग मशीन
24. स्वचालित स्टोरेज सिस्टम

बी. करघे के शेड (वीविंग) के लिए :-

1. शटललेस **करघे**:- प्रोजेक्टाइल एवं रैपिअर करघों के लिए
1152 हुक्स जॅकॉर्ड मशीन के साथ हाई स्पीड रेपिअर वीविंग रैपिअर वीविंग करघें तथा विभिन्न चौड़ाई वाले लेबल के विनिर्माण करने हेतु आवश्यक टेप्स एवं उपकरण बनाने के लिए फिट किए गए इंटरमिटेन्ट कटींग नाईफ के साथ निम्न वेफ्ट निवेशन दर के साथ एअरजेट तथा वाटरजेट करघों के लिए

(i) प्रोजेक्टाइल करघों के लिए 800 मीटर प्रतिमिनट तथा उससे अधिक। पुरानी सुल्जर प्रोजेक्टाईल वीविंग मशीन के वेफ्ट निवेशन पर में न्यूनतम 5% तक की कमी की अनुमति है ।

(ii) अन्य शटललेस करघों के लिए 450 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक । एसएसआई इकाईयों के लिए रैपिअर शटललेस करघों का वेफ्ट निवेशन दर 250 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक होगा ।

2 **शटललेस करघे (ऊनी इकाइयों के लिए)**

(i) प्रोजेक्टाइल करघों के लिए 800 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक तथा

(ii) अन्य शटललेस करघों के लिए 450 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक । एसएसआई इकाइयों के लिए रैपिअर शटललेस करघों का वेफ्ट निवेशन दर 250 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक होगा ।

3. **स्वचालित शटल वाले करघें ।**

4 टेरी टॉवेल लूम (संपूर्ण स्वचालित या शटललेस)

5. कटपाइल फॅब्रिक्स हेतु कॅर्डुरॉय तथा/अथवा वेलवेट लूम तथा/अथवा स्वचालित लूम ।

6. कॅनवास लूम

7. पावर ड्रिवन चेनीली लूम

8. टेप/बेल्ट वीविंग के लिए हाई स्पीड निडल लूम

9. ऑटो क्रट्रोल ठाइप ऑफ हयुमिडिफिकेशन प्लान्ट(शटललेस लूम शेड के लिए)

10. नमी तथा ताप नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आर्द्रता पध्दति (स्वचालित लूम शेड हेतु)

11. एअरजेट लूम्स हेतु ओवर हेड क्लिनर

12. डस्ट सेपरेटर

13. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन

14. फॅब्रिक एम्ब्रॉइडरी मशीन

15. स्टॅण्ड अलोन आधार पर जॅकॉर्ड तथा डॉबी

16. पॉवर ड्रिवन क्लाथ कटींग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटींग मशीन

17. 15 एच पी तथा उससे अधिक का एअर कॉम्प्रेसर

18. इलेक्ट्रानिक प्रोसेस कन्ट्रोल के साथ टफ्टींग मशीन

सी. **निटींग के लिए :-**

1. उच्च गति की गोलाकार निटींग मशीन। अनुज्ञेय पुरानी दुरूस्त की गई गोलाकार बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति 20 चक्कर प्रति मिनट होगी । आशोधन की प्रभावि तिथि दिनांक 21 जनवरी,2003 है।

2. इलेक्ट्रानिक जॅकॉर्ड के साथ या बिना उच्च गति की सॉक्स निटिंग तथा ग्लोवस निटिंग मशीन

3. संगणकीकृत फ्लॅट बेड निटींग मशीन के लिए 11 चक्कर प्रति मिनट

4. (ए) वार्प/राचेल निटिंग मशीन

5. (बी) निटिंग के लिए उच्च गति की संगणकीकृत वार्पिंग मशीन

6. संगणकीकृत लेबल बनाने वाली मशीन

7. संगणकीकृत स्ट्रॅप (कॉलर/कफ) फ्लॅट बेड निटींग मशीन

8. नमी तथा ताप नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आर्दता पध्दति

9. 15 एच.पी तथा उससे अधिक का एअर काम्प्रेसर

डी. **हथकरघा :-**

1. डॉबी/जॅकॉर्ड के साथ बिना तथा बेंचमार्क प्रौद्योगिकी विशेषताओं, जैसे टेक अप मोशन, समुथ स्ले मुवमेंट, बड़ा शटल तथा बॉबीन (न्यूनतम 4") नकारात्मक लेट ऑफ मोशन के साथ न्यूनतम 52" चौड़ाई वाली अर्ध स्वचालित/साधारण् फ्रेम वाले हथकरघे। इनमें वेफ्ट बुट्टा यंत्रावली, पिक अण्ड पिक स्लाइडिंग शटलबॉक्स,सॉलिड बॉर्डर वीविंग कॅचकार्ड अटॅचमेंट जैसे उपकरण शामिल है। फ्रेम लूम 1/2"X 11/2 X 3" स्टील यू चैनल या 2 1/2" व्यास तथा 8 गेज के स्टील पाइप या न्यूतम 4" चौडे X 6" लंबे मजबूत लकडे से बनाए जाए। लंबी लंबाई के फॅब्रिक की बुनाई सुनिश्चित करने हेतु लकड़े या स्टील से बने अतिरिक्त वार्प एवं क्लॉथ रोलर करधों मे होने चाहिए।

2. डॉबी जैसे लॅटीस बॅरेल/टॅपेट/ड्राबार/आर्यन फ्रेम वर्टीकल/सेंटर क्लोज्ड शेड/वुडन फ्रेम वर्टीकल/डबल सिलेंडर आर्यन बॉर्डर,जॅकॉर्ड जैसे सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर वुडन फ्रेम/सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम बार/डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम/डबल लिफ्ट डबल सिलेडंर आर्यन फ्रेम/ जनता/लिनों के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करघे के हथकरघे, जाला तथा डॉबी या जॅकॉर्ड का संयोजन, एक तरफ लगे हुए ड्रॉप बॉक्स/ दोनों तरफ लगे हुए ड्रॉप बॉक्स/गोलाकार शटल बॉक्स/ पिक अण्ड पिक स्ले के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल स्ले।

3.. **लेट** ऑफ मोशन जैसे लिवर तथा वेट लेट ऑफ मोशन/स्पेशल स्पिंग मोशन/ रोप लेट ऑफ मोशन/वेट सिस्टम/स्पिंग सिस्टम के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करघे।

4.. **टेक** अप मोशन जैसे रॅचेट एण्ड पॉल मोशन/ 3 बील इचलकरंजी टाइप मोशन इमरी रोलर के बिना 5 बील टेक अप मोशन/ 7 बील टेक अप मोशन के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम लूम।

5. विशेष सहायकों जैसे कॅच कार्ड पध्दति/स्वीवेल करधे/ लॅपेट मोशन/टेरी मोशन/लिनो यंत्रावली/चेन्नाइल वीविंग(बुनाई के दौरान चेन्नाइल की स्वचालित कटींग) मेटल फ्रेम वाले हथकरघे/चौड़ी चौड़ाई के लकड़े के फ्रेम के हथकरघे/लम्बी लंबाई वाले कपड़े बुनने की यंत्रावली आदि के साथ फिट किए गए हथकरघे।

टिप्पणी :इसके अतिरिक्त हथकरघा इकाईयों के पियानों कार्ड पंचिंग मशीन/इलेक्ट्रानिक कार्ड पंचिग मशीन भी उपलब्ध करायी जाएगी।

6. हाथ /पेडल/पॉवर से संचालित पिर्न/बॉबिन्स/ ड्रम्स तैयार करने के लिए मल्टी स्पिंडल के साथ वाइडिंग मशीन।

7. हाय स्पीड डॉबलिंग मशीन जिसमें स्पीन्डल बोल्स्टर में बाल बेयरिंग सहित हो।

8. मोबाईल वस्त्र गुणवत्ता परीक्षण उपकरण जो केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए है तथा निम्न के परीक्षण के योग्य है।

- लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक धुलाई के लिए रंगों का पक्कापन
- क्रॉकींग/रबिंग के लिए रंगों का पक्कापन
- सिकुडन
- प्रति इंच एण्डस्-पिक्स
- यार्न का काऊन्ट
- यार्न के क्रिम्स का प्रतिशत
- फैब्रिक की चौड़ाई तथा
- प्रति स्क्वेअर मीटर ग्राम, आदि

ई. तकनीकी सलाहकार सह- देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

परिशिष्ट एमसी -6

नान वोवन / तकनीकी वस्त्रों के प्रौउनियो के अंतर्गत पात्र मशिनरी / उपकरणों की सूची।

(क) स्पीनिंग

(1) फ्रीक्शन स्पीनिंग

(2) स्पीनिंग के लिए एसेसरीज विशेषकर यदि जैसे अर्माइउ एवं हाई प्रफार्मेश यार्न

(3) डोबलिंग अथवा हण्डस्ट्रीयल यार्न हेतु ट्विस्टींग मशीन

(ख) वीविंग की तैयारी

(1) हाई स्पीउ कम्प्यूटराइज्ड वार्पिंग / सेक्शनल वार्पिंग मशीन

(2) फिलामेंट वाइण्डींग मशीन फार टेक्सटाइल पोजीशन

(3) स्पुलिंग मशीन

(4) वीविंग मशीन

(5) केन्स्टिर बीम वार्पिंग मशीन

(6) असेम्बलिंग मशीन

(7) स्वचालित क्राइलिंग वाइन्डर मशीन

(8) स्वचालित कास्टेनिंग टेप असेम्बलिंग फिक्सचर

(9) स्वचालित ज्वाइनिंग एवं वाइण्डींग मशीन

(ग) वीविंग

(1) हैवी डयूटी शटल रहित वीविंग मशीन जो टेक्नीकल टेक्सटाइल के उत्पादन में लगे।

(2) हैवी ड्यूटी टेप वीविंग

(3) वाई एक्सल एवं मल्टी एक्सल वीविंग मशीनरी

(4) मल्टी फेज वीविंग मशीन

(5) उन्डी एवं क्लाक वीविंग मशीन

(6) नीड़ल लूम फार नैंरो वोवेन फैब्रिक

(7) सर्कुलर लूम

(8) पोजिशन ड्राइवेन कम्प्रेसर स्टैण्ड असेम्बली

(घ) नीटिंग

(1) वेफट इन्सर्टेड वार्प नीटिंग मशीन (डब्लू आई डब्लू के)

(2) नीटिंग मशीन फार स्पेशर फैब्रिक

(3) बाई – एक्सल एवं मल्टी ऐक्सल नीटिंग मशीन

(4) ट्राइकाट मशीनरी

(5) रैचल ड़बल नीडल वार मशीन

(6) रैचल मशीन फार नीटिंग

(7) वार्प नीटिंग स्स्टिम युक्त मशीन

(8) सर्कुलर वार्प नीटिंग मशीन फार कम्प्रेशन गार्मेन्ट

(9) स्टीच वाण्डींग मशीन

ख्ख्

(ङ) <u>प्रोसेसिंग</u>

(1) मेकेनिकल फोमर जो क्रश कलेजर सहित से

(2) पतद्रूजन मशीन एवं इक्वीपमेण्ट

(3) स्पैटटींग मशीन एवं इक्वीपमेण्ट

(4) एफ आर पी प्रोसेसिंग मशीन एवं इक्वीपमेण्ट

(5) आर टी एम (रीइन फोसर्ड टेक्सटाइल मैटीरीयल) मशीन एवं इक्वीपमेण्ट

(6) लैब स्केल प्रोडक्शन / प्रोसेसिंग इक्वीपमेण्ट फार टेक्नीकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट डेवलपमेण्ट

(7) गेटींग एवं / अथवा लैमिनेटींग मशीन

(8) कैलेण्डरींग मशीन

(9) फीनिशिंग मशीनरी फार इम्प्रगनेटींग यार्न या फैब्रिक हेतु

(10) डीपींग मशीन फार टायर कार्ड / इण्डस्ट्रीयल फैब्रिक/ वेल्टींग डक्श।

(11) डीपींग मशीन फार सिंगल इण्ड अथवा कार्ड फार रीइफोर्समेण्ट ऑफ बी- बेल्ट /होसेस /होस टायर्स

(12) प्रीटिंग मशीन फार वोटेड /लैमिनेटेड फैब्रिक

(13) को गुकोटेड पी यू अथव पी बी सी डीप कोटिंग मशीन / पी यू अथवा पी बी सी कोटिंग लाइन अथवा कोटिंग डीपींग /नाइफ मशीन जिसमें इन्फ्राटेड ड्रायर सहित।

(14) फलैबसोनग्रफिक प्रीटिंग मशीन रोवेन रौक के उत्पादन मे से जो कि सम्पूर्ण लागत का हिस्सा है। (यह मशीन स्टैण्ड अलेन आधर पर पात्र नहीं होगी।)

(एफ) <u>मेडअप टेक्नीकल टेक्सटाइल (टीटी) स्टोर</u>

(1) कम्प्यूटराइज्ड कटिंग इक्वीपमेण्ट

(2) हाट एयर वेल्डिंग इक्वीपमेण्ट

(3) आर एफ (रेडिओ फ्रेक्वेन्सी) वेल्डींग इक्वीपमेण्ट

(4) अल्ट्रासोनिक कटिंग एवं सीविंग इक्वीपमेण्ट

(5) लेजर कटिंग एवं सीलिंग इक्वीपमेण्ट

(6) टूल्स एवं रीग्स फार फैब्रिकेशन ऑफ टी टी उत्पाद

(7) प्रीटिंग इक्वीपमेण्ट फार सिगनेज

(8) हीट सेटिंग मशीन एवं स्ट्रेचिंग (फार हीट सेटिंग टेबल)

(9) बैंक कोटिंग लाइन्स

(10) ब्रेडिंग मशीनरी

(11) मशीनरी फार मॅन्यूफॅक्चर ऑफ क्लेलिनर

(12) मशीनरी फार मैन्यूफैक्चर ऑफ प्रीफैब्रीकैटड कर्टिकल ट्रेब /प्रीफैब्रीकेटेड विक ट्रेब

(13) कम्पलीट याण्ट फार मे किंग फेल्ट ।

(जी) <u>नॉन वेंविन टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चरींग मशीनें :-</u>

(1) वेल ओपनर्स

(2) फायबर ओपनर्स

(3) फोरक्यूपाइन वेटर / ओपनर डबल वेटर के साथ अथवा अन्य समान ओपनर

(4) फायबर बलेझडींग / मिक्सिंग

(5) फीडर होपर्स / च्यूट / फीडिंग यूनिट

(6) कार्डस

(7) क्रास – चैपर्स

(8) सैच्यूरेटर

(9) एयर लेइंग / वेब लेइंग / वेब फोर्मिग मशीन

(10) बेक ड्राफटर्स

(11) वेब एक्सपेन्डर्स

(12) प्रिन्ट बाण्डर

(13) वेब कन्वेयर्स

(14) वेब कन्ट्रोल सिस्टम –वेट / यूनिफार्मिटी /एलाइन्मेण्ट

(15) वेट फीडर्स

(16) प्री – नीडलर / टोकर्स

(17) वेब ऐटन ड्रीमिंग एवं री – साइकिलिंग सिस्टम

(18) ऐज ओपनर्स

(19) एक्यूमूलेटर

(20) स्टेकर्स

(21) अन वाइण्डर्स / वाइण्डर्स / स्लीटर्स / स्लीटर –सह –वाइण्डर / स्टेकर्स

(22) कम्प्रेसन सेल्स

(23) हीटेड कैलेण्डर

(24) चील्ड कैलेण्डर

(25) चिलर

(26) स्टेण्टर

(27) बलो रुम इक्वीपमेण्ट

(28) वाइझडींग एवं कटिंग मशीन

(29) ऑल टाइप ऑफ नीडल लूम

(30) स्टीच वाण्डींग मशीन जरुरी उपस्करों सहित

(31) केमकली वोण्डेड नॉन वोवेन

(32) आटो फोम जनरेटर

(33) विन्डर मिक्सिंग टैक्स

(34) बिन्डर अटलीकेटर्स ऑफ आल टाइप प्रिन्ट डीप नाईफ आदि

(35) ड्राइंग एवं कटींग मशीन स्टीम / एलेक्ट्रीक / आयल / गैस ही टेड

(36) 30 " स्टेनलेस स्टील ड्राइंग सिलेण्डर्स रेंज वीथ कस्टी 5 से 6 सिलेण्डर्स टेफलान कोटेड।

(37) स्प्रे वूभ वीथ स्प्रे गन्स

(38) वाइडर एप्लीकेटर

(39) कटींग ओवेन स्टीम / इलेक्ट्रीक /आयल /गैस हीटेड

(40) थर्मल वोबड कैलेण्डर

(41) थर्मोपैक फॉर हीटींग ऑफ कैलेण्डर

(42) हॉट एयर ओवेन

(43) थर्मोपैक फॉर हीटींग ऑयल

(42) ड्राइंग एवं / अथवा बलीचिंग मशीन फार फायबर

(ii) <u>स्पनलेस नान वोवेन प्लाण्ट में सम्मिलित हैं :-</u>

(1) हायड्रो इन्टेनगलमेण्ट यूनिट

(2) सक्शान यूनिट

(3) हन्प्रेविंग यूनिट

(4) ड्रायर ऑन लाइन प्रीटिंग यूनिट

(5) हीटिंग सिस्टम

(6) वाटर फिल्टर सिस्टम

(7) वायलर फार धार्मिक फलूड / अवयल क्रास – चैपर्स

(8) हाई प्रेशर पम्पस

(9) जेट स्ट्राइप क्लीनिंग इक्वीपमेण्ट

(10) जेट बीमस

(11) फीनिशिंग सेमी बेल्ट वैक्यूम वीम सहित।

(12) वाइण्डर वीथ स्लीटर

(iii) <u>स्पनवाल नान वोवेन मशीनों में सम्मिलित हैं :-</u>

(1) चीफ फीडर

(2) ड्रायर

(3) एक्सट्रूडर

(4) स्पाइन रेटीस

(5) कूलिंग चेम्बर

(6) फिलामेण्ट लेइंग

(7) कम्प्रेसर रोल

(iv) <u>कम्पलीट मेल्ट एलोन लाइन में सम्मिलित हैं :-</u>

(1) पेलेट हैण्डलींग सिस्टम

(2) स्क्रील चेंजर

(3) मेल्टब्लोन डाइ

(4) लैमिनेशन स्टैण्ड

(ज) <u>फिनिशिंग मशीन :-</u>

(1) हाट मेटल कोल्ड ग्लू अप्लीकेटर्स फार कोटिंग

(2) अल्ट्रासोनिक स्लीटिंग मशीन / एज सीलर

(3) ब्रेजिंग मशीन विथ टार्च (हॉट एयर हेतु)

(4) पी एल सी आयरेटेड सिस्टम वीथ सर्वो ड्राइव फार मेजरमेन्ट / कन्ट्रोल आफ टेन्शान एवं टेम्प्रेचर

(5) सभी प्रकार के सिलाई मशीन

(6) फिल्म कैलेण्डरींग मशीन

(7) ऑटोमेटिक पैकिंग एवं इन्सपेक्शन मशीन

(8) हीटेस्ट ओवन वीथ स्टेन्टर फैसिलीटी

(9) क्लीविंग प्रेस

(10) पायलट / लैब कोटिंग लाइन

(11) हाइ प्रेशर पम्पकार वाटर जेट कटिंग सिस्टम

(12) रोबोटिक वाटर जेट कटिंग सिस्टम

(13) सेगेट फार वाटर जेट कटिंग सिस्टम

(14) वाटर साफटनींग / प्यूरीफीकेशन सिस्टम फार वाटर जेट कटिंग

(15) पाउडर स्कैटरींग / पोस्ट डाट / पावडर डाट के लिए मशीन

(16) फयूसीवल इण्टरलीण्गींग

(17) पैडींग मैंगले (फूलर्ड)

(18) एकसट्रूडर लैमिनेशन मशीन

(19) शीट एक्सट्रूडर्स एण्ड लैमिनेशन मशीन

(20) सिंजीइंग मशीन

(21) क्लीप / पिन स्टेण्टर फार हीट सेटींग

(22) फलेम लैमिनेशन मशीन

(23) डस्ट कलेक्टर्स

(24) जैकार्ड मशीन फार ज्वाइनिंग टू ऐज वाई इण्टर वीविंग

(25) ट्यूरीट वाइण्डर एवं अनवाइण्डर

(26) हाइ स्पीड प्रेसीजन मिर्क्स फार प्लास्टी सोल्स / आर्गेनोसोलस्

(27) गुनिंग एवं कटिंग मशीन

(28) ग्रोमेट फिक्सींग मशीन

(29) पी यू टम्बलींग मशीन एवं ड्राइंग मशीन

(30) डी एम एफ रिकवरी प्लाण्ट एवं डिस्टीलेशन प्लाण्ट

(31) प्रींटींग मशीन फार कोटेड टाइल्स

(32) सभी प्रकार के कोटर्स जैसे नाइफ ओवर रोल, किश रोल कोटर, स्क्रीन कोटर इत्यादि

(33) मल्टी सिलेण्डर ड्राइंग रेंज

(34) रोटरी एवं फलैट बेड स्क्रीन प्रींटिंग मशीन

(35) डीपिंग प्लाण्ट

(एच) <u>नान वोवन कन्वटींग मशीन :-</u>

(1) कम्प्लीट थर्मो फाउलडींग लाइन्स

(2) कम्प्लीट थर्मो सेटींग लाइन्स

(3) मशीनरी ऑफ कार्पेट / एन वी एच माडल्डींग लाइन्स ओवन / प्रेस

(4) कन्वेयर / थर्मोपैक फार हीटींग / चिलर फॉर कूलिंग

(5) मशीनरी फॉर माउलडेड एफ लाइनर्स

(6) डाइ कटिंग प्रेसेस

(7) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू फेस मास्क / इस्ट मास्क / डक बिल मास्क / इयरलूप मास्क सीलिंग।

(8) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू वाडफोन्ट कैप्स सर्जिकल केंप / मेडीकैप मेकिंग मशीन

(9) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू गोन्स / पिलो शिप / शू कवर्स / आईस पैक वाडी /आईस पैक बैण्ड सीलिंग एवं कटींग / हैण्ड बॅग / फिल्टर पोकेट /हेड रेस्ट कवर / सी डी / डी वी डी कवर एवं अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ।

(10) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू सैनिट्री नैपकीन्स / बेबी डायपर्स / एडल्ट डायपर्स।

(11) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू ड्राइ एवं वेट वाइप्स।

(12) मशीनरी फॉर स्लीटींग एवं रीवाइंडींग ऑफ नान वोवन रोल

(13) सर्जिकल गड मशीन मेकिंग

(14) फस्वाइन्ड ड्रेसींग मेकिंग मशीन

(15) बैण्डेज रोल मेकिंग मशीन

(16) कम्प्रेस करने वाली मशीन

(17) एबडोमिनल स्पंज मेकिंग मशीन

(18) स्वचालित मेकिंग मशीन

नोट :- क्रम सं. छ (i) से छ (iv) ज एवं झ की दी गई मशीनरी केवल पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत ही नान वोवन एवं कन्वटर्स ऑफ नान वोवेन फिनिशड्र उत्पाद के लिए पात्र हैं।

(ञ) <u>टेस्टींग इवल्यूवेशन मशीनरी :-</u>

1 टी टी (तकनीकी वस्त्र) तथा टी टी पी (तकनीकी वस्त्र उत्पाद) हेतु विशेष परीक्षण उपकरण तथा रिग्ज।

2 युनिवर्सल टेन्साइल परीक्षण मशीन 10 टन/20 टन

3 इंडेक्स पंक्चर रेसिस्टन्स टेस्टर

4 फ्रिक्शन अपॅरेटस का को-इफिशियन्ट

5 पार्टिकल साइज डेटरमिनेशन अपॅरेटस

6 ग्रेडिएन्ट रेशों टेस्ट अपॅरेटस

7 लॉग टाइम फ्लो अपॅरेटस

8 फेल्टपर्म

9 ई डब्ल्यू ई के साथ पॉइन्ट पेपर डिजायन पध्दति

10 वेदरोमीटर

11 यार्न श्रिंकेज तथा श्रिंकेज फोर्स परीक्षन मशीन

12 विस्मोमीटर

13 मशीन मॉनीटरिंग हेतु डाटा लॉगर्स तथा फ्लेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर

14 टिअर टेस्टिंग मशीन

15 कोल्ड क्रॅक रेसिस्टन्स टेस्टिंग

16 थिकनेस गेज

17 वाटर रेपेलेन्सी टेस्टिंग मशीन

18 वाटरफ्रुफिंग टेस्टिंग मशीन

19 आग रोधक परीक्षण उपकरण

20 ऍक्सिलरेटेड एजिंग टेस्टिंग ओवन

21 रेन वॉटर परीक्षण उपकरण। निरंतर वॉटर स्प्रे टेस्ट तथा आई आर स्पेक्ट्रोमीटर आदि

22 संतुलन उपकरण /स्केल के सभी प्रकार

23 अब्रेशन टेस्टर्स

24 कलर मैचिंग कैबीनेट

25 कलर फास्टनेस टेस्टर्स

26 एक्सीलेरेटेड क्रिप टेस्टर्स

27 एअर परम्याबिलिटी टेस्टर्स

28 झीओ मेम्ब्रन हेतु हाइड्रो स्ट्राटिक पंचर्स टेस्ट

29 हाइड्रोलिक ग्रीप

		30	प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप
(ट)	अन्य सहायक उपकरण	1	एअर कॉम्प्रेसर
		2	बॉयलर
		3	स्टिरर
		4	ह्युमिडिफायर
		5	कंट्रोल पैनल आदि के लिए एअर कंडीशनिंग युनिटें

ठ. तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति (**टीएएमसी**) द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य कोई मशीन

परिशिष्ट - एमसी -7

ए. गारमेंट/मेड अप्स विनिर्माण हेतु पात्र मशीनों की सूची।

1. ट्रिमर ओवर एजिंग/सिमिंग तथा बॅन्डींज ऑपरेशन के साथ या बिना सिंगल/मल्टी निडल पॉवर ऑपरेटेड इंडास्ट्रियल लॉकस्टिच सिलाई मशीन।
2. क्लाइंड स्टिच मशीन/चेन स्टिचिंक मशीन
3. पॉवर ऑपरेटेड लिंकींग /लूप बनाने की सिलाई मशीन
4. पॉवर ऍपरेटेड फ्लॅट लॉक / ओवरलॉक मशीन
5. झिगझॅग फ्लॅट बेड सिलाई मशीन
6. बटन स्टीच करने की सिलाई मशीन
7. लेबल/इलास्टिक लगाने की मशीन
8. बटन होल सिलाई मशीन
9. जे स्टीच सिविंग मशीन
10. एज कटींग सिविंग मशीन
11. आइलेट बटन होल सिविंग मशीन
12. बेल्ट लगाने की मशीन
13. झिप लगाने की मशीन
14. बार टॅकिंग मशीन
15. हेमस्टिच मशीन
16. स्मॉकिंग मशीन/मल्टी निडल सिरिंग मशीन
17. पॅटर्न मेक्र/ग्रेडर/मार्कर मशीन/लेसर मार्कर
18. पॉवर ड्रिवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटिंग मशीन
19. बॅन्ड नाईफ कटिंग मशीन
20. कॉलर एवं कफ टर्निंग तथा ब्लॉकिंग मशीन तथा प्रेसिंग मशीन
21. बटन एवं रेवेट/स्नेज फास्टनर्स फिक्सिंग मशीन
22. पॉकेट क्रिसिंग तथा वेल्डिंग मशीन/ ऑटो पॉकेट बनाने की मशीन

23. वॅक्यूम टेबल तथा/अथवा बक प्रेस के साथ इंडस्ट्रियल स्टिम आर्यन

24. स्टिम प्रेस/वॅक्यूम प्रेस के लिए बॉयलर, स्टिम कॅबिनेट वॅक्यूम टेबल

25. फ्युसिंग प्रेस

26. कॉलर कॉन्टॉर ट्रिमर

27. वॅक्यूम तथा/अथवा एअर ब्लोइंग उपकरण के साथ स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग टेबल।

28. शोल्डर पॅड अटॅचिंग मशीन

29. पॉकेट कटिंग मशीन

30. संगणकीकृत कॅड/क्रॅम/कटिंग मशीन

31. स्वाचालित पॉकेट अटैचिंग मशीन

32. राऊड नाईफ कटिंग मशीन

33. एन्ड कटर विथ क्लाथ ट्रेक

34. क्लॉथ प्रेस ट्रॅक समेत एन्ड कटर

35. क्लॉथ ड्रिलींग मशीन

36. कॉलर पॉइन्ट ट्रिमर/गिअर नॉचर मशीन

37. हाय स्पीड फुल्ली फॅशन्ड निटिंग मशीन

38. निटिंग गारमेंट के लिए होल गारमेंट मेकिंग मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ पॉवर ऑपरेटेड गारमेंट पॅनल फॉर्मिंग निटिंग मशीन।

39. पॉवर ड्रिवन सॉक्स तथा ग्लोवल निटिंग मशीन

40. स्वचालित थ्रेड ट्रिमिंग/सकींग मशीन

41. शट फोल्डिंग मशीन

42. दाग/धब्बे निकालने की मशीन

43. पर्ल/बिडस्/स्टोन्स/ग्लासेट/हूक तथा बार अटॅचिंग मशीन

44. क्विल्टिंग मशीन

45. फॅब्रिक निरीक्षण/ जॉच मशीन

46. निडल/मेटल डिटेक्टर मशीन

47. मल्टी हेड संगणकीकृत एम्ब्रायडरी मशीन

48. प्लॉटर के साथ कॅड/कॅम पॅटर्न-मेकर तथा एम्ब्रायडरी मशीन हेतु सॉफ्टवेअर उपकरण समेत सॉफ्टवेअर

49. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन/संगणकीकृत लेबल प्रिंटिंग मशीन

50. बटन रैपिंग / शंकींग मशीन

51. फिड ऑफ दी आर्म इंडस्ट्रीयल सिलाई मशीन

52. स्वचालित डार्ट/प्लिट मेकींग मशीन

53. स्वचालित लेबल/प्लाज पिकिंग मशीन

54. पीन टकिग मशीन

55. यांत्रिक फैब्रिक पिनिंग टेबल

56. सिंगल निडल बास्टिंग मशीन

57. सिंगल निडल पोस्ट बेड स्लीव सेटिंग मशीन

58. हॅगिंग प्रोडक्शन कन्वेयर पध्दति

59. इलेक्ट्रानिक बार ऑपरेशन के साथ लेसेस तथा बॅन्ड के लिए क्रोचेट मशीन

60. स्ट्रिंग थ्रस्टींग मशीन

61. कम्प्यूटर कलर मशीन (मशीन)

62. किन्ट शर्ट सेन्टर प्लास्ट स्वाचालित मशीन

63. ब्लैट लूम अटैचमेन मशीन

64. बटन पैकट

65. कॉलर हिट नॉचर

66. स्पॉट केल्डिंग मशीन

67. लेजर फैडिंग/मार्ककिंग/ड्राईग मशीन

68. लेटर ऑपरेटेड कलर स्पायईंग मशीन

69. आरएमजी कोरलिंग/हरर्ट स्टेयिंग वोवन

70. 15 एच पी से अधिक एअर काम्प्रेशर

71. कम्प्राइज स्टेप(कॉलर /कॉप)फ्लैट बैड निटिंग मशीन

72. कप स्टीमर

73. इलेक्ट्रानिक फीट एण्ड कटिंग ड्रायवर स्वचालित स्टैप कटर मशीन

74. कप मोलडिंग मशीन

75. आटो िरलिंग स्टीच मशीन

76. स्वचालित कोबिंन पैंनल- ज्वाइनिंग / पर्द के टॉप की अटैच मशीन

77. संपूर्ण स्वचालित कर्टन हुक फिडिंग डिवाईस के साथ इलेक्ट्रानिक प्रि-प्रोग्राम स्ट्रेट लाईन लॉकस्टीच कर्टन प्लिट टैकर

78. स्वचालित कम्बाईन पैनल जाईनिंग एवं हिमिंग मशीन

79. स्वचालित लॉकस्टीच कर्टन हिमिंग मशीन

80. संपूर्ण स्वचालित कम्बाईन थ्रेड चेंन स्टीच रिंग अटैच/पिंच प्लिट टैकिंग मशीन

81. प्रोसेसिंग मैटल कर्टन रिंग हेतु हायड्रोलिक कम्बाईन कटिंग/प्रेसिंग मशीन

82. न्यूमैटिक सिंगल

83. संपूर्ण स्वचालित फ़ैब्रिक इनस्पैक्ट मेज़र एवं लेंग्थ कटिंग मशीन

84. संपूर्ण स्वचालित प्रोग्रामेबल , इलेक्ट्ानिक वर्टिकल कर्टन कटींग मशीन

85. संपूर्ण स्वचालित कर्टन हुक फिडिंग डिवाईस के साथ इलेक्ट्रानिक प्रि-प्रोग्राम स्ट्रेट लाईन लॉकस्टीच कर्टन प्लिट टैकर

86. इंटिग्रेटेड माईक्रोफ्लेक्स (आर) एडजेस्टेबल कर्टन हुक फिडर के साथ संपूर्ण स्वचालित ड्रेपरि पिंच प्लिटर

87. संपूर्ण स्वचालित पिंच प्लिटर हेतु कर्टन फिडिंग डिवाइस

88. हाय परफॉरमन्स मोटर ड्रिवन कर्टन प्रेस टेबल

89. फ़ैब्रिक लेइंग/स्प्रेडिंग मशीन

90. गारमेंट वाशिंग/डाइंग मशीन

91. गारमेंट डाइंग मशीन

92. गारमेंट कलर स्प्रे कॅबीनेट मशीन

93. ट्राऊसर टॉपर/फोम फिनिशिग मशीन

94. ट्राऊसर टर्निंग मशीन

95. फ़ैब्रिक ग्राइडिंग मशीन

96. हेम ब्रेकिंग मशीन

97. फैगोटिंग/पिकोटिंग मशीन

98. लूप मेकिंग मशीन

99. प्लाकेटिंग मशीन

100. सिक्वींन पंचिंग मशीन

101. सिक्वींन एम्ब्राइडरी मशीन

102. रग्स /गारमेंट /मेडअप्स हेतु पैडल डाइंग मशीन

103. रग्स /गारमेंट /मेडअप्स हेतु ओपन पैकेट डाइंग मशीन

104. शीट्स /टॉवेल हेतु स्वचालित लेंग्थ एवं क्रास कटिंग मशीन

105. फ्लैट/फिटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शॉम हेतु लेग्थ एवं क्रास हिमिंग मशीनरी हेतु स्वचालित मशीन

106. फ्लैट/फिटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शॉम डस्ट रफल हेतु स्वचालित फोल्डिंग एवं स्टैकिंग मशीन

107. स्वचालित कम्फर्टर शेल मेकिंग मशीन

108. पैंकिंग (इलेक्ट्रानिक्स न्यूमैटिक बैगिंग मशीन) हेतु कम्प्रेशन बैगर

109. फ्लैंग पिलो केश हेतु स्वचालित मशीन

110. ब्लैडिंग, ओपनिंग एवं पिलो फिलिंग लाइन्स

111. फिल्ड पिलो एवं क्वील्टस हेतु वैक्यूमाइझिंग पैकिंग युनिट

112. डाय कटिंग मशीन

113. टेबल टॉप टफ्टिंग मशीन

114. मुस्टैच फॉर्मर

115. बेड फिलिंग मशीन

116. बॉल फायबर मशीन

बी. गारमेंट/मेड अप्स इकाई द्वारा स्थापित की गई गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण (इसमें गारमेंट / मेडअप्स इकाइयों के सभी गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण शामिल होंगे)

सी. तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

परिशिष्ट – एमसी - 8

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

1. शिअरिंग /क्रॉपिंग मशीन
2. यार्न/फ्रैब्रिक सिंजिंग मशीन /गैसिंग मशीन/सिंजिंग सह िडसाईजिंग मशीन
3. फ्रेब्रिक रिवर्सिंग मशीन
4. कोन टू हैंक वाइंडिंग मशीन
5. वेट रिडक्शन /स्काऊरिंग मशीन
6. आटोपाइलर के साथ अथवा बिना स्वचालित लिकर सर्कुलेशन के साथ प्रेशर कीअर
7. ओपन विड्थ/रोप वाशिंग मशीन
8. डेटविस्टर के साथ ओपन विड्थ रोप ओपनिंग एवं स्क्विझिंग मशीन
9. जे बाक्स
10. सॉलवंट स्काऊरिंग मशीन/वैपरलॉक मशीन
11. रोटरी ड्रम वॉशर (एचटी/एचपी अथवा साधारण प्रकार)
12. वेट फैब्रिक स्प्रेडिंग एवं स्क्विझिंग मशीन
13. हायड्रोएक्स्ट्रॅक्टर
14. स्लिट ओपनिंग मशीन
15. स्टार विंच मशीन
16. पैडिंग मैंगल के साथ/बिना फ्लोअट ड्रायर
17. यार्न /फैब्रिक मर्सरायझिंग मशीन
18. कोन,चिज़,टॉप्स,फायबर्स, डायस्प्रिंग , यार्न बिम आदि हेतु पैकेज डाइंग मशीन
19. फायबर डाइंग मशीन हेतु फायबर केक ओपनर
20. फायबर डाइंग मशीन हेतु हॉपर फिडर
21. फायबर डाइंग मशीन हेतु प्रेसिंग के लिए हायड्रोलिक पद्धति के साथ अथवा बिना फायबर केक प्रेस
22. केबिनेट टाइप यार्न डाइंग मशीन
23. यार्न कडिशनिंग मशीन
24. लिकर सर्कुलेशन एवं स्व-डोझिंग के साथ अथवा बिना स्वचालित डाइंग जीगर/ जम्बों जिगर
25. जेट डाइंग मशीन
26. सॉफ्ट फ्लो डाइंग मशीन

27. अर्ध स्वचालित फ्लैट स्क्रीन प्रिटिंग मशीन

28. रोलर वॅक्स प्रिटिंग मशीन

29. रोटरी प्रिटिंग मशीन

30. ट्रासफर प्रिटिंग मशीन (सिंथेटिंक हेतु)

31. न्यूनतम तीन चेम्बर्स के साथ निरंतर धुलाई श्रेणी

32. पैड स्टीम श्रेणी

33. वस्त्र प्रक्रिया इकाई हेतु प्रिसिशन फ्लॉक कटिंग/प्रिटिंग मशीन

34. लूप एजर

35. रोलर स्टीमर/फ्लैश एजर /प्रेशर एजर /स्टार एजर

36. वस्त्र प्रकिया इकाई हेतु रोटरी स्क्रीन मेकिंग उपकरण

37. क्यूरिंग/पॉलिमेरिझिंग मशीन

38. कोटिंग/एम्बोसिंग मशीन

39. सिविंग मशीन

40. िडकास्टींग मशीन

41. रिलेक्सिंग मशीन

42. कॉम्पैक्टींग मशीन

43. स्युडिंग मशीन / पिच फिनिशिग /ब्रशिंग /रेझिंग /कॉटीप्रेस /पाइल कटींग मशीन

44. फ्रिक्शन /श्रीएनर कैलेंडर /साधारण कैलेंडर (न्यूनतम 3 बाऊल)

45. माइक्रोवेव ड्रायर/हॉट एअर ड्रायर /इंफ्रारेड डायर

46. फ्रेब्रिक हेतु प्लिटिंग/क्रिजिंग /फोल्डिंग मशीन

47. फ्रेब्रिक हेतु पिचिंग एवं फ्लैट एम्बोस्ड मशीन

48. ग्रे/रंगे हुए फ्रेब्रिक हेतु असमान प्लिट हेतु क्रश मशीन

49. डिपिंग युनिट

50. मिलिंग युनिट

51. क्रेबिग मशीन

52. पेपर अथवा रोटरी प्रेस

53. ऊन तथा उसके संमिश्रणों हेतु शिअरिंग /पॉलिशिंग मशीन

54. फोम फिनिशिंग मशीन

55. मल्टीसिलेंडर ड्राइंग रेंज

56. रिपोर्ट जनरेटर के साथ अथवा बिना दोष विश्लेषक के साथ फ्रेब्रिक निरीक्षण मशीन

57. थरमिक फ्ल्यूइड /गैस हिटिंग हेतु व्यवस्था के साथ न्यूनतम 3 चेम्बर्स वाले मल्टीचेम्बर स्टेन्टर

58. टेक्सटाइल प्रिटिंग हेतु थिन हाइड्रोकार्बन वेपर रिकवरी प्लाॅट

59. स्वचालित पैकिंग मशीन

60. वाटर सॉफ्टनिंग प्लाॅट

61. डिमिनरलाईजेशन प्लाँट

62. बायोमास आधारित गैसिफायर

63. न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर मेकॅनिझम, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं माइक्रो डस्ट कलेक्टर के साथ ऑइल/गैस फायर्ड बॉयलर या फ्ल्युइडाइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर

64. न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर मेकॅनिझम, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं माइक्रो डस्ट कलेक्टर के साथ हस्क फायर्ड/ जूट वेस्ट(कैडिज) बॉयलर

65. निस्सारी उपचार प्लाँट हेतु मशीन एवं उपकरण

66. थर्मिक फ्ल्युइड हिटर/अन्य उच्च तापमान हिटिंग पद्धति

67. 15 एच पी तथा उससे अधिक वाले एअर कॉम्प्रेशर

68. रोल टू रोल निरीक्षण एवं मरम्मत मशीन

69. प्रोसेसिंग इकाई में स्थापित की गई गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु लेबोरेटरी /प्रोसेसिंग मशीन गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण (इसमें वस्त्र प्रक्रिया इकाई प्रयोगशाला के सभी प्रकार के लेबोरेटरी/प्रोसेसिंग मशीनों एवं गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण शामिल है।)

70. मल्टीक्रॉस लिंकिंग रेजिन फिनिसिंग मशीन

71. पाइल लिफ्टींग मशीन

72. कोटिंग लाइन हेतु फोमिंग उपकरण

73. कोटिंग लाइन हेतु लॅटेक्स मिक्सिंग एवं डिस्पेन्सिग पद्धति

74. मल्टीलेअर स्टेन्टर

तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

परिशिष्ट - एमसी -9

जूट रेमी तथा हेम्प इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची

ए. **मृदुकरण तथा कार्डिंग के लिए**

1. जूट स्प्रेडर मशीन
2. आशोधित परम्परागत, सॉफ्टनर्स
3. ब्रेकर कार्ड
4. इंटर कार्ड
5. फिनिशर कार्ड
6. ड्रॉहेड
7. स्प्लीट कॅन डिलिवरी
8. ऑटो लेवलर
9. हॉपर फिडर
10. टिसर कार्ड
11. एन्जिम प्लैन्ट
12. इलेक्ट्रानिकली नियंत्रित स्टिरर के साथ मिश्रण संयंत्र।
13. डस्ट शेकर
14. सेमी आटोमैटिक रूट कटिंग मशीन
15. हार्ड वेस्ट कार्ड
16. ब्रेकर-कम-फिनिसिंग कार्ड और बिना ड्राहेड के साथ अथवा उसके बिना – आटो लेवल एवं कैन चेजिंग डायवर्स

बी. **ड्राइंग के लिए**

1. सभी स्क्रू के गिल्स
2. सभी जूट ड्राइंग
3. कोम्बर

सी. **स्पिनिंग एवं ट्विस्टिंग के लिए ।**

1. 4¼ स्लिप ड्राफ्ट
2. 51/2 स्लिप ड्राफ्ट
3. रिंग स्पिनिंग फ्रेम
4 फ्रिक्शन स्पिनिंग
5 ओपन एन्ड स्पिनिंग
6 रैप स्पिनिंग
7 ब्रेडिंग मशीन
8 रिंग ट्विस्टिंग फ्रेम
9 ऍप्रॉन ड्राफ्ट स्पिनिंग मशीन
10 फ्यायर ट्यिस्टिंग
11 वेट/सेमी स्पीनिंग फ्रेम
12 4 ¾ एस/एडी स्पीनिंग फ्रेम
13 टू फार वन ट्विस्टर

डी. **बुनाई प्रारंभ करने के लिए :**

1. प्रि-बिमिंग मशीन
2. ड्रेसिंग मशीन

3. वार्प एवं वेफ्ट वाइंडिंग मशीन
4. प्रेसिशन वाइंडर्स
5. ऑटो कोनर
6. असेम्बली वाइंडर
7. बीमिंग / प्रि – बीमिंग मशीन

ई. **बुनाई आदि के लिए :**

1. डॉबी/जॅकॉर्ड के साथ बिना उच्च गति के परम्परागत जूट करघे।
2. उच्च गति के स्वचालित शटललेस करघें
3. गोलाकार करघे
4. कार्पेट प्लान्ट
5. नॉन वूवन/फेल्टिंग प्लन्ट
6. जॅकॉड कार्ड पंचिंग मशीन
7. नीडल / वेबिंग / टेप लूम्स

एफ. **फिनिशिंग के लिए :**

1. कटिंग मशीन
2. लेहन तथा मापन मशीन
3. सिलाई मशीन
4. ब्रांडिंग/प्रिंटिंग मशीन
5. बेलिंग प्रेस
6. हाई प्रेशर रोल अप मशीन
7. कैलेण्डर एम/सी
8. क्रिसपिंग एम / सी
9. ऑटोमैटिक बॅग मैकिंग एम /सी

जी. **मटेरियल संचालन तथा अन्य मशीनों के लिए** (आवश्यक)

1. फीड लॅटिस
2. कन्वेयर पध्दति
3. टर्न टेबल
4. फोर्क लिफ्टर
5. ट्रॅक्टर
6. जिब क्रेन
7. इ ओ टी (इलेक्ट्रकली ऑपरेटेड ट्रेक) क्रेन
8. बिम लिफटर

एच. **प्रदूषण नियंत्रण मशीन/उपकरण:**

आवश्यकताएं	अन्य
प्रायमरी,सेकंडरी तथा/अथवा टेर्टीअरी उपचार सुविधाओं के साथ इफ्ल्यूएन्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट (सामान्य इफ्ल्यूएन्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट से संबंद्ध इकाइयों , प्राथमिक ट्रिटमेंट पद्धति के साथ इफ्ल्यूएन्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट के लिए)	1.ड्राय प्रकार का इलेक्ट्रास्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स 2.ड्राय प्रकार का बॅग फिल्टर 3.ड्राय प्रकार का क्लिनर्स तथा मल्टिक्लोव 4. वेट प्रकार के स्क्रबर 5.वेट प्रकार का वेंचुरी स्क्रबर 6.एअर संन्ट्रीफ्यूगल एक्सिअल फ्लो पंखों वाली वायुसंचालन पद्धति। 7.डस्ट एक्स ट्रेक्टर तथा ब्लोअर

आय. प्रोसेसिंग मशीन

1. सिन्जिग मशीन 3. प्रेशर कियर / जम्बो जिगर 5. पॅड बॅच / मंगल 7. सेमी ऑटोमैटीक / ऑटोमैटीक जिर्गस 9. सॉफट फलो डाइंग 11. हाई टेम्प्रेचर तथा हाई प्रेशर 13. मल्टीसिलेण्डर डाइंग रेंज / स्टेन्टर	2. शेयरींग /क्रॉपिंग 4. क्लाथ /यार्न मर्चराइजिंग 6. विंच 8. जेट डाइंग 10. कैबीनेट डाइंग मशीन (यार्न के लिए) 12. मायक्रो एक्सट्राक्टर डाइंग 14. यार्न डाइंग हॉट एयर ड्रायर फार

15. सेमी ऑटोमैटीक / ऑटोमैटीक फलैट मशीन 17. कुरिंग /पॉलीमराइजिंग 19. कैलेण्डरींग 21. थरमो पैक बशर्ते कि सबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाए। 23. हस्क /कॅडीज फायर्ड बॉयलर	16. ओपन विड्थ सोपर बेड प्रिंटीग 18. ड्रम वाशर 20. ऑयल / गॅस फ्रायडर् बॉयलर 22. एयर क्रमप्रेशर 15 एच.पी. तथा उससे अधिक 24. बॉयो मास आधारित ग्रासीफीयर

जे. परीक्षण के लिए आवश्यक

1. इवननेस टेस्टर
2. जूट बंडल स्ट्रेंग्थ टेस्टर
3. जूट फाइननेस टेस्टर
4. यार्न टेनसिल
5. फैब्रिक स्ट्रेंग्थ टेस्टर
6. स्कॉच गार्ड एपलीकेटर टेस्टर

अन्य

1. इलेक्ट्रानिक ट्विस्ट टेस्टर
2. एबरेशन टेस्टर
3. बेन्डींग रिजीडीटी टेस्टर
4. कलर फास्टनेस टेस्टर
5. कम्प्युटराइज्ड कलर मॅचिंग
6. रबिंग फास्टनेस टेस्टर
7. लाइट फास्टनेस टेस्टर
8. ड्रेप मिटर
9. काऊंट बॅलेन्स

10. लॉन्डेरो मिटर
11. यार्न स्ट्रेण्थ टेस्टर
12. यार्न एपीअरन्स टेस्टर (मॅन्युअल/ ऑटोमैटिक)
13. बैलिस्टीक रॉ जूट स्ट्रेण्थ टेस्टर
14. फायर रेटारडेन्सी टेस्टर
15. लेटेक्सिंग टेस्टर
16. वॉटर प्रू फिंग

के. संबंधित आर्द्रता तथा तापमान नियंत्रण हेतु आधुनिक औद्योगिक ह्युमिजिफिकेशन पद्धति

आई **तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।**

000

विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची ।

ए. प्रक्रिया सुधारने के उपकरण/सहायक उपकरण ।

1. ऑटो कोनो : रिंग कताई, ओपन एण्ड कताई, ड्राइंग फ्रेम्स, वाइंडर्स, ट्विस्टर्स टेक्स्टराइसिंग तथा क्रिम्पिंग मशीनों के लिए मल्टिचैनल प्रि-सेट यार्न की लंबाई मॉनीटर करने तथा नियंत्रण करने की पध्दति ।
2. लूम डाटा मॉनीटर
3. फॅब्रिक के दोषों का विश्लेषक (फैब्रिक में सभी प्रकार के दोषों को रिकार्ड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स आधारित पध्दति ।)
4. रूई सम्मिश्रण विश्लेषक
5. वस्त्र इकाईयों हेतु ऑनलाईन/आफलाईन आर्द्रता सूचक तथा स्वचालित नियंत्रक
6. निटिंग डाटा एवं डिफेक्ट मॉनिटरींग पद्धति ।
7. वेब मार्गदर्शक पध्दति
8. कारडिंग, कॉम्बर मशीन , रोविंग फ्रेम्स /स्पीड फ्रेम्स, ड्रॉइंग फ्रेम्स एवं निटिंक फ्रेम्स हेतु स्टॉप मोशन
9. शटललेस वीविंग मशीन हेतु वेफ्ट संचायक ।
10. वार्पिंग तथा वीविंग प्रक्रिया के दौरान यार्न ब्रेक/दोषों हेतु वार्प स्टॉप मोशन, यार्न निरीक्षक
11. प्रोडक्शन डाटा मॉनीटर : ड्रा फ्रेम, ट्विस्टर, डबलर्स तथा कार्डस्, निटिंग मशीन, शटललेस करघे, वार्पिंग मशीन साइझिंग मशीन, शिअरिंग मशीन तथा फॅब्रिक प्रोसेसिंग मशीन रिंग एवं ओपन एण्ड दोनों प्रकार के कताई मशीनों हेतु पूर्व निर्धारण अनुमानित लंबाई , नियंत्रण तथा पूर्व संकेत चेतावनी, डिजायन के साथ इलेक्ट्रानिक मल्टी शिफ्ट काऊन्टर ।

बी) कताई मशीनों के लिए ऑन-लाइन उत्पादन देखरेख करने तथा गति नियंत्रण पध्दति की प्रॉमिस -प्रोविन रेंज ।

सी. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

000

एमएमएस @ 8% -प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी की सूची

ए. मुख्य मशीनरी

क्र.सं.	मशीनरी के प्रकार
1.	पर्न चेंजिंग स्वचालित लूम
2.	शटललेस लूम
3.	डॉबी
4.	जेकार्ड
5.	पर्न वाइनिंग
6.	सेक्शनल वार्पिंग मशीन
7.	वार्पिंग मशीन
8.	साईजिंग मशीन
9.	टू फॉर वन ट्विस्टर (टीएफओ)
10.	प्रिवाइनिडर / रिवाइनिडर

* ब्राण्ड न्यू रेपियर लूम, प्रोजेक्टाइल लूम, एयर जेट लूम एवं वॉटर जेट लूम के मानक निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	लूम के प्रकार	मानक
1.	रेपियर लूम,	इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 650 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए
2.	प्रोजेक्टाइल लूम	इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 750 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए
3.	एयर जेट लूम	I) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 1200 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए। II) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 900 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए।
4.	वॉटर जेट लूम	I) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 1000 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए। II) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 800 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए।

बी. 190 Cms चौडाई वाले स्वचालित पर्न चेजिंग लूम के सहायक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	सहायक उपकरण	मूल्य (रूपये)
1.	वार्प बिम (1)	6000.00
2.	क्लॉथ रोलर (1)	1000.00
3.	मोटर (1)	10000.00
4.	हिल्ड फ्रेम (टॅपेट हेतु 6 तथा डॉबी हेतु 16)	12900.00 (टॅपेट हेतु) 34400.00 (डॉबी हेतु)
5.	हिल्ड वायर (8000)	6666.00
6.	ड्रॉप पिन्स(6000)	5000.00
7.	शटल (1)	1500.00

सी. 190 Cms चौडाई वाले शटललेस रेपियर लूम के सहायक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	सहायक उपकरण	मूल्य (रूपये)
1.	वार्प बिम (1)	6000.00
2.	क्लॉथ रोलर (1)	1000.00
3.	हिल्ड फ्रेम (टॅपेट हेतु 6 तथा डॉबी हेतु 16)	12900.00 (टॅपेट हेतु) 34400.00 (डॉबी हेतु)
4.	हिल्ड वायर (8000)	6666.00
5.	ड्रॉप पिन्स(6000)	5000.00

डी. अन्य उपकरण

नये ह्युमिडिफिकेशन प्लॉट/एअर कॉम्प्रेशर/डी मिनरल प्लॉट या रिवर्स ऑस्मोसिस प्लॉट, बिम गेटिंग तथा नाटिंग मशीन भी पात्र है, बशर्ते की परियोजना के लिए पात्र मशीनों के कुल मूल्य का अधिकतम 10% हो। यद्यपि योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए सब्सिडी रूपये 60 लाख / रूपये 1 करोड़,जो भी लागू हो, सीमित की जाएगी।

परिशिष्ट –एमसी- 12

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

1. स्वचालित डाय वेइंग एवं डिस्पेसिंग पद्धति।
2. संपूर्ण प्रोसेस केन्द्र के लिये प्रोसेस हाऊस तथा डाय किचन प्रबंधन पद्धति।
3. पीएलसी नियंत्रित शिअरिंग/क्रॉपिंग मशीन ।
4. प्रि तथा पोस्ट ब्रशिंग एवं डीसाईजिंग युनिट के साथ अथवा बिना तापमान तथा ज्वाला नियत्रंण हेतु हवा एवं ईधन के स्वमिश्रण वाली पीएलसी आधारित यार्न /फेब्रिक सिजिंग मशीन।
5. ट्युब्युलर फेब्रिक हेतु सिजिंग मशीन।
6. निट ट्युब्युलर मर्सरायझिंग मशीन अथवा ब्लीचिंग-कम-मर्सरायझिंग मशीन।
7. अमोनिया रिकवरी प्लॉट समेत फेब्रिक हेतु अमोनिया मर्सरायझिंग मशीन।
8. कॉस्टीक रिकवरी युनिटी के साथ संपूर्ण स्वचालित यार्न / फेब्रिक मर्सरायझिंग मशीन (कॉस्टीक रिकवरी युनिट के बिना, यदि इकाई के पास यह पहले से हो)।
9. निट फेब्रिक कन्टीन्युअस ब्लीचिंग प्लाँट।
10. बलून पैडर।
11. निटेड फेब्रिक हेतु ओपन विड्थ स्क्वीझ मैगल के साथ स्लिट ओपनर।
12. माइक्रोप्रोसेसर उपकरण एवं स्वचालित रासायनिक मिश्रिण वाली ओपन विड्थ निरतंर स्काउरिंग तथा ब्लीचिंग श्रेणी।
13. सॉफ्ट पैकेज प्रेसिशन वाइडिंग मशीन।
14. आर्म हैंक डाइंग मशीन।
15. स्वचालित कैबिनेट टाइप यार्न डाइंग मशीन।
16. पीएलसी आधारित पैकेज डाइंग मशीन (चिज़, कोन,टॉप्स, फायबर, डायस्प्रींग , यार्न बिम)।
17. न्यूमैटिक ब्लैकेट कंट्रोल के साथ पीएलसी नियंत्रित संपूर्ण स्वचालित फ्लँट बैड प्रिटिंग मशीन।
18. पीएलसी आधारित साफ्ट फोलो डाइंग मशीन ।
19. पीएलसी आधारित रैपिड जेट डाइंग मशीन।
20. सर्वो /माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित पीएलसी आधारित संपूर्ण स्वचालित जीगर।
21. टेपस्/संक्रीर्ण चौडाई वाले वूवन फेब्रिक हेतु कॉम्पॅक्ट कन्टीन्युअस डाइंग एण्ड फिनिशिग मशीन ।
22. माईक्रोप्रोसेसर आधारित ऊर्जा नियंत्रण एवं पानी मॉनिटर वाले ओपन विड्थ पैड ड्राय तथा/अथवा पैड स्टीन निरतंर डाइंग श्रेणी।
23. इंडीगो डाइंग श्रेणी

24 गारमेंट /मेडअप्स/औद्योगिक टम्बल ड्रायर्स /वॉशर्स हेतु औद्योगिक वॉशिग / ड्राइंग मशीन।

25 रोटरी स्क्रीन हेतु डिजिटल /लेझर/लेन एन्ग्रेविंग/स्क्रीन मेकिंग पद्धति।

26. चुंबकीय/एअर फ्लो स्क्वीज सिस्टम, ऑन लाइन वॉशिंग व्यवस्था के साथ अथवा बिना तुरंत परिवर्तन की सुविधा, ऑटामैटिक डिजाइन सेटिंग के साथ पीएलसी आधारित संपूर्ण स्वचालित रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन।

27. इंक जेट प्रिंटिंग मशीन(केवल वस्त्र प्रक्रिया इकाइयों हेतु)

28. यूवी अभिदर्शित इकाइ के साथ उच्च गति माइक्रो इंजेक्ट एंग्रेवर।

29. सिंथेटिक हेतु निरतंर ट्रास्फर प्रिंटिंग मशीन

30. थर्मोसोलिंग श्रेणी (केवल सिथेटिंक हेतु)

31. पीएलसी आधारित निरतंर क्रैबिंग मशीन

32. पीएलसी आधारित स्काऊरिंग एवं मिलिंग मशीन

33. आर्द्रता एवं अतितापन स्टीमिंग की व्यवस्था के साथ लूम एजर

34. फेब्रिक हेतु पाऊडर डॉट कोटिंग/ लेमिनेटिंग मशीन

35. माइक्रावेव तकनीक द्वारा निरतंर वेट रिडक्शन मशीन (केवल पॉलिस्टर माल के लिए)

36. न्यूनतम 5 चेम्बर्स वाले मल्टीचेम्बर धुलाई श्रेणी

37. पैडिंग मैगल के साथ अथवा बिना अलग-अलग सिलेंडर ड्राइव वाली मल्टी सिलेंडर ड्राइंग श्रेणी

38. थर्मिक फल्युइड / गैस हिटिंग की व्यवस्था के साथ मल्टी चेम्बर स्टेन्टर (न्यूनतम 4 चेम्बर)

39. कॉम्प्रेसिव संकुचन श्रेणी

40. पीएलसी आधारित निरतंर डी कास्टींग मशीन

41. ऐरो मशीन (डुयुरेबल मैकेनिकल फिनिश हेतु)

42. इलेक्ट्रानिक नियंत्रण के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर

43. रॅकोलन स्लीव वाली पीएलसी नियंत्रित कैलेडरिंग मशीन

44. पीएलसी आधारित कॉम्पैक्टिंग मशीन

45. रिलेक्स / रेडियो फ्रिवेन्सी /रेडियेन्ट गैस फायर्ड /लूप ड्रायर्स

46. डेनिम हेतु सॅड ब्लास्ट मशीन

47. फेब्रिक/गारमेंट पर सॉफ्टनिंग/स्टोन वॉश इफेक्ट हेतु मशीन

48. रोबोटाइज्ड स्वचालित रोल पैकिंग मशीन

49. प्लास्मा ट्रिटमेंट मशीन

50. निरतंर प्रेसिंग एवं सेटिंग मशीन /सुपर फिनिश मशीन

51. दोष विश्लेषक तथा रिपोर्ट जनरेटर के साथ एसी इनवर्टर ड्रीवन पीएलसी आधारित फेब्रिक निरीक्षण

मशीन

52. शॉप फ्लोअर कलर मैचिंग हेतु हैंड हेल्ड स्पेक्ट्रफोटो मीटर

53. दहन क्षमता पर स्वचालित नियंत्रण के साथ पीएलसी आधारित आईल/गैस फायर्ड बायलर

54. द्वितीय तथा/अथवा तृतीय उपचार सुविधाओं तक निस्सारी उपचार प्लॉट (इटीपी)

55. रिवर्स ऑस्मोसिस , नेनो फिल्टरेशन, मल्टीपल इफैक्टस/स्टेज इवॅपोरेटर मैकेनिकल इवॅपोरेटर

56. वस्त्र प्रक्रिया मशीनों हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन रासायनिक सांद्र सूचक एवं नियत्रंण पद्धति

57. प्रक्रिया एवं गुणवत्ता सुधार के लिए हिट सेटिंग/ड्राइंग /िफनिशिंग के दौरान स्टेन्टर मशीन की गति की देखरेख एवं नियंत्रण हेतु फेब्रिक प्रोफाइल पद्धति

58. फेब्रिक सेन्ट्रिंग एवं स्प्रेडिग पद्धति

59. हायस्पीड रेंज हेतु स्वचालित फैब्रिक स्ट्रेटनिंग पद्धति

60. भार/डेनिअर कम करने की प्रक्रिया हेतु मॉनिटरिंग पद्धति

61. उपचारित द्रव निस्सारी गुणवत्ता एवं मात्रा हेतु ऑनलाइन मॉनिटरिंग पद्धति

62. ऊर्जा बचाने तथा उत्सर्जन गुणवत्ता के लिए स्टॅक मॉनिटरिंग पद्धति

63. वस्त्र एवं पटसन इकाई में स्थापित तथा नेशनल अक्रेडिअशन बोर्ड फॉर लॅब (एनएबीएल) इंडिया द्वारा प्रत्यायित गुणवत्ता नियत्रंण प्रयोगशाला में जाँच उपकरण

64. ऊन कार्बनाइझिंग लाईन/प्लॉट

000

परिशिष्ट- एमसी-13

तकनीकी वस्त्र (नॉन-वूवन सहित) हेतु प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मशीनरी/उपकरणों की सूची

ए. कताई

1. फ्रिक्शन कताई
2. औद्योगिक यार्न हेतु डबलिंग अथवा ट्विस्टींग मशीन

बी. बुनाई उपक्रमात्मक

1. उच्च गति संगणकीकृत वार्पिंग/सेक्शनल वार्पिंग मशीन
2. टेक्सटाइल पोझिशन हेतु फिलामेंट वाइंडिग मशीन

सी. बुनाई

1. तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन हेतु हेवी ड्यूटी शटललेस बुनाई मशीन
2. हेवी ड्युटी टेप बुनाई
3. द्वि-अक्षीय तथा बहु-अक्षीय बुनाई मशीन
4. मल्टी फेस बुनाई मशीन
5. 3-डी तथा ब्लॉक बुनाई मशीन
6. संकीर्ण वूवन फेब्रिक हेतु निडल लूम
7. सर्कुलर लूम
8. बुनाई हेतु पोझिशन ड्रिवन काम्प्रेशर स्टैण्ड असेम्बली

डी. निटिंग

1. वेफ्ट इन्सर्टेड वार्प निटिंग मशीन
2. स्पेसर फेब्रिक हेतु निटिंग मशीन
3. द्वि-अक्षीय तथा बहु-अक्षीय निटिंग मशीन
4. ट्रायकोट मशीनरी
5. रेचल डबल निडल बार मशीन
6. नेटिंग हेतु रेचल मशीन
7. वार्प नॉटिंग पद्धति के साथ मशीन
8. कॉम्प्रेशन गारमेंट हेतु सर्कुलर वार्प निटिंग मशीन
9. स्टीच बॉडिंग मशीन

ई. प्रक्रिया

1. क्रश कैलेडर के साथ मैकेनिकल फोमर
2. पलस्ट्रशन मशीन तथा उपकरण
3. स्पॅटरिंग मशीन तथा उपकरण
4. एफआरपी प्रोसेसिंग मशीन तथा उपकरण
5. आरटीएम मशीन तथा उपकरण
6. तकनीकी वस्त्र उत्पाद विकास हेतु प्रयोगशाला स्केल उत्पादन /प्रक्रिया उपकरण
7. कैलेंडरिंग मशीन
8. संसेचित यार्न या फेब्रिक हेतु फिनिशिंग मशीनरी
9. टायर कॉर्ड /औद्योगिक फेब्रिक /बेल्टींग डक हेतु डिपिंग मशीन
10. वी-बेल्ट/होज़/होज़ टायर्स के प्रबलीकरण हेतु सिंगल एण्ड या कॉर्ड के लिए डिपींग मशीन
11. कोटेड /लेमिनेडेट फेब्रिंक हेतु प्रिटिंग मशीन
12. स्कंदित पीयू अथवा पीवीसी डिप कोटिंग मशीन/पीयू अथवा पीवीसी कोटिंग लाइन अथवा कोटिंग डिपिंग / इन्फ्रारेड ड्रायर के साथ नाइफ मशीन

एफ. मेड-अप तकनीकी वस्त्र (टीटी) स्टोर

1. आरएफ (रेडियों फ्रिक्वेन्सी) वेल्डिंग मशीन
2. अल्ट्रासोनिक कटिंग एवं सिलिंग उपकरण
3. लेजर कटिंग एवं सिलिंग उपकरण
4. सिनेज हेतु प्रिटिंग उपकरण
5. हिट सेटिंग मशीन एवं स्ट्रेचिंग (हिट सेटिंग टेबल हेतु)
6. बैक कोटिंग लाइन
7. ब्रैडिंग मशीनरी
8. क्ले लाइनर के विनिर्माण हेतु मशीनरी
9. प्रि-फेब्रिकेटेड वर्टीकल ड्रेन / प्रि-फेब्रिकेटेड विक ड्रेन के विनिर्माण हेतु मशीनरी

जी. नॉन-वूवन वस्त्र विनिर्माण मशीन

रोल्ड माल बनाने तथा पैकिंग तक निम्नलिखित नॉन-वूवन के विनिर्माण हेतु उत्पादन की रचना करने के लिए संपूर्ण उत्पादन श्रेणी अथवा अवयव/पूर्जे, यथा

1. केमिकली बद्ध नॉन वूवन
2. स्टीच बद्ध नॉन वूवन
3. स्पन बद्ध नॉन वूवन
4. मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन
5. स्पन बद्ध मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन (एसएमएस नॉन वूवन)
6. निडल पंच नॉन वूवन
7. थर्मल बद्ध नॉन वूवन
8. स्पन लेस नॉन वूवन

एच. फिनिशिंग मशीन

1. कोटिंग हेतु हॉट मेल्ट कोल्ड ग्ल्यू अप्लिकेटर
2. अल्ट्रासोनिक स्लीटिंग मशीन /एज़ सीलर
3. टॉर्च के साथ ब्रेझिंग मशीन (गर्म हवा हेतु)
4. तनन एवं तापमान का माप/नियत्रंण हेतु सर्वो ड्राइव के साथ पीएलसी संचालित पद्धति

5. फिल्म कैलेडरिंग मशीन
6. स्वचालित पैकिंग एवं निरीक्षण मशीन
7. स्टेन्टर सुविधा वाली हिटसेट ओवन
8. पायलट/लैब कोटिंग लाइन
9. वाटर जेट कटिंग पद्धति हेतु उच्च दाब पम्प
10. रोबोटिक वाटर जेट कटिंग पद्धति
11. वाटर जेट कटिंग पद्धति हेतु रोबोट
12. वाटर जेट कटिंग हेतु पानी मृदुकरण/शुद्धीकरण पद्धति
13. पाउडर स्कॅटरिंग /पेस्ट डॉट /पाउडर डॉट हेतु मशीन
14. गलनीय इनलाइनिंग हेतु कोटिंग
15. पॅडिंग मॅगल (फूलर्ड)
16. एक्स्ट्रुडर लेमिनेशन मशीन
17. शीट एक्स्ट्रुडर तथा लेमिनेशन मशीन
18. सिजिंग मशीन
19. हिट सेटिंग हेतु क्लिप /पीन स्टेंटर
20. फ्रेम लेमिनेशन मशीन
21. डस्ट कलेक्टर
22. इंटर बुनाई द्वारा दो किनारे जोडने हेतु जेकार्ड मशीन
23. टरेट वाइंडर एवं अनवाइंडर
24. प्लास्टिसोल /आर्गनोसोल हेतु हायस्पीड प्रेसिशन मिक्सर
25. गनिंग एवं कटिंग मशीन
26. ग्रॉमेट फिक्सिंग मशीन
27. पीयू टम्बलिंग मशीन तथा ड्राइंग मशीन
28. डीएमएफ रिकवरी प्लॉंट तथा डिस्टीलेशन प्लॉंट
29. कोटेड टेक्सटाइल हेतु प्रिंटिंग मशीन
30. नाइफ ओवर रोल, किस रोल कोटर, स्क्रीन कोटर आदि जैसे सभी प्रकार के कोटर्स
31. मल्टी सिलेंडर ड्राइंग रेंज

आय. नॉन वूवन कन्वर्टरिंग मशीन

1. संपूर्ण थर्मोमोल्डिंग श्रेणी
2. संपूर्ण थर्मोसेटिंग श्रेणी
3. कारपेट/एनवीएच मोल्डिंग श्रेणी, ओवन/प्रेस मशीन
4. हिटिंग/चिलर फॉरकुलिंग हेतु कन्वेयर /थर्मोपैक
5. मोल्डेड रूफलाइनर हेतु मशीनरी
6. फेस मास्क/डस्ट मास्क /डक बिल मास्क/इअरलूप मास्क सिलिंग /टायऑन मास्क सिलिंग /ब्लैक मास्क मेकिंग मशीन में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी।
7. बोऊफॉन्ट कॅप /सर्जिकल कॅप/मेडि कॅप बनाने की मशीन में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी।
8. गाऊन /पिलो स्लिप /शू-कवर / आईस पैक बॉडी /आईस पैक बैंड सिलिंग एवं कटिंग /हैंड बैंग /फिल्टर पॉकेट/ हैंड रेस्ट कवर/सीडी/डीवीडी कवर एवं अन्य ऐसे वस्तुओं में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी।
9. सेनेटरी नेपकिन/बेबी डायपर /वयस्कों के डायपर में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी ।
10. ड्राय एवं वेट वाइप में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी।

11. नॉन वूवन रोल के स्लिटिंग एवं रिवाइंडिंग हेतु मशीनरी।
12. सर्जिकल गॉज़ बनाने की मशीन
13. संयुक्त ड्रेसिंग बनाने की मशीन
14. बैडेज रोल बनाने की मशीन
15. कॉम्प्रेस हेतु मशीन
16. उदरीय स्पंज बनाने की मशीन
17. स्वचालित पैकिंग मशीन

टिप्पणी : केवल उपरोक्त क्र सं. जी-(i), एच एवं आय में सूचीबद्ध मशीनें नॉन वूवन एवं नॉन वूवन के तैयार माल के परिवर्तन हेतु पुनःसंरचित प्रौउनियो के अंतर्गत पात्र है।

जे. परिक्षण एवं मूल्यांकन मशीनरी

1. तकनीकी वस्त्र एवं तकनीकी वस्त्र उत्पाद हेतु विशिष्ट परीक्षण उपकरण एवं साज सामान
2. 10 टन / 20 टन की संपूर्ण वस्त्र परीक्षण मशीन
3. इन्डेक्स पंक्चर रेसिस्टन्स टेस्टर
4. फ्रिक्शन उपकरण के सहकारी
5. पार्टीकल साइज डिटरमिनेशन उपकरण
6. ग्रेडिएन्ट अनुपात परीक्षण उपकरण
7. लॉग टाइम फ्लो उपकरण
8. फेल्टपर्म
9. इडब्ल्यूई के साथ पॉईट पेपर डिजाइन पद्धति
10. वेदरमीटर
11. यार्न संकुचन तथा संकुचन बल परीक्षण मशीन
12. विस्कोमीटर्स
13. मशीन मॉनीटरिंग तथा फ्लेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर के लिए डाटा लॉगर्स।
14. टिअर टेस्टींग मशीन
15. कोल्ड क्रॅक प्रतिरोध परीक्षण
16. थिकनेस गेज
17. वॉटर रिपेलैन्सी टेस्टींग मशीन।
18. वॉटर प्रूफींग टेस्टींग मशीन
19. फायर रेसिस्टेंस टेस्टींग एक्विपमेन्ट
20. ऐक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग ओवन
21. वर्षा-जल जाँच उपकरण 1 निरंतर वाटर स्प्रे टेस्ट तथा आय.आर स्पेक्ट्रो मीटर आदि
22. अब्रेशन टेस्टर
23. कलर मैचिंग कैबिनेट
24. कलर फास्टनेस टेस्टर
25. ऐक्सेलरेटेड क्रिप टेस्टर
26. एअर प्रिमिअबिलिटि टेस्टर
27. जिओ मेम्ब्रेन हेतु हायड्रो स्टेटिक पंक्चर टेस्ट
28. हायड्रोलिक ग्रीप
29. प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप

के. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

टिप्पणी :चूकिं तकनीकी वस्त्रों के लिए पात्र कुछ मशीनों का प्रयोग उद्योग के उन्य खण्डों द्वारा भी किया जा सकता है। पुनः संचरित प्रौउनियो के अंतर्गत 10% पूंजीसहायता प्राप्त करने के इच्छुक तकनीकी वस्त्र ठेकेदारों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकृत होना पडेगा तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। दूसरे शब्दों में , तकनीकी वस्त्र इकाईयों द्वारा 10% पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकरण करना पूर्व आवश्यकता होगी।

000

परिशिष्ट- एमसी-14

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र आरएमजी के लिए मशीनरी की सूची

ए. गारमेंट विनिर्माण के लिए पात्र मशीनें :

1. ट्रिमर ओवर एजिंग/सिमिंग तथा बॅन्डींज ऑपरेशन के साथ या बिना सिंगल/मल्टी निडल पॉवर ऑपरेटेड इंडास्ट्रियल लॉकस्टिच सिलाई मशीन।
2. ब्लाइड स्टिच मशीन/चेन स्टिचिंक मशीन
3. पॉवर ऑपरेटेड लिंकींग /लूप बनाने की सिलाई मशीन
4. पॉवर ऍपरेटेड फ्लॅट लॉक / ओवरलॉक मशीन
    - ट्रिमर के साथ अथवा बिना चार/पाँच थ्रेड ओवरलॉक मशीन
    - ट्रिमर के साथ अथवा बिना पाँच थ्रेड फ्लैटलॉक मशीन
    - सीम ज्वाइनिंग उपकरण के साथ पाँच थ्रेड फ्लैटलॉक मशीन
5. झिगझॅग फ्लॅट बेड सिलाई मशीन
6. बटन स्टीच करने की सिलाई मशीन
7. लॉकिंग उपकरण के साथ बटन होल मशीन
8. लेबल/इलास्टिक लगाने की मशीन
9. डेकोरेटिव स्टीचिंग मशीन
10. जे स्टीच सिविंग मशीन
11. एज कटींग सिविंग मशीन
12. आइलेट बटन होल सिविंग मशीन
13. बेल्ट लगाने की मशीन
14. झिप लगाने की मशीन
15. बार टॅकिंग मशीन
16. हेमस्टिच मशीन
17. स्मॉकिंग मशीन/स्वचालित मल्टी निडल सिरिंग मशीन

18. पॉवर ड्रिवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटिंग मशीन /लेजर एन्ग्रेविंग मशीन

19. कॉलर /कफ टर्निंग /ब्लॉकिंग मशीन/प्रेसिंग मशीन

20. बटन एवं रिवेट स्नॅप फास्टनर्स फिक्सिंग मशीन

21. पॉकेट क्रिसिंग तथा वेल्डिंग मशीन/ ऑटो पॉकेट बनाने की मशीन

22. निरतंर प्रेसिंग/फोल्डिंग मशीन

23. निरतंर फ्युझिंग प्रेस

24. कॉलर कॉन्टॉर ट्रिमर

25. वॅक्यूम तथा/अथवा एअर ब्लोइंग उपकरण के साथ स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग टेबल।

26. शोल्डर पॅड अटॅचिंग मशीन

27. पॉकेट कटिंग मशीन

28. संगणकीकृत कॅड/क्रॅम/कटिंग मशीन

29. स्वाचालित पॉकेट अटैचिंग मशीन

30. क्लॉथ ड्रिलींग मशीन

31. कॉलर पॉइन्ट ट्रिमर/गिअर नॉचर मशीन

32. हाय स्पीड संपूर्ण फॅशन्ड निटिंग मशीन

33. निटिंग गारमेंट के लिए होल गारमेंट मेकिंग मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ पॉवर ऑपरेटेड गारमेंट पॅनल फॉर्मिंग निटिंग मशीन।

34. पॉवर ड्रिवन सॉक्स तथा ग्लोव्ज निटिंग मशीन

35. स्वचालित थ्रेड ट्रिमिंग/सकींग मशीन

36. शर्ट फोल्डिंग मशीन

37. पर्ल/बिडस्/स्टोन्स/ग्लासेट/हूक तथा बार अटॅचिंग मशीन

38. क्विल्टिंग मशीन

39. दोष विश्लेषक एवं रिपोर्ट जनरेटर के साथ फॅब्रिक निरीक्षण/ जॉच मशीन

40. निडल/मेटल डिटेक्टर मशीन

41. मल्टी हेड संगणकीकृत एम्ब्रायडरी मशीन

42. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन/संगणकीकृत लेबल प्रिंटिंग मशीन

43. बटन रैपिंग / शंकींग मशीन

44. फिड ऑफ दी आर्म इंडस्ट्रीयल सिलाई मशीन

45. स्वचालित डार्ट/प्लिट मेकींग मशीन

46. स्वचालित लेबल/प्लाज पिकिंग मशीन

47. पीन टकिग मशीन

48. सिंगल निडल बास्टिंग मशीन

49. सिंगल निडल पोस्ट बेड स्लीव सेटिंग मशीन

50. सिलाई विभाग के लिए पावर संचालित कन्वेअर आधारित मटेरियल हैडलिंग पद्धति

51. इलेक्ट्रानिक बार ऑपरेशन के साथ लेसेस तथा बॅन्ड के लिए क्रोचेट मशीन

52. स्ट्रिंग थ्रस्टींग मशीन

53. सॅण्ड ब्लास्टिंग/ ब्रशिंग मशीन

54. कलर मैचिंग मशीन

55. किन्ट शर्ट सेन्टर पिल्ट बनाने हेतु स्वचालित मशीन

56. बेल्ट लूम अटेचिंग मशीन

57. बटन पैकर

58. कॉलर हिट नॉचर

59. स्पॉट केल्डिंग मशीन

60. लेजर कलर फेडिंग/मार्किंग/ड्राईग मशीन

61. लेजर ऑपरेटेड कलर स्प्रेइंग मशीन

62. आरएमजी क्यूरिंग/हिट सेटिंग ओवन

63. संगणकीकृत स्ट्रॅप (कॉलर /कफ)फ्लैट बैड निटिंग मशीन

64. कप िसमर

65. इलेक्ट्रानिक फीड एवं कटिंग उपकरण के साथ स्वचालित स्ट्रॅप कटर मशीन

66. कप मोल्डिंग मशीन

67. आटो िरलिंग स्टीच मशीन

68. फेब्रिक लेइंग/स्प्रेडिंग मशीन

69. गारमेंट वाशिंग/डाइंग मशीन

70. गारमेंट ड्राइंग मशीन

71. गारमेंट हेतु ड्राय टू ड्राय क्लीनिंग मशीन

72. गारमेंट कलर स्प्रे कॅबीनेट

73. स्वचालित मल्टी-हेड फ्रॅंट बेड स्क्रीन प्रिटिंग मशीन

74. ट्राऊसर टॉपर/फोम फिनिंशिग मशीन

75. ट्राऊसर टर्निंग मशीन

76. फ्रैब्रिक ग्राइंडिंग मशीन

77. हेम ब्रेकिंग मशीन

78. फैगोटिंग/पिकोटिंग मशीन

79. लूप मेकिंग मशीन

80. प्लाकेटिंग मशीन

एच. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

टिप्पणी : उपरोक्त मशीनरी पर 10% पूंजी सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल रेडीमेड गारमेंट इकाइयां पात्र है।

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नवीनतम शटललेस लूम की सूची

ए. पात्र नवीनतम शटललेस लूम

क्र.सं.	नवीनतम शटलेस लूम का विवरण
1.	प्रोजेक्टाइल लूम
2.	एअरजेट लूम
3.	वाटरजेट लूम
4.	रेपियर लूम

* ब्राण्ड न्यू रेपियर लूम, प्रोजेक्टाइल लूम, एयर जेट लूम एवं वॉटर जेट लूम के मानक निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	लूम के प्रकार	मानक
1.	रेपियर लूम,	इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 650 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए
2.	प्रोजेक्टाइल लूम	इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 750 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए
3.	एयर जेट लूम	I) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 1200 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए। II) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 900 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए।
4.	वॉटर जेट लूम	I) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 1000 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए। II) इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकार्ड के साथ या उसके बिना वैफट इन सरसन की दर 800 मीटर प्रति मिनट से कम नही होनी चाहिए।

बी. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

प्रोउनि योजना के अंतर्गत कॅड/कॅम एवं डिजाइन स्टुडियो की सूची

ए. वस्त्र डिजाइन स्टुडियो हेतु पात्र मशीनें/उपकरण एवं सॉफ्टवेअर

I. वस्त्र डिजाइन स्टुडियो हेतु पात्र मशीनें/उपकरण

1. 1 जी बी रॅम तथा 17" मॉनीटर एवं यूपीएस के साथ नवीनतम संरूपण कोर ड्युओ डेस्कटॉप कम्प्यूटर।
2. डिजीटाइझर
3. नवीनतम मॉडल प्लॉटर/ हायस्पीड़ इंक जेट प्लॉटर
4. स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग मशीन (सींगल प्लाय एवं हाय प्लाय कटर)
5. संगण्कीकृत कॅड/कॅम पॅटर्न मेकर /पॅटर्न ग्रेडिंग /मार्कर हेतु प्लॉटर
6. कॅड/कॅम डिजाइन स्टुडियों
7. हाय रिसोल्युशन स्कॅनर
8. एन्जेक्ट एन्ग्रेवर
9. अर्ध /पूर्ण स्वचालित प्रिटिंग मशीन
10. डिजीटल प्रिटिंग मशीन
11. अबसॉर्बिंग मशीन
12. स्क्रीन रूम प्रारंभिक उपकरण
    - स्क्रीन स्ट्रेचिंग उपकरण
    - ऑटो स्क्रीन कोटिंग उपकरण
    - एक्सपोझिंग उपकरण
    - डिजिटल स्क्रीन उपकरण

II. वस्त्र डिजाइन स्टुडियों हेतु पात्र सॉफ्टवेअर

1. स्वचालित मार्कर प्लानिंग ,ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग हेतु कॅड
2. एम्ब्रायडरी मशीन हेतु कॅड/कॅम सॉफ्टवेअर
3. प्लॉटर के साथ कॅड/कॅम पॅटर्न मार्कर /पॅटर्न ग्रेडिंग /मार्कर सॉफ्टवेअर
4. कम्प्यूटर सहायक उत्पादन नियोजक सॉफ्टवेअर
5. आटोकॅड , एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा , एडोब इलुस्ट्रेटर सॉफ्टवेअर, 3 डी मॅक्स, विज्युअल स्टुडियो, कोरल 6.0, प्लैश, एनीमेटर प्रो, इंफिनिंग –डी, फार्म –झेड, स्केच, प्रकाशन , विज्युअल बेसिक प्रोविन, माइक्रोमिडिया निदेशक , फ्रन्ट पेज एडीटर, ड्रीम वीवर।
6. वस्त्र डिजाइन सॉफ्टवेअर / विज़न वस्त्र डिजाइन सॉफ्टवेअर
7. एपैरल डिजाइन सॉफ्टवेअर
8. उत्पादन विकास प्रबंधन (कार्य तथा परिणाम ट्रॅकिंग, निर्माण तथा सज्ञीकरण विवरण, रिपोर्ट जनरेशन , माप प्रकार)
9. ग्लोबल सौर्सिंग (बहु विक्रेता , वितरण प्रबंधन , पूर्वानुमान , स्वचालित बिड अपडेट)
10. पॅटर्न मैकिंग सॉफ्टवेअर लाइसेंस
11. मार्कर प्लानिंग सॉफ्टवेअर लाइसेंस
12. कट प्लानर सॉफ्टवेअर लाइसेंस
13. डिजायनिंग सॉफ्टवेअर लाइसेंस
14. ई-फिट सिम्युलेटर (3डी वर्च्यूअल सॅम्पलिंग)
15. अन्य डिजाइन सॉफ्टवेअर

III. परीक्षण उपकरण

1. लूप लेंग्थ टेस्टर
2. डिजिटल ट्विस्ट टेस्टर
3. अब्रॅशन टेस्टर
4. फेब्रिक चेकिंग मशीन
5. पिलिंग टेस्टर

6. टिअरिंग स्ट्रेग्थ टेस्टर

7. स्टीफनेस टेस्टर

8. कलर मैचिंग केबिनेट

9. लाईट फास्टनेस टेस्टर

10. संगणकीकृत कलर मैचिंग पद्धति

11. पोलराइझिंग प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप

12. एक्स-रे फ्ल्युओरेसिन स्पेक्ट्रोमेट्री

13. स्पेक्ट्रोस्कोप एवं फ्रेक्स कॅम कॅमेरा

14. स्पेक्ट्रो फोटोमीटर

15. वाशिंग फास्टनेस टेस्टर

16. कविराइज्ड़ स्कैनिंग / ग्रेडिंग

एच. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

अनुलग्नक –ए

तकनीकी सलाहकार सह- देखरेख समिति (टीएएमसी) की संरचना एवं उसके कार्य

1. समिति की संरचना

1.	वस्त्र आयुक्त ,मुंबई	अध्यक्ष
2.	निदेशक (कॉटन) वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	पटसन आयुक्त , कोलकाता	सदस्य
4.	अध्यक्ष , भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ ,नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष , भारतीय ऊनी मिल परिसंघ , मुंबई	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय आर्ट सिल्क बुनाई परिसंघ, सूरत	सदस्य
7.	प्रेसीडेन्ट , भारतीय स्पीनर्स संघ, मुंबई	सदस्य
8.	प्रेसीडेन्ट,साऊथ इंडिया स्पीनर्स एसोसिएशन(एसआयएसएसपीए) कोयम्बतूर	सदस्य
9.	प्रेसीडेन्ट, लुधियाना निटवेअर क्लब, लुधियाना	सदस्य
10.	अध्यक्ष , भारतीय वस्त्र विनिर्माता परिसंघ (टीएमएमएआय),मुंबई	
11.	प्रेसीडेन्ट ,भारतीय जूट मिल्स् परिसंघ (आयजेएमए)कोलकाता	सदस्य
12.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र विनिर्माता परिसंघ(सीएमएआय), मुंबई	सदस्य
13.	अध्यक्ष , पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिंल, मुंबई	सदस्य
14.	अध्यक्ष, विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पेडेक्स्लि),मुंबई	सदस्य
15.	अध्यक्ष, एपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिंल , गुडगॉव	सदस्य
16.	अध्यक्ष सिन्थेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल प्रमोशन कौसिंल, मुंबई	सदस्य
17.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ , इडस्ट्रीय डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
18.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय लघु इकाई विकास बैंक ,लखनऊ	सदस्य
19.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम,नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , मुंबई	सदस्य
21.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
22.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
23.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, मुंबई	सदस्य
24.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, एनसीडीसी, नई दिल्ली	सदस्य

25.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, कैनरा बैक , बंगलूर	सदस्य
26.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ बडौदा , मुंबई	सदस्य
27.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, इडियन ओवरसिंज बैक , मुंबई	सदस्य
28.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, युनियन बैंक ऑफ इंडिया , मुंबई	सदस्य
29.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, आन्ध्रा बैंक , हैदराबाद	सदस्य
30.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, आयसीआयसीआई बैंक, मुंबई	सदस्य
31.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, पंजाब नेशनल बैंक , नई दिल्ली	सदस्य
32.	प्रभारी , प्रोऊनियो प्रकोष्ठ, इंडियन बैंक , चेन्नई	सदस्य
33	संयुक्त वस्त्र आयुक्त (आर्थिकी), वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई	सदस्य सचिव

अन्य कोई तकनीकी विशेषज्ञ , उद्योग का प्रतिनिधि अथवा सहयोजित बैंकों के प्रतिनिधि/एसएफसी/एसआईडीसी/दोहरे कार्य /आईडीसी को जब भी आवश्यकता पड़े विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकता है ।

2. समिति का कार्य :-

संचालन समिति का कार्य निम्नानुसार होगा :-

(i) पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत मशीनरी पात्रता निर्धारित करना ।

(ii) पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के जीआर के विभिन्न के उपबंधों की व्याख्या करना एवं स्पष्ट करना।

(iii) योजना की प्रगति की समीक्षा एवं बारीकी से उसके क्रियावयन की छानबीन , माक्रयो स्तर पर एवं प्रशासनीक एवं प्रचालन संबंधी अडचनों को दूर करना ।

(iv) अंतर बैंक एवं पीएलआय-नोडल एजेसीयों के मामलों को सुलझाना एवं उनमें समन्वय स्थापति करना ।

(v) अंतर मंत्रालय छानबिन समिति (आयएमएससी) को दिशा एवं योजना के कार्यान्वियन के विस्तार के बार में जानकारी देना ।

3. सामान्यतः इस समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी ।

4. यह समिति इस योजना संबंधित लिए गए तकनीकी निर्णयों एवं योजना से संबंधित अन्य मामलों की जानकारी सरकार को देगी ।

5. **विविध :-**

5.1 सरकारी सदस्य के संबंध में यात्रा भत्ता एवं महगाई भत्ते संबंधी यदि कोई व्यय होगा तो उसे संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा तथा अन्य सदस्यों के मामले में यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता वे संगठन वहन करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

5.2 इस बारे में सचिवालय सहायता वस्त्र आयुक्त द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

अनुलग्नक –बी

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर पायलट परियोजना हेतु संचालित मार्गदर्शी तत्व (भाटक(हायर पर्चेस) – क्रय)

---

1. भाटक क्रय योजना जिसमें परिसम्पत्ति के स्वामित्व में जोखिम एवं प्रतिघात प्रासंगिक है जो खरीददार को स्थानांतर किया जाता है, परंतु अवधि की समाप्ति तक वास्तविक स्वामित्व नहीं। योजना के अनुसार किराएदार मशीनें प्राप्त करेगा तथा बाद में उन्हें बुनकरों को भाटक क्रय आधारपर उपलब्ध कराएगा। भाटक क्रय की अवधि समाप्त होने के बाद ही स्वामित्व स्थानांतर किया जाएगा। संशोधित पुनर्गठित – प्रौ. उ. नि. यो के अंतर्गत भाटक – क्रय योजना के संचालन मार्गदर्शी तत्व निम्नानुसार है :-

2. <u>योजना की अवधि –</u>

2.1 संशोधित पुनर्गठित प्रौ. उ. नि. यो. के अंतर्गत भाटक क्रय योजना का संचालन संकल्प की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक कार्यान्वित रहेगा।

3. <u>पात्र परियोजनाएं</u>

प्रौद्योगिकी को पूर्ण करनेवाले विशिष्ट उद्देश्य माध्यम द्वारा प्रवर्तित तथा योजना के अंतर्गत निर्धारित किये गए अन्य पात्रता प्राचलों के विद्युत करघा इकाइयों को यह योजना लागू होगी।

4. <u>सब्सिडी की मात्रा –</u>

4.1 संशोधित पुनर्गठित – प्रौ. उ. नि. यों. के अंतर्गत मशीनों पर 30% सब्सिडी।

4.2 3% अतिरिक्त् अपफ्रन्ट रिस्क कवर जहां लाभार्थी एस पी वी को न्यूनतम 50% समानान्तर सुरक्षा प्रदान करता है। अन्यथा यह 3% लाभ एस पी वी को हस्तातंर किया जाएगा, जहां ऋण सुरक्षा निकाय का निर्माण करने हेतु कोई भी समानान्तर सुरक्षा नही दी गई है।

4.3 भाटक क्रय की अवधि बढ़ाने के कारण, (अर्थात, 7 वर्ष की (ऋण पुनर्भुगतान की अवधि से 10 वर्ष,) किश्तों के प्रारंभिक भारण को प्राप्त करने हेतु एस पी वी को समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त ब्याज एवं प्रशासनिक व्यय के लिए 2% अतिरिक्त।

5. <u>पात्र मशीनें -</u>

डॉबी या जक्कार्ड के साथ या बिना नई देशी अथवा आयातित शटललेस करघों की संस्थापना, करघों हेतु उपसहायक तथा प्रारंभिक मशानें इसमें शामिल होंगी। बुनाई इकाई आदि को संबद्ध वार्पिंग, साइझिंग, टू फॉर वन टिवस्टर , थ्री फॉर वन टिवस्टर जैसी प्रि – विविंग मशीनें भी शामिल होंगी।

5.2 दी न्यू हयुमिडीफिकेशन प्लॉन्ट / एअर कम्प्रेसर /डी – मिने रल प्लॉन्ट या रिवर्स ओसमोसिस प्लॅन्ट , बीम गेटींग एवं नॉटिंग मशीनें भी पात्र है , बशर्ते कि पात्र मशीनां की कुल लागत के अधिकतम 25% हो।

6. <u>न्यूनतम, आकार की परियोंजना।</u>

इस योजना के अंतर्गत मंजूर की जानेवाली परियोजना का न्यूनतम आर्थिक आकार 48 करघें प्रस्तावित किया गया है। 48 करघों के इस समूह को फिर से प्रति बूनकर

4 करघों के न्यूनतम आर्थिकी आकार में बाँटा जाऐगा । प्रत्येक बूनकरों द्वारा 4 करघें कुशलता से संभालने की क्षमता के आधार पर आकार निश्चित किया गया है । अतः परियोजना लागत 12 समान भागों में बाँटी जाएगी । परियोजना में संस्थापित शटललेस करघें पावरजुम बुनकरों को अनुपातित शेड एरिया के साथ अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए भाटक – क्रय पर उपलब्ध किये जाएंगे।

7. <u>ऋण अभिकरण -</u>

7.1 श्रेणी 'क' तथा 'ख' के रूप में भारतीय रिझर्व बैंक के साथ पंजिकृत एनबीएफसी, को – ऑपरेटिव बैंक, /एसएफसी / एसआईडीसी तथा सीडबी, इस योजना के अंतर्गत निधि देने के लिए पात्र है।

करके फॅब्रिक में परिवर्तित करेंगे तथा उंची मूल्य चेन में आगे की प्रक्रिया तथा अंतिम ब्रिक्री हेतु फूब्रिक्स को वापस ले जाएंगे। भाटक - क्रय अवधि की समाप्ति पर भवन समेत करघों का स्वामित्व बुनकरों को स्थानांतरित किया जाएगा। 10 वर्ष की किस्त की अवधि के साथ यह मॉडल व्यवहार्य हो सकता है और लंबे समय के लिए काम कर सकता है।

10. <u>दुरुपयोग को टालने हेतु सुरक्षा के उपाय</u> :-

10.1 देशी करघों पर मशीनरी का विवरण, जैसे,मशीन की क्रम -संख्या, मॉडेल तथा वर्ष, जो ढलाई/ उत्कीर्ण /टॅम्पर प्रुफ नाम पट्ट द्वारा दर्शाई दे। आयतित मशीन पर क्रम संख्या,मॉडेल तथा वर्ष होते है।

10.2 उपलब्ध दस्तावेजों, जैसे, पावरलूम परमीट जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल किया हुआ सूचना ज्ञापन, वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी पावती, आदि के आधार पर बूनकर - लाभार्थि की पहचान की जाएगी । नए बुनकरों के मामलें में प्रशिक्षण/ कौशल विकास प्रमाणपत्र मांगा जाएगा।

10.3 परियोजन में संस्थापित शटललेस करघें, किसी एक उद्यमी द्वारा एकाधिकारात्मक से बचाने के लिए भाटक - क्रय आधार पर प्रति पावरलूम बुनकर /उद्यमी अधिकतम 4 करघें , किराए पर लिदए जाएंगे।

10.4 एसपीवी द्वारा दोष के मामलें में , खरीददार द्वारा भाटक - क्रय भाड़ा जमा करने हेतु एस्क्रो लेखा के प्रयोग द्वारा परवाह की जाएगी । दोषि सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई अलग से की जाएगी तथा अलग से रिकाउर् उपलब्ध होगा । वित्तीय संस्थानों हेतु एसपीवी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करना आसान होगा, क्योंकि परिसम्पत्तियों का स्वामित्व केवल एसपीवी के पास होगा तथा पट्टे करार प्रपत्र में स्वीकृत होगा जहां दोषि बुनकरों के हस्तक्षेप के बिना सीधे एसपीवी से वित्तीय संस्थानों द्वारा मशीनें प्राप्त की जा सकेगी।

10.5 वस्त्र आयुक्त योजना की प्रगति की निगरानी करेंगे।

11. **<u>योजना की देखरेख / कार्यान्वयन</u>**

11.1 परियोजना की प्रगति, मशीनों की स्थापना / शुरुआत की जाँच करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल के माध्यम से इकाई का वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा निरीक्षण कयरना, मूल्यांकन में शामिल है तथा सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ सहायक निदेशक 5 की रिपोर्ट वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई के पावरलूम विकास प्रकोष्ठ विभाग को भेजना भी शामिल है । यह विभाग बाद में सहायक निदेशक 5 की रिपोर्ट की जाँच करेगा तथा परियोजना के अंतर्गत मशीनों की स्थापना एवं शुरुआत सफलता पूर्वक होने के पश्चात एस्क्रो बैंक खाते के माध्यम से पात्र इकाइयों को सब्सिडी जारी करेगा।

11.2 योजना के तहत मशीन आपूर्ति करने वाले देशी विनिर्माताओं को वस्त्र आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण करना होगा । करघों के मानक पंजिकरण हेतु आवश्यक होंगे, जो समय -समय पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

11.3 योजना की प्रगति जो कि वस्त्र आयुक्त द्वारा निगरानी की जाएगी ।

11.4 राज्य की विधियों के आधार पर प्रत्येक पार्टी द्वारा भाटक -क्रय करार अनेक तरीके से बनाया जा सकता है, परंतु अंत मे इसके निम्नलिखित अनुबद्ध धाराएं शामिल होनी चाहिए :-

(i) चलती मशीन से संबद्ध जोखिम खरीददार पर रहेगी तथा वे उक्त के चलने से निर्माण होनेवाले लाभों हेतु पात्र होंगे।

(ii) मशीन का स्वामित्व भाटक -क्रय अवधि की समाप्ति पर खरीददार को स्थानतरित किया जाएगा। तब तक, खरीददार को केवल उक्त के साथ सबंद्ध उपयोग कर्ता अधिकार होंगे तथा एसपीवी संपत्ति का मालिक रहेगा।

(iii) मशीन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करने हेतु वित्तीय संस्थानों /एसपीवी द्वारा उक्त पर लगाए गए शुल्कों के अधीन मशीन होगी। वित्तीय सहायता की राशि का पुनर्भुगतान करने में यउसके द्वारा दोष किये गये मामलों में खरीददार से कोई भी अनमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) खरीददार इस उददेश्य के लिए खोले गए एस्क्रो लेखा में भाटक -क्रय शुल्क जमा करेगा।

12. परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी)

12.1 वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त किये जाएंगे, जिसका बाद में मूल्यांकन किया जाएगा तथा परियोजना अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पीएसी की रचा निमनुसार होगी :-

(i) यदि भारत सरकार का हिस्सा /सहायता 10.00 करोड से अधिक हो।

अध्यक्ष	--	सचिव (वस्त्र)
सदस्य	--	एस एस एवं एफ ए, वस्त्र मंत्रालय
सदस्य	--	संयुक्त सचिव (पावरलूम), वस्त्र मंत्रालय
सदस्य	--	योजना आयोग के प्रतिनिधि
सदस्य सचिव	--	वस्त्र आयुक्त

(ii) यदि भारत सरकार का हिस्सा /सहायता 10.00 करोड से कम हो।

अध्यक्ष	--	वस्त्र आयुक्त
सदस्य	--	संयुक्त सचिव (पावरलूम), वस्त्र मंत्रालय
सदस्य	--	आय एफ डब्ल्यु , वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि
सदस्य सचिव	--	अतिरिक्त /संयुक्त वस्त्र आयुक्त

13. **शिकायत समिति** :-

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों एसपीवी की शिकायतों पर विचार करने हेतु वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की जाएगी , जिसमें वस्त्र आयुक्त द्वारा योग्य समझे जाने वाले सदस्य शामिल होंगे।

000

अनुलग्रक - सी

आस्थगित संदाय गांरटी (आ.सं.गा.) योजना के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश ।

(i) आ.सं.गा. की सहायता के अंतर्गत बड़े उपकरण एवं ऐसे मामले जिसमें आ.सं.गा. एवं सामान्य आवधिक ऋण दोनों ही एकल परियोजना के रुप में शामिल है। यद्यपि सभी मामलों में पुनर्गठित प्रौउनियो द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिक एवं परियोजना संबंधी अन्य मानकों को पूरा करना आवश्यक है।

(ii) विशिष्ट रुप से आ.सं.गा. हेतु उपकरणों के लिए पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत मार्जिन मनी संबंधी ब्याज हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता 20% की दर से गणना की जाती है । यद्यपि आ.सं.गा. एवं सामान्य आवधिक ऋण दोनों ही मामलों में मार्जिन मनी की गणना आ.सं.गा. के हिस्से को छोड़कर, परियोजना लागत पर की जाती है ।

(iii) आ.सं.गा. के भुगतान की अवधि िबलों के कार्यान्वयन /वचन पत्रों की तिथि से होगी और यह सात वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती इसमें अधिस्थगन की एक वर्ष की अवधि शामिल है ।

(iv) पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत रुपयों मे लिये गये ऋण ही शामिल हैं और खरीददारों के बैंक जो गांरटी दे रहें हैं वे पुनर्गठित प्रौउनियों के अंतर्गत सहयोजित बैंक होने चाहिए ।

(v) अभीष्ट स्वदेशी / आयतित मशीनरी खरीददार - उपयोगकर्ता जो तत्काल अपेक्षित मशीनरी के लिए पूर्ण नगद भुगतान करने स्थिति में नही हैं वह मशीनरी विनिर्माता /विदेशी मशीन आपूर्तिकर्ता के स्थानीय एजेन्ट से आस्थगित संदाय सुविधा के लिए संपर्क कर सकता है । विनिर्माता - विक्रेता प्रत्येक किश्त के लिए अलग –अलग आवधिक बिल /वचन पत्र आस्थगित भुगतान पर देय ब्याज के साथ तैयार करेगा ।

(vi) विक्रेता द्वारा तैयार किये गए बिल को खरीददार/प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार की किए जाएगें तथा खरीददार/प्रयोक्ता के बैंक द्वारा उनकी गारंटी दी जाएगी । विकल्प के रुप में खरीददार / प्रयोक्ता द्वारा तैयार बिल एवं उसकी गारंटी उनके बैंक द्वारा दी जाएगी ।

(vii) ये बिल/वचन-पत्र बाद में विक्रेता को दिए जाते हैं, जो इस पर उनके बैंकर द्वारा छूट पाते हैं वे इस प्रकार मशीनरी की लागत वसूल करते हैं उसके द्वारा बैंकर को देय छूट राशि, बिलों में ब्याज के रुप में आस्थगित भुगतान में समाविष्ट है ।

(viii) क्रेता का बैंक, क्रेता के खाते मे से बाद की तिथियों में बिल की संपूर्ण राशि जिसमें आस्थगित भुगतान का मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित होगा निकाल लेगी । नोडल अभिकरण से 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के पश्चात्, प्रतिपूर्ति राशि क्रेता के बैंक द्वारा क्रेता को लौटा दिया जाएगा ।

(ix) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् क्रेता का बैंक ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित नोडल अभिकरण से संपर्क करेगी ।

क्रेता के बैंक से अपेक्षित है कि वह संपूर्ण जानकारी दे जैसे उपकरण की इनवॉइस मूल्य, छूट दर (%) प्रत्येक की उपयोग अवधि (महिने) प्रत्येक बिल के लिए, अवधिक एवं संपूर्ण चुकौती अवधि के प्रमुख घटकों का ब्यौरा देते हुए समग्र चुकौती अवधि के मूलधन का पूर्ण विवरण तैयार करना आवश्यक होगा ।

000

परिशिष्ट डी

विद्युत करघा क्षेत्र के लिए नये शटललेस करघो हेतु प्रौउनियों (एम.एम.एस. @) 30% प्रौउनियो) के अन्तर्गत 30% एम.एम.एस. तथा पुराने आयतित शटललेस करघों के लिये 8% एम.एम.एस. (एम.एम.एस. @) 8% प्रौउनियो) के कार्यान्वयन के लिये प्रचालनात्मक दिशा निर्देश :-

1. विद्युत करघा इकाइयों को नये शटललेस करघों के लिये 6 % ब्याज प्रतिपूर्ति तथा 15 % पूंजी सहायता /15 % मार्जिन मनी सबसिडी तथा पुराने आयतित शटललेस करघों पर 2 % ब्याज वापसी अथवा 8% एम एम एस (एम.एम.एस. @) 8% प्रौउनियो) के स्थान पर प्रौउनियो (एम.एम.एस. @) 30 % प्रौउनियो) के अन्तर्गत 30 % मार्जिन मनी सबसिडी का लाभ उठाने का विकल्प उपलब्ध कराया गया था । प्रचालन के लिये दिशा निर्देश निम्नलिखित है :-
2. **योजना की अवधि :-** इस योजना की अवधि संशोधित पुनर्गठित प्रौउनियो के साथ समाप्त होगी।
3. **पात्र इकाइयां** :-

3.1 इस योजना में एम एस एम ई विद्युतकरघा इकाइयां पात्र हैं, अर्थात वे इकाइयां, जिन्होंने मायक्रो, स्मॉल तथा मिडीयम एन्टर प्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट 2006 के अनुसार संयन्त्र तथा मशीनों मे निवेश किया हो । तथापि इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन फाइल करना **पूर्व आवश्यक होगा**।

3.2 विद्युत करघा इकाई की पात्रता रु. 500 लाख की पंजी मर्यादा के अधीन है तथा नये शटललेस के लिये मार्जिन मनी पर मर्यादा रु. 150 लाख है। रु. 500 लाख की सीमा पार करने वाली विद्युत करघा इकाइयां 30 %एम.एम.एस. प्रौउनियो 8% एम एम एस प्रौउनियो के लिये पात्र नहीं होंगी ऐसी इकाइयों को प्रौउनियो के अन्तर्गत क्रमश 6% / 2% ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।

3.3 इस योजना के लिये वस्त्र आयुक्त कार्यालय से यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य है स। यूआईडी प्राप्त करने के पश्चात इस योजना की प्रक्रिया के अनुसार इकाइयों / बैंको को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से दावा आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4. **सबसिडी की मात्रा**

4.1 प्रौउनि संगत मशीनों में निवेश पर 30 % मार्जिन मनी सबसिडी उपलब्ध होगी, बशर्ते कि प्रत्येक इकाई की सबसिडी राशि पर रु. 1.5 करोड की मर्यादा होगी।

4.2 विद्युत करघा इकाइयां जो 30 % एम.एम.एस. / 8 % एम.एम.एस. का लाभ उठा रही हैं, वे एनईएफ योजना के लिये पात्र नहीं होंगी।

5. **पात्र मशीनें**

5.1 30 %एम.एम.एस. - प्रौउनियो के लिये पात्र मशीनों में नये शटल लेस करघों का समावेश है।

5.2 8 %एम.एम.एस. - प्रौउनियो के लिये पात्र मशीनों में 10 वर्ष पुराने आयतित शटललेस करघे शामिल है, जिनकी 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि है।

6. **योजना के अन्तर्गत मूल्य का बेंचमार्किंग**

देशी मशीन विनिर्माता बेंचमार्क किये जाएंगे। पात्र मशीनरी विनिर्माताओं की सूची परिशिष्ट - I में दी गई है।

7. **ऋणद अभिकरण**

आर बी आई के साथ श्रेणी क तथा ख के रुप में पंजीकृत - एन बी एफसी , सहकारी बैंक / एसएफसी /एसआईडीसी तथा सिडबी सहित सभी बैंक इस योजना के अन्तर्गत निधिकरण के लिये पात्र है।

8. **वित्तीय मानक**

8.1 ऋणद अभिकरण द्वारा 15 % का प्रमोटरों का योगदान सुनिश्चित किया जाए।

8.2 वित्तीय मानक जैसे सेक्युरिटी डेन्ट -एक्विटी अनुपात पिछले वर्ष के नफे की स्थिति , नेटवर्थ आदि ऋणद अभिकरण के मौजूदा मानकों के अनुसार ही होंगे। यद्यपि, वे प्रौउनि मानकों से अधिक सख्त न हों।

8.3 30 %एम.एम.एस. / 8% एम एम एस का लाभ उठाने वाली विद्युत करघा इकाइयां, सबसिडी के वितरण की तिथि से उसी ओनरशिप के अन्तर्गत कम से कम तीन वष के यूनतम लॉक इन अवधि तक कार्य निष्पादन करें, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके आवधि के ऋण के लिये मोरॅटोरियम अवधि के साथ पुनर्भगतान अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो।

9. **सबसिडी को जारी करना**

मशीन विनिर्माताओं /उद्यमियों /बैंको को सबसिडी जारी करने हेतु निम्नलिखित तत्वों का अनुसरण किया जाएगा।

9.1 **मशीन विनिर्माता**

9.1.1 विद्युत करघा इकाइयां **आवधिक** ऋण के लिये उनकि परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋणद अभिकरण से संप की करेंगी ऋणद अभिकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय को परिशिष्ट -II पर दिये गये विहित प्रपत्र में ऋण की मंजूरी की सलाह देगी।

9.1.2 लघु उद्योग उद्यमी दावे के लिये वस्त्र आयुक्त कार्यालय को एफआर -1 पर दिये गये विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

9.1.3 विद्युत करघा उद्यमी कम से कम 15% योगदान का प्रारंभिक अग्रिम सीधा मशीन विनिर्माता को मशीन की लागत के लिये देगा। जब मशीन भेजे जाने के लिये तैयार होंगी, तब ऋणद अभिकरण मशीन विनिर्माता को ऋण जारी करेगा। यदि ऋण की राशि से मशीन लागत के 70% की पूर्ति न होती हो तो विद्युत करघा बुनकर शेष राशि स्वयं के संसाधनों से मशीन विनिर्माता का उपलब्ध क़रेगा।

9.1.4 मशीन विनिर्माता /विद्युत करघा उद्यमी मशीन लागत का 70% प्राप्त होने पर करघे संस्थापित करेगा तथा चालू करेगा करघे के संतोषप्रद चालू होने के पश्चात मशीन विनिर्माता वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा।

9.1.5 आयतित मशीनों के मामलें में विद्युत करघा बुनकर करघों के चालू होने के पयात वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा।

9.1.6 मशीनों के कार्य -निष्पादन का निरीक्षण करने तथा प्रमाणित करने के लिये वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय आधार पर निरीक्षण दल गठित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मशीन विनिर्माता द्वारा सूचित करने की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9.1.7 निरीक्षण दल से परीक्षण तथा प्रमाणन के पश्चात वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा मशीन विनिमाताओं /युनिटों के बैंक खाते में 30% सबसिडी /8 % सबसिडी जारी की जाएगी।

9.1.8 प्रौउनि संगत आयतित करघों तथा मशीनों के मामलें विद्युत करघा इकाइयों खरीदी करने के लिये बैंक में एलसी खोलनी पडेगी। ऐसे मामलों में आयतित करघों तथा मशीनों के संस्थापन तथा प्रारंभ होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात 30% सबसिडी /8 % सबसिडी सीधे विद्युत करघा इकाइयों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

9.1.9 मशीनों की मूल कीमत पर ब्याज सबसिडी /पूंजी सबसिडी / मार्जिन मनी सबसिडी तथा मूल्यांकन के उद्देश्य के लिये कर -घटक एवं सीमा शुल्क को शामिल न करें।

9.1.10 दिये जाने वाले 30% /8 % एमएमएस के लिये विद्युत करघा उद्यमी ऋणद अभिकरण से ब्रिज फायनान्स का लाभ उठाता है , तो वस्त्र आयुक्त द्वारा सबसिडी सीधे ऋणद अभिकरण को जारी की जाएगी।

9.1.11 कार्यान्वयन /देखरेख / सूचना यंत्रणा से संकबंधित पैरा -IV की देख रेख प्रक्रिया के स्तर - I निहित शर्तो के अधीन सबसिडी जारी की जाएगी।

9.2 **बैंक**

विद्युत करघा इकाइयां 30% एमएमएस /8 %एम एम एस का लाभ "फ्रन्ट एन्डेड" आधार पर बैंक फायनान्स के साथ उठा सकती है। 30% /8 % सबसिडी जारी करने हेतु प्रचालनत्मक दिशा -निर्देश निम्नानुसार है -

9.2.2 विद्युत करघा इकाइयां आवाधिक ऋण तथा 30% /8 %एम एम एस हेतु ब्रिज फायनान्स के लिये उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋणद अभिकरण से संपर्क करेंगी। ऋण की मंजूरी के पश्चात ऋणद अभिकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय ऋण की मंजूरी के लिये परिशिष्ट - III पर दिये गये विहत प्रपत्र में सलाह देगा।

9.2.3 इस योजना के अन्तर्गत आवाधिक ऋण की लॉक -इन अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगा।

9.2.4 विद्युत करघा उद्यमी उसका कम से कम 15% प्रारंभिक योगदान सीधे मशीन विनिर्माता को जमा करेगा।

9.2.5 मशीनें भेजे जाने के लिये तैयार होने के पश्चात ऋणद अभिकरण आवाधि ऋण उसी प्रकार ब्रिज फायनान्स सीधे मशीन विनिर्माता को जारी करेगा।

9.2.6 मशीन विनिर्माता प्रत्येक मशीनरी के लिये नौ आंकडे का पहचान कोड ढाला /उकेरना जारी रखेगा।

9.2.7 मशीन विनिर्माता /विद्युत करघा उद्यमी मशीन संस्थापित करेगा एवं आरंभ करेगा तथा ऋणद अभिकरण का मशीने आरंभ होने की सूचना देगा।

9.2.8 ऋणद अभिकरण इकाई ऋण वितरीत होने से पहले अथवा बाद में दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ऋणद अभिकरण सुनिश्चित करेंगे कि दिशा -निर्देशों के अनुसार देशी मशीनों पर नौ अंकों का पहचान कोड खोला / उकेका गया है।

9.2.9 दौरे के पश्चात ऋणद अभिकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा कि पार्टी ने मशीनें संस्थापित की है और उन्होंने विहित प्रपत्र में 30% मार्जिन मनी सबसिडी के ब्रिज फायनान्स समेत भुगतान जारी कर दिया है। ऋणद अभिकरण इस घोषणा -पत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां जिनमें अनिवार्यतः मशीनों का विवरण एवं 9 अंकों का पहचान कोड दिया गया हो वस्त्र आयुक्त कार्यालय को भेजेंगे।

9.2.10 ऋणद अभिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय ऋणद अभिकरण को मार्जिन मनी सबसिडी जारी करेगा।

9.2.11 देशी मशीनों के मामलें में सभी करों सहित इनवॉइस कीमत के आधार पर 30%/8% मार्जिन मनी सबसिडी का आकलन किया जाएगा। ऋणद अभिकरण पात्र निवेश के 30%/8% की सीमा तक ब्रिज फायनान्स उपलब्ध करें।

9.2.12 नये / पुराने आयतित मशीनों के मामलें में 30%/8% मार्जिन मनी सबसिडी का आकलन सी आई एफ कीमत के आधार पर किया जाएगा।

9.2.13 यदि ऋणद अभिकरण पात्र 30%/8% मार्जिन मनी सबसिडी से अधिक ब्रिज फायनान्स देती है, तो अतिरिक्त राशि विद्युत करघा बुनकर से वसूली जाए अथवा इसे ऋणद अभिकरण द्वारा साधारण आवधिक ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

9.2.14 मशीन लागत का अग्रिम / टोकन भुगतान इकाई द्वारा आवधिक ऋण की मंजूरी की तिथि से पूर्व किया जा सकता है। यद्यपि आवाधिक ऋण की मंजूरी की तिथि से पहले या बाद में खरीदी गई मशीनें प्रौउनि योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे। बशर्ते कि अन्य शर्तो एवं निबंधनों की पूर्ति हो।

9.2.15 संस्थापित / प्रारंभ की गई मशीनों उसी प्रकार लाभार्थी के ऋण से संबंधित बैंक के मूल अभिलेखों के यादच्छिक आधार पर आवाधिक निरीक्षण हेतु वस्त्र आयुक्त मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित करके एक दल गठित करेंगे।

10. **दुरुपयोग को टालने के लिये सुरक्षा के उपाय**

योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिये युनिक मिल नं. मशीन कोड नं. बनाने एवं प्रत्येक मशीन पर अनुक्रमांक उकेरा जाए। प्रत्येक मशीन के लिये नौ अंकों का पहचान कोड होगा। नौ अंकों के पहचान को 3 में निम्नलिखित शामिल होगा -

- पहचान कोड के पहले तीन आंकडें (000) प्रत्येक विनिर्माता को आबंटित युनिक तीन अंको का मिल नं. दर्शाएगा, जो कि वस्त्र आयुक्त द्वारा आबंटित किया गया है। तीन अंकों का युनिक मिल नं. मशीनरी विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट कास्ट घटकों से ढाला जाएगा।
- पहचान कोड के अगले दो आंकडें (00) मशीनरी के प्रकार को दर्शाएंगे। वस्त्र आयुक्त द्वारा मशीनों के विभिन्न प्रकारों के लिये दो आँकडें के नंबर विनिर्दिष्ट किये है। दो आंकडें के नंबर का विवरण परिशिष्ट - IV में दिया गया है। दो आंकडेां का नंबर प्रत्येक मशीन पर तीन आंकडों के नंबर के बगल में ढाला /उकेरा जाना है।
- अगले चार अंक (0000) योजना के अन्तर्गत उस विनिर्माता द्वारा उत्पादित मशीनों की संख्या दर्शाएगा, मशीनों के प्रत्येक प्रकार के लिये चार अंकों का रनिंग अनुक्रमांक संबंधित मशीन विनिर्माता द्वारा दिया जाएगा। तथा तीन आंकडों के युनिक मिल नं. तथा वस्त्र आयुक्त द्वारा उस मशीन के लिये विनिर्दिष्ट दो आंकड़ों के मशीन कोड के बगल में उकेरा जाए।

उदाहरण के लिये मेसर्स कखग द्वारा योजना के अन्तर्गत उत्पादित पहले रैपियर करघे का नौ आंकडों का पहचान कोड इस प्रकार होगा - रैपियर लूम "001-04-0001" पहले तीन अंक में कखग वर्क्स लि. का युनिक मिल नं. दर्शाता है, अगले दो अंक "04" मशीन का प्रकार दर्शाती है , अर्थात रेपियर लूम अगले चार अंक "0001" दर्शाते है कि योजना के अन्तर्गत में कखग वर्कस लि. द्वारा उत्पादित यह पहल रेपियर करघा है। सी एल सी एस में दिये गये विवरण के अनुसार मशीन अनुक्रमांक पूर्व में प्राप्त क्रमांक की निरंतरता में होगा।

10.2 विनिर्दिष्ट मशीन विनिर्माता वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के अनुसार चुने हुए कास्ट घटकों पर 3 अंकों का युनिक मिल नं. ढालेंगे। ढलाई के लिये मद -वार विनिर्दिष्ट घटक परिशिष्ट - V पर दिये गये है। वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट दो अंकों का मशीन नं. ढाला /उकेरा जाएगा जब 4 अंकों का रनिंग अनुक्रमांक मशीन पर ऐसे ढलाई घटकों पर उकेरा जाएगा, जिससे कि मिल कोड, मशीन कोड मशीन का तथा रनिंग अनुक्रमांक सही तरीके से एक पंक्ति में होगा।

10.3 विनिर्दिष्ट मशीनों के लिये, जिन पर युनिक मिल निं. का कास्ट कम्पोनन्ट नहीं हो, ऐसा नं. ढालने के स्था पर उकेरे जाने को वस्त्र आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई है।

10.4 मशीन विनिर्माताओं के मौजूदा स्टॉक के लिये योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने की तिथि तक अद्यतित स्टॉक घोषणा विवरण, मशीन विनिर्माता द्वारा वस्त्र आयुक्तकार्यालय, विद्युत करघा विकास प्रकोष्ठ को जमा करेगा। ऐसे स्टॉक की मित्रा के आधार पर वस्त्र आयुक्त ऐसे स्टॉक पर युनिक मिल नं. को उकेरने की अनुमति देकर योजना के अन्तर्गत ऐसे स्टॉक को शामिल करने के संबंध में निर्णयलेंगे।

10.5 आयतित नई मशीनरी के मामले में मशीनों के अनुक्रमांक तथा बनावट का वर्ष ढालने /उकेरने/प्लेट बिठाने जैसा भा मानता हो, मशीनों पर देखने योग्य हो।

शिकायत समिति

योजना के अन्तर्गत मशीनों की खरीदी के पश्चात लाभर्थियों की शिकायतों पर विचार करने हेतु एक शिकायत समिति गठित की जाएगी जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगें तथा इसमें वस्त्र आयुक्त द्वारा योग्य समझे जाने वाले सदस्य शामिल होंगे।

अनुलग्नक –I

पात्र दस वर्ष पुरानी आयतित मशीनरी (करघे) के बेंचमार्क मूल्य

क्र.सं.	पुरानी आयतित मशीनरी का विवरण	मानक /मॉडल	बेंचमार्क मूल्य हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा (रूपये लाख में)	
			यूरोपीय यूनियन के देश	गैर -यूरोपीय यूनियन के देश
1.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250,	रू.8.00 लाख	-
2.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले एयरजेट करघे	किसी भी गति /चौडाई के	रू.8.00 लाख	रू.5.50 लाख
3.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले वॉटरजेट करघे	190 से.मी. एवं अधिक चौड़ाई वाले	रू.4.00 लाख	रू.2.50 लाख
		190 से.मी. से कम चौड़ाई वाले	रू.3.00 लाख	रू.1.50 लाख
4.	रैपियर करघे	190 से.मी. चौड़ाई एवं डब्ल्यु आर आई जिसकी गति 750 चक्कर प्रति मिनिट से अधिक हो	रू.8.00 लाख	रू.4.50 लाख
		190 से.मी. चौड़ाई एवं डब्ल्यु आर आई जिसकी गति 450 चक्कर प्रति मिनिट से अधिक एवं 750 चक्कर प्रति मिनिट से कम हो	रू.6.00 लाख	रू.3.50 लाख
		190 से.मी. अधिक चौड़ाई वाले	रू.8.00 लाख	रू.4.50 लाख

टिप्पणी : पूंजीगत आर्थिक सहायता वास्तविक सी आई एफ मूल्य पर शुल्क एवं कर को छोड़कर ग्राहय होगी। (अधिकतम सीमा तक)

अनुलग्रक -1

अनु.क्र.	युनिक कोड	विनिर्माता का नाम एवं पता	मशीनों के हिस्सों विनिर्माता
1	001	**मेसर्स. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स,** 22/23,पूनमजी इंडस्ट्रियल इस्टेट, धोबीघाट, शहापूर, अहमदाबाद : 380 004. फोन नं.5622510, फैक्स 0795622845 E.Mail - shanghi@vsnl.com.	• स्वचालित पर्न चेंज लूम • शटलेश रेपियर लूम • डॉबी
2	002	**मेसर्स डायनामिक आटो लूम इंडिया प्रा.लि.** 26 चेतना इस्टेट , नागरवेल, हनुमान रोड, अमरवाडी, अहमदाबाद -380026 फोन 2742468	• शटलेश रेपियर लूम • डॉबी
3	011	**मेसर्स हिमसन टेक्सटाइल प्रा.लि.** 2/94 जीआयडीसी पंडेशेरा, सूरत -394221 फोन नं.0261-8691741/42/43/44 E-mail nimesh@himsoncermics.com	• शटलेश रेपियर लूम • जकवार्ड
4	012	**मेसर्स लाईफबाऊड मशीन प्रा.लि.** जॉय सिल्क मिल्स कंपाऊड स्टेशन रोड, लाल दरवाजा, सूरत 395003 फोन 0261-7418837/7404150 फैक्स 0261-7423410	• शटलेश रेपियर लूम
5	017	**मेसर्स ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.** पो बाक्स नं. 43, माधव नगर, बिलिमोरा, 396321, फोन 02634-83902-83302 फैक्स नं.83681 E-Mail-honesbilimora@yahoo.com	• पर्न चेजनिंग स्वचालित लूम • स्वाचालित शटल स्टाप चेंज लूम • शटललेस रेपियर लूम
6	021	**मेसर्स इंडस्ट्रीय इंजी.वर्क्स** नं.27,आठवॉ क्रास, मागडी रोड, बंगलोर-560023 कर्नाटक इंडिया , फोन नं.080-23380235-23380759 फैक्स 080-23380325 E-Mail-indengg@vsnl.nte	• शटललेस रेपियर लूम
7	024	**मेसर्स लक्ष्मी आटोमैटिक लूम वर्क्स लि.** पो. बा.नं.6320, 686, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर -641 037, तमिलनाडू फोन नं. कार्या.0422-2215484/2213489 फैक्स नं. कार्या.0422-2213785 E-Mail-lalwcve@md2.vsnl.net	• पर्न चेजिंग आटोमैटिक लूम • रेपियर लूम

8	035	**मेसर्स वेवटिस इंजीनयर्स** ब्लॉक नं.122/1, वाधघरा रोड, वेलिज-दादरा-398191, सीलवासा , युटी ऑफ दादरा नगर हवेली , फोन नं.0260-2668304	• शटललेस रेपियर लूम • शटललेस वाटर जेट लूम
9	050	**मेसस अलीधरा विवर टेक्स. प्रा.लि.** फ्लाट नं. ए(5)4, सचिन उद्योग नगर , सहकारी संघ, डाडी रोड़, सचिन , जिला सूरत -340380	• शटललेस रेपियर लूम
10	084	**मेसर्स फैण्डस् इंजी. वर्क्स ,** चांदनी बाग , सोनाली रोड, पानीपत-132103 फो नं 0180-2661560 एसएस मलीक -98120-19139 आर के शर्मा 98120-07534 (340-400 मी पर मिनट)	• शटललेस रेपियर लूम
11	095	**मेसर्स वेव टीस इंडस्ट्रीज** ब्लाक नं.1, सर्वे नं.0122, विलेज- दादरा , युटी ऑफ डीएनएनएच	• रेपियर लूम • वॉटर जेट लूम
12	109	**मेसर्स बिलीमोरा इंजी. प्रा.लि.** पो.बाक्स नं. #39, माधव नगर, बिलमोरा -396321, जि. नवसारी, गुजरात फोन 03634-283684 फैक्स 02634-283681	• शटललेस रेपियर लूम
13	118	**मेसर्स अनिल मेटल इंडस्ट्रियलस्** पलॅट नं 250-252, औध , जीआयडीसी, वाटर टैक के पास , टेलिफोन एक्सचेंज के पास , औध, अहमदाबाद 382415, गुजरात फोन 079-22891943 मो 9904071099/984478875 E-Mail-iconlooms@redmail.com	• शटललेस रेपियर लूम
14	121	**मेसर्स कोरनिडो विविंग मशीन , ए-डिविजन** हिमसन्स इंडस्ट्रियल प्रा.लि. 701, सेन्टर पॉईट बिल्डिंग, निर्मला चि.हॉस्पीटल, रिंग रोड के सामने, सूरत-395002 फोन 0261-3966033-44 फैक्स 0261-2460358 फ्लाट नं.334 रोड नं.03, जीआयडीसी, सचिन	• हाय स्पीड वाटरजेट लूम

15	122	**मेसर्स हिमसन्स इंजीनियरिंग** हिमसन्स इंडस्ट्रियल प्रा.लि. 701, सेन्टर पॉईट बिल्डिंग, निर्मला चि.हॉस्पीटल, रिंग रोड के सामने, सूरत-395002 फोन 0261-3966033-44 फैक्स 0261-2460358 17-1/17-1a/17-2a रिंगवाडा, कांचीरंगा रोड, नया दमन -396 210	• हाई स्पीड वाटर जेट लूम
16	124	**मेसर्स लक्ष्मी शटललेस लूम्स् प्रा.लि.** शघवी इस्टेट, जी एसटी , कालीगा्रम, राणिप, अहमदाबाद 382470 फोन 079-25622510,25624393 फैक्स 079-25622845 E-mail-shanghvi@vsnl.com	• शटललेस फैक्सीबल • रेपियर लूम

परिशिष्ट –II

विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 20% प्रौउनियो के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

दिनांक / /2011

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता पिन कोड़ सहित :
आयएफएससी कोडः
एमआयसीआर कोडः
ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण खाता नं.:

अनु.क्र	पैन	डीआयसी आईइएम नंबर	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	मौजूदा/ नई इकाई	स्वीकृत परियोजना मूल्य	परियोजना के अंदर आने वाली मशीनें				एमएमएस 20% प्रोउनियो के अंतर्गत मंजूर की गई आवधिक ऋण की कुल राशि		एमएमएस 20% प्रोउनियो के अंतर्गत संवितरित की गई आवधिक ऋण की कुल राशि	
						प्रोउनियो के तहत आने वाली मशीनरी उसके मानकों सहित	स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता के मामले में नाम एवं पता	आयतित मशीनरी के मामले में आयत किये जाने वाले देश का नाम	मशीनरी का मूल्य (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			फैक्टरी का पता										

प्रमोटरों का योगदान : रूपये ---------------------------- (%)
संवितरित आवधिक ऋण रूपये ---------------------
मशीन की कुल कीमत रूपये ---------------------------- (%)
बैंक के माध्यम से आने वाले पुनर्गठित प्रोउनियो के अंतर्गत आने वाले यदि कोई दावे हों तो उनका विवरण :-----------------------

(शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील)
मैनेजर / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम --
पदनाम --
कोड --

परिशिष्ठ –III

विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 30%/8% प्रौउनियो के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

ऋणदाता अभिकरण द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला प्रपत्र

दिनांक / /20

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता

1	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता युनिट का ई-मेल आइडीः	**फैक्टरी का पता** पंजीकृत कार्यालय का पता
2.	क्या युनिट एसएसआय है या नहीं	(i) नयी युनिट (ii) मौजूदा
3.	प्रमोटरों का नाम	
4.	फर्म का प्रकार (मालिकाना/भागीदारी / लि.कंपनी/को-ऑप./ अन्य)	
5.	परियोजना लागत (रूपये)(मशीनरी की कीमंत)	
(ए)	प्रमोटरों की हिस्सेदारी (यह कम से कम मशीनरी की कीमत का 15% होना चाहिए।)	
(बी)	मशीनरी के लिए मंजूर एवं संवितरित आवधिक ऋण (आयतित मशीनरी के मामले में एलसी नं.)	
(सी)	संवितरित ब्रिज फायनांस	
(डी)	आवधिक ऋण के मंजूरी की तिथि	
6.	मशीनों के चालू होने की तिथि	
7.	एमएमएस@ 30%/8% प्रौउनियो के अंतर्गत आने वाली मशीनरी का विवरण	

(ए)	स्वदेशी मशीनरी				
अनु क्र.	मशीनरी का विवरण	मशीनरी के उत्पादक का नाम एवं पता एवं कोड नं.	मशीनरी की संख्या	नौ अंकों की कोड सं.	बीजक मूल्य (रूपये)

(b)	आयातित मशीनरी								
अनु.क्र.	मशीनों का विवरण	मशीनों की संख्या	नयी अथवा पुरानी	मशीन का अनु.क्र.	बिल की प्रवेश की तिथि	प्रविष्टि इनवाईस का मूल्य	लूम की गति	लूम की चौडाई	सीआएफ का मूल्य

<u>संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u>

अनु.क्र.	दस्तावेज का विवरण	यदि संलग्न किया गया है तो ठिक करें तथा यदि लागू नहीं है तो 'लागू नहीं ' लिखें ।
1	यूनिट के एस .एस आई यूनिट होने के संबंध में एस .एस आई प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज (अर्थात सी.ए. प्रमाण पत्र,बैंकर प्रमाण पत्र)	
2	यथावत स्थिति होने पर, अलग से बिजली बिल की प्रतिलिपि	
3.	पूर्ण सहायक विवरण तथा 9 डिजिट कोड नंबर सहित बिजक (इनवोइस)	
4	आयातित मशीनरी के मामले में बिल की प्रविष्टि	
5	करघों की विंटेज एवं रेसिड्यूल अवधि दिखाते हुए चार्टर्ड इंजिनियर प्रमाण पत्र (करघों की 10 वर्ष की रेसिड्यूल अवधि सहित 10 वर्ष की विंटेज अवधि दिशा निर्देशानुसार	
6	आयातित मशीनरी के मामले में जमा पत्र की प्रतिलिपि	
7	उधार लेने वाले (बोरोवर) द्वारा घोषणा कि उसने इनसेप्सन योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक सब्सिडी नही ली है।	
8	मंजूर ऋण पत्र की प्रतिलिपि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि इकाई को टी.यू.एफ.एस के जी.आर अनुसार सहायिकी मनी मार्जिन 8%/30% के हिसाब से ब्रिज फाइनेन्स को सम्मिलित करते हुए कमिशंड मशीनरी और भुगतान किया जा चुका है तथा इकाई ने टी.यू.एफ.एस के अन्तर्गत 15% एम.एम.एस/ब्याज में 6%/2% की छूट नही ली है।

प्राधिकृत हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

नाम :

पद :

अनुलग्नक -IV

वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की मशीनरी हेतु दो अंकों का कोड

अनु क्र.	मशीनों के प्रकार	दो अंकों का कोड
1.	शटललेस रेपियर लूम	04
2.	वाटरजेट लूम	13
3.	एयरजेट लूम	14

अनुलग्नक -V

मदवार विनिर्दिष्ट निर्मित घटक

लूम्स
• मशीन फ्रेम - आर
• मशीन फ्रेम - एल
• ब्रिस्ट बिम

टिप्पणी :- ढलाई के समय, घटकों के ढलाई के दौरान एक विशिष्ट विनिर्माता मद संख्या दी जानी चाहिए। घटकों पर मद संख्या के अतिरिक्त चालू क्रमांक संख्या भी होनी चाहिए।

अनुलग्नक — ई

वस्त्र एवं जूट क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए 15 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी अनुदान संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश :-

1.वस्त्र एवं जूट क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रौउनियो के तहत 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान (एम एम एस @ 15% प्रौउनियो) का लाभ 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के रहते हुए प्राप्ति का विकल्प दिया गया है । एम एम एस @ 15% प्रौउनियो के प्रचालन संबंधी दिशा —निर्देश निम्नलिखित है :-

योजना की अवधि :-

2. एम एम एस @ 15% प्रौउनियो के प्रचालन सं. पु. प्रौउनियो के साथ ही समाप्त होगा ।

पात्र इकाईयाँ :-

3.यह योजना एम एस एम ई के खंड आई में प्रौउनियो के जी आर में योजना के विस्तार संबंधी, में दिये प्रात्र सेगमेन्ट पर लागू होगी । एम एस एम ई की परिभाषा माइक्रो,स्मॉल् एवं मिडीयम इन्टरप्राइजेस डेव्हलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार होगी । यद्यपि 15 प्रतिशत एम एम एस की मद्द लेने के लिए संबंधि डी आई सी में इटरप्रेनर्स मेमोरैडम को पूर्व में फाईल करना एक अनिवार्यता होगी ।

4. एम एस एम ई की पात्रता पर सेलिंग रू 500 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान की सीमा रू 75 लाख होगी । एम एस एम ई में रू. 500 लाख की कॅपिटल सीमा से अधिक वाले मामले प्रौउनियो के 15 प्रतिशत एम एम एस की सहायता के प्राप्त नहीं होंगे । ऐसी इकाईयों को सलाह दी जाती हे कि वे प्रौउनियो के अन्तर्गत 5 प्रतिशत समान प्रतिपूर्ति का लाभ लें ।

5.इस योजना के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त कार्यालय से यू आई डी प्राप्त करना अनिवार्य होगा । यू आई डी की प्राप्ति के बाद यूनिट/बँक को इस योजना की प्रक्रिया के अनुरूप अनुदान के दावे के लिए वस्त्र आयूक्त कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा ।

मानक एवं पात्र मशिनरी :-

9. प्रौउनियो के प्रौद्योगिकी ओंर अन्य मानक 15 प्रतिशत एम एम एस पर भी समान रूप से लागू होंगे ।

10. एम एम एस 15 प्रतिशत की पात्र मशिनरियों की सूची परिशिष्ट एम सी - 1,एम सी -3 से एम सी-10 तक प्रोउनियो के जी आर के एम सी -16 पर दी गई हें।

11.मेक एवं बनावट के वर्ष साफ-साफ मशीन पर लिखें । तत्संबंधी नेम प्लेट मशीन पर लगी होनी चाहिए ।

अनुदान की मात्रा संबंधी पात्रता :-

12.मार्जिन मनी संबंधी अनुदान की गणना मशीन की बेसिक वैल्यू को ध्यान में रखकर की जायेगी इसमें वैल्यूऐशन के लिए टैक्स संबंधी हिस्सा शामिल नहीं होगा । दूसरे शब्दों में स्वदेशी मशीनों के लिए बेसिक मूल्य तथा आयातित मशीनरी के लिए सी आई एफ मूल्य को अनुदान की गणना के लिए ध्यान में लिया जाएगा ।

ऋणदाता संस्थान (एजेन्सी)

13.सभी नोडल बैंक, आई डी बी आई, एस आई डी बी फर्म एवं उनके योजना के अंतर्गत निधी देने के लिए सभी सहयोजित पी एल आईज सभी इस में शामिल हें ।

वित्तीय मानक :-

14. ऋणदाता एजेन्सी द्वारा प्रमोटर्स के 15 प्रतिशत अंशदान सुनिश्चित किया जायेंगे ।

15. वित्तीय मानक जो सेक्यूरीटी डेब्ट इक्वीटी रेशो पहले के वर्ष के लाभ की स्थिती नेटवर्थ इत्यादि ऋणदाता संस्थान के मोजूदा मानकों के अनुसार होंगे । यद्यपि वे प्रौउनियो से कठोर नहीं होंगें ।

अनुदान को जारी करने की क्रियाविधि :-

16.यह योजना वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा चलाई जायेगी ।

17.पात्र एस एस आई ईकाईयों उनके योजना के प्रस्ताव के साथ अवधि को ऋण हेतू ऋण प्रदाता संस्थान से सम्पर्क कर सकते हें । ऋण प्रदाता संस्थान को ऋण की मंजूरी के बाद विहित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सलाह देगे ।

18. एस एस आई उद्यमी उनके अनुदान माँग का दावा विहित प्रपत्र- एफ आर - 1 में करेंगे ।

19. एस एस आई उद्यमी उनके प्रमोटर का हिस्सा 15 प्रतिशत सीधे ही मशीनरी विनिर्माता को देंगे । जब मशीनरी देने के लिए तैयार हो तब ऋण प्रदाता संस्थान उनके ऋण, सीधे मशीनरी विनिर्माता को देंगे । ऐसे मामले जिसमें मशीनरी की लागत ऋण के 85% पूरी नहीं होती हो वहाँ शेष राशि की एस एस आई उद्यमी अपने निजी स्रोत से व्यवस्था करेंगे ।

20.मशीनरी विनिर्माता मशीनरी की लागत का 85 % प्राप्त होने पर मशीन संस्थापित तथा चालू करेगा । संतोष जनक तरीके से मशीन के संस्थापित तथा चालू होने पर एस एस आई उद्यमी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा ।

21.आयातित मशीनरी के मामले में एस एस आई उद्यमी मशीनरी लगने के बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे ।

22. वस्त्र आयुक्त क्षेत्रिय आधार पर जाँच दल गठित करेंगे जो मशिनोकी जाँच करके उसका चालू होना प्रमाणित करेंगे । यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रमाणपत्र जारी करने की समिति यह प्रमाणपत्र मशीनरी विनिर्माता से सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी किए जाए ।

23. 15 प्रतिशत अनुदान को जाँच दल के रिपोर्ट प्राप्ति के बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा इकाई के बैंक खाते में दे दी जाऐगी । वस्त्र आयुक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने के एक माह के भीतर 15 प्रतिशत अनुदान जारी किया जाए ।

24.प्रौउनियो से संबंधित आयातित मशीनरी खरीदने के मामले में एस एस आई उद्यमी को बैंक में एक एल सी खोलना पडेगा । ऐसे मामलो मे 15 प्रतिशत अनुदान की आयातित मशीनरी के संस्थापित एवं चालू होने की रिपोर्ट मिलते ही एस एस आई उद्यमी के खाते में जारी कर दी लाएगा।

25.यदि एस एस आई का उद्यमी ऋण प्रदाता संस्थान से दिए जाने वाले 15 % मार्जिन मनी अनुदान के लिऐ ब्रिज फायनेन्स प्राप्त करता हें तो वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा 15% अनुदान की राशी सीधे ही ऋण प्रदाता संस्थान के खाते में दी जाऐगी ।

26.मशीन की लागत का अग्रिम / टोकन का भूगतान युनिट द्वारा आवधिक ऋण की मंजूरी के तारीख के पहले किया जाएगा ।यद्यपि आवधिक ऋण के मंजूरी के दिन या उसके बाद खरीदी गई मशीनें प्रौउनियो के अन्तर्गत अन्य शर्तें एवं निबंधन पूरी करने पर पात्र होंगी।

दुरूपयोग से बचाव :-

27.मार्जिन मनी के अनुदान के दुरूपयोग को रोकने के लिए यह अनिवार्य होगा कि इकाई कम से कम अनुदान प्राप्ति के बाद 3 वर्ष तक कार्यरत रहे। इकाई के 3 वर्ष के कार्य के निगरानी के लिए ऋण प्रदाता संस्थान न्युनतम अदाएगी अवधि जिसमें मोरेटोरीयम अवधि सम्मिलित है को 3 वर्ष रखेंगे ।

28.अनुदान की मंजूरी के बाद ऋण प्रदाता संस्थान भारत सरकार के तरफ से एग्रीमेंट करेंगे । पात्र पी एल आय तथा एस एस आई इकाई द्वारा किए जाने वाले एग्रीमेंट का मसौदा परीशिष्ट दो पर दिया गया है।

29.वस्त्र आयुक्त, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करेंगे जो रैन्डम आधार पर संस्थापित / चालू मशिनरी की जॉच करेंगे ।

30. योजना की प्रगति पर नजर : टीएमसी इस योजना की प्रगति पर नजर रखेगी ।

शिकायत समिति

31. इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग उद्यमी द्वारा मशीनरी खरीदने के बाद की शिकायत पर विचार वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि एवं टीएमएमएआई एवं आईटीएमएमए के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुलग्नक –I

टेक्सटाइल युनिट क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 15% प्रौउनियो के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

दिनांक / /2011

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता पिन कोड़ सहित :
आयएफएसरी कोडः
एमआयसीआर कोडः
ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण खाता नं.:

अनु. क्र	पैन	डीआयसी आईइएम नंबर	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	खंड	परियोजना स्वीकृत का मूल्य	परियोजना के अंदर आने वाली मशीनें				एमएमएस 15% प्रोउनियो के अंतर्गत मंजूर की गई आवधिक ऋण की कुल राशि		एमएमएस 15% प्रोउनियो के अंतर्गत संवितरित की गई आवधिक ऋण की कुल राशि	
						प्रोउनियो के तहत आने वाली मशीनरी उसके मानकों सहित	स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता के मामले में नाम एवं पता	आयतित मशीनरी के मामले में आयत किये जाने वाले देश का नाम	मशीनरी का मूल्य (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)	दिनांक	राशि (रूपये)
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			फैक्टरी का पता पंजीकृत कार्यालय का पता										

प्रमोटर का योगदान : रूपये ---------------------------- (%)
संवितरित आवधिक ऋण रूपये --------------------- (%)
मशीन की कुल कीमंत रूपये ----------------------------

बैंक के माध्यम से आने वाले पुनर्गठित प्रोउनियो के अंतर्गत आने वाले यदि कोई दावे हों तो उसका विवरण:-----------------------

(शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील)
मैनेजर / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम --
पदनाम --
कोड --

(परिशिष्ट - II)

(करार, के रुप में मुद्रांकित किया जाए)

लघु वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए भूंगठित प्रौद्यागिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी (सीएलसीएस - टीयूएफएस) प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला करार .

यह करार ------स्थान ------------- पर -----दिनांक--------- वर्ष --------- इस दिन पर में मेसर्स-------- ------------,1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट तक सार्वजनिक / निजि लिमिटेड कंपनी / प्रोंप्राइटरी कन्सर्न तथा जिसका ----------------------
में पंजीकृत कार्यालय है तथा औद्योगिक कन्सर्न होने के नाते इसमें इसके पश्चात भाग एक के लाभार्थी (जिसकी अभिव्यक्ति उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशित शामिल इस स्कैंधन में संदर्भ के रुप अथवा विरुहन हो) उल्लेखित है ।

अथवा
भागीदारी फर्म के लिए

1. श्री ---------------------------- के पुत्र, आयु --------- वर्ष --------के निवासी.

2. श्री ---------------------------- के पुत्र, आयु --------- वर्ष --------के निवासी.

3. श्री ---------------------------- के पुत्र, आयु --------- वर्ष --------के निवासी.

भागीदार के रुप में फर्म ---------------------- में अभियान एवं से व्यवसाय कर रहे हैं तथा उनका कार्यालय ------------------------ में है भाग एक के (इसे इसमें इसे उसके पश्चात लाभार्थी, जिसकी अभिव्यक्ति इसके / उसके / उनके कानुनी प्रतिनिधियों वारिसो/, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों / एवं समुपुदेशित सहित जब तक उसके विषय तथ संदर्भ के विरुद्ध न हो) उल्लेख किय गया है ।

तथा

--------------------------,(इस में इसके पश्चात वित्तीय संस्थान / बैंक उल्लेख किया गया है) जब तक उसके संदर्भ तथा व्याख्या के विरुद्ध न हो इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं समुपदेशित शामिल है) अन्य भाग हैं ।

जबकि :-

1. भारत सरकार ने भारतीय लघु औद्योगिक इकाई विकास बैंक (सिडबी) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) (इसे इसमें इसके पश्चात योजना के रुप में उल्लिखित) वस्त्र एवं पटसन के लघु उद्योगों के लिये क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी के प्रचालन के लिये तथा वित्तीय संस्थान / बैंक को योजना के अंतर्गत मंजूर सवितरित अवधिक कर्ज पर पूंजीगत सहायता का अधिक लाभार्थियो द्वारा दावा करने में सहायता करने के लिए नोडल अभिकरण नोडल बैक (इसमें इसके पश्चात,एजेंट के रुप में उल्लखित) के रुप में नियुक्त किया है ।
2. लाभार्थी ने लघु उद्योगो के अंतर्गत प्रोजेक्ट संस्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थान / बैंक से योजना के अंतर्गत रु.--------------- (रुपये --------------------------)
की सहायता देने का अनुरोध किया, जिसपर वित्तीय संस्थान /बैंक ने उनके तथा लाभार्थी के बीच निष्पादित करार की शर्तो तथा निबंधनों के अनुसार लाभार्थी द्वारा प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत मशीनों की खरीद में किये गये अथवा किये जाने वाले पात्र निवेश के अनुपात में कर्ज देने को मान्यता दी है।
3. एजेन्ट ने वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा लाभार्थी को मंजूर पूंजी सहायता के संवितरण में सहायता हेंतु भारत सरकार के लिये नोडल अभिकरण के रुप में काम करने को सहमति प्रदान की है, तथा उक्त उददेश्य के लिये पार्टिया निम्नलिखित विलेंख में दी गई शर्तो के अनुसार करार करने को सहमत हैं ।

मौजूदा विलेख साक्ष्य तथा एतद द्वारा दोनों पार्टीयों द्वारा उनके बीच मान्य की जाने वाली सहमति निम्नानुसार है :-

1. लाभार्थी एतदद्वारा प्रतिज्ञा करता है :-
(क) लाभार्थी उक्त योजना के सभी शर्तो एवं निबंधनों एवं उसके साथ अनुवर्ती सुधारों / आशोंधनों तथा उनकी बढोत्तरी का और उक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी की शर्तो का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तथा उन्हें पूरा करेगा।

(ख) लाभार्थी एजेन्ट और / भारत सरकार अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें एजेन्ट या भारत सरकार अथवा प्रौद्योगिकी सलाहकार - सह देखरेख समति (टी.ए.एम.सी.) /अंतर मंत्रालयीन संचालन समीति (अ.म.स.स.) द्वारा प्राधिकृत को उस कार्य को जिस कार्य के लिये पूंजीगत आर्थिक सहायता मंजूर की गई है तथा मशीनें,संयन्त्र, यन्त्र, औजार, उपकरण जिन्हें खरीदने के लिये सहायता मंजूर की गई है अथवा पूंजीगत आर्थिक जो मशीन एवं उपक्रम से संबंधित जानकारी एजेंट अथवा टी.ए.एम.सी. / अ.म.स.स. को अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को समय – समय पर देता रहेगा।

(ग) लाभार्थी एजेंट की लिखित रुप में पूर्व अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई का स्थान संपूर्णत : या अंशतः नही बदलेगा, व जो किसी के साथ भागीदारी करेगा अथवा इसका ढांचा ,विलयन एकाकीकरण या किसी भी प्रकार से नही बदलेगा और न ही फिक्स्ड पूंजी निवेश को एजेन्ट द्वारा दी गई पूर्व लिखित अनुमति के बिना समाप्त करेगा।

2. इसके अतिरिक्त एतदद्वारा पार्टियों द्वारा तथा उनके मध्य मान्य तथा घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित मे से कोई मामला, यथा

(क) जहॉ लाभार्थी द्वारा आवश्यक तत्व के गलत प्रस्तुतीकरण से या गलत जानकारी देकर, अथवा, जहाँ औद्योगिक इकाई पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण के तीन वर्ष के भीतर बंद हो जाती है शिवाए ऐसे मामले जहाँ इकाई अल्पावधि अधिकतम तीन माह तक बिना उत्पादन के रहती है (सिर्फ जीनिंग एवं प्रोसिंग फैक्टरी के मामले में छः माह तक और वस्त्र उद्याग की अन्य किसी गतिविधि को नहीं) ऐसी स्थितियों में जो उसके नियंत्रण फेंबाध्द हो जैसे कच्चे माल अनुपलबध्वता विद्युत इत्यादि अथवा

(ख) यदि इकाई का उत्पादन पूंजी सहायता वितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर बंद हो जाता है, ऐसे मामलों को छोडकर , जहॉ इकाई का उत्पादन उसके नियत्रंण से परे कारणों , जैसे , कच्चे माल / उर्जा की कमी आदि के कारण तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये बंद हो

(ग) जहॉ लाभार्थी ऊपर उल्लिखित निर्धारित विवरणी या मॉगी गई जानकारी नहीं दे पाता।

यदि लाभार्थी इसमे निहित प्रतिज्ञाओं या योजना के समय - समय पर आशोधित शर्तो एवं निबंधनों में से किसीएक का भी उल्लंघन करता है तो लाभार्थी उक्त वित्तीय संस्थान /बैंक के विद्यमान सर्वोच्च ऋण दर पर ब्याज के साथ वित्तीय संस्थान / बैंक को सहायता राशि को लौटायेगा। लाभार्थी को दी गई पूंजी सहायता वसूल करने के लिये बैंक /वि.सं. आवश्यक सभी कदम उठायेगी , क्योकि इसका प्रावधान एजेन्ट द्वारा किया गया है तथा
वसूली के लिए बैंक / वि.सं. को आया हुआ सारा खर्च भी लाभार्थी से वसूल किया जा सकेगा। इस तरह वसूल की गई ब्याज सहित पूंजीगत सहायता सरकार को अंतरित की जायेगी।

3. योजनो के अंतर्गत इकाई /ऋण प्राप्त कर्ता की पात्रता, इकाई को अन्य कोई सहायता के संदर्भ में एजेन्ट अथवा टी.ए.एम.सी. /अ.म.स.स. की व्याख्या / स्पष्टीकरण / निर्णय, वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा ऋण सुविधा देने से पहले या बाद में लाभार्थी पर बाध्य होगी तथा लाभार्थी एजेन्ट अथवा बैंक / वित्तीय संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठायेगा।

4. एतद द्वारा यह मान्य तथा घोषित किया जाता है कि इस विलेख पर लगने वाली प्रभार्य स्टैम्प डयूटी लाभार्थी द्वारा दिया तथा वहन किया जायेगा तथा लाभार्थी इस विलेख की शर्तो एवं निबंधनों को लागू करने में हुआ खर्च, आदि कोई हो, वहन करने के लिये उत्तरदायी है।

5. जिनके साक्ष्य में लाभार्थी ने अपना सामान्य सील इस में एवं इसकी दूसरी प्रति में इसमें पहले लिखे गये दिन, माह तथा वर्ष पर जोडा जाता है तथा बैंक ने यह विलेख तथा उक्त , दूसरी प्रति श्री ------------------------------ (नाम एवं पदनाम) के हाथों से निम्नानुसार निष्पादित करने के लिये पहुचायी है ।

-------------------- लि. का सामान्य सील इस के निदेशक मंडल के अनुसरुप में दिनांक को श्री ------------------------------ तथा श्री --------------
श्री -------------------- निदेशक , जिन्होंने उनके प्रमाण के रुप में इस विलेख में हस्ताक्षर किये हैं तथा श्री ----------------------- सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति, जिसने उनके प्रमाण में उक्त पर हस्ताक्षर किये हैं, की उपस्थिति मे उनके पक्ष में पारित संकल्प के अनुसार है ।

श्री -------------------- (नाम एवं पदनाम)बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी के हाथों से बैंक के नाम से हस्ताक्षरित तथा वितरित किया गया ।

Page no.122

अथवा

इसके साक्ष्य स्वरुप लाभार्थी के भागीदारों में इस पर तथा इसके डुप्लीकेट पर इसके वाले पैरा में लिखीत तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है । और बैंक ने उक्त डुप्लीकेट को श्री ....(नाम एवं पदनाम) द्वारा निष्पादित करवाया हैं जिसे इसमेंआगे दिया गया हैं । ....

1. श्री ---------------------------- के नाम से, ------------------- नाम के भागीदारी फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिया गया ।

2. ---,, ----------------------------
हस्ताक्षर किया गया तथा श्री .... द्वारा दिया गया ।
श्री .... के हाथों प्राप्त ।

मंडल के संकल्प के अनुसरण में दिनांक .... को श्री ....के हाथों से हस्ताक्षरित कर कॉमन शील सहित श्री ....
की उपस्थिति में दिया गया उन्होंने यह हस्ताक्षर प्रमाण स्वसरुप किए है
श्री ....
द्वारा हस्ताक्षरित कर से एफ.आई./ एन.एस.आई.सी. /बैंक /एस.एफ.सी. के प्राधिकृत कर्मचारी को (जो कोई लागू से) दिया गया ।
टिप्पणी :- लाभार्थी की ओर से किसी व्यक्ति को दस्तावेज निष्पादित करने का प्राधिकार देने वाला कागजात बोर्ड के संकल्प करार के साथ जमा किया जाये ।

अनुलग्नक - एफ

<u>प्रोसेसिंग, बिल्कुल नये शटलरहित करघों, गार्मेन्टस एवं टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के लिए प्रौउनियों के तहत @ 10 % पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए प्रचालन संबंधी दिशा निदेर्श ।</u>

1. 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता का प्रोत्साहन, गार्मेटिंग, टेक्नीकल टेक्सटाइल्स, बिल्कुल नये शटलरहित करघों एवं विशिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी को दिया गया है।

<u>योजना की अवधि</u>

2. पुनर्गठित प्रौउनियो के अन्तर्गत @ 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता पुनर्गठित प्रौउनियो के संकल्प के दिन से 31 मार्च 2012 तक लागू रहेगी।

<u>पात्रता</u>

3. 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता उन्हीं परियोजनाओं के लिए लागू होगी जहाँ नोड़ल अभिकरणों नोड़ल बैंकों / सहयोजित पी एल आईज द्वारा आवधिक ऋण किया गया हो।

4. प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सभी वस्त्र गार्मेन्ट एवं जूट की ऐसी इकाइयों के लिए दिया जायेगा जो पुनर्गठित प्रौउनियों के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं।

5. गार्मेटिंग मशीनरी के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता ऐसे गार्मेन्ट इकाइयों को मिलेगा जो पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं।

6. शटलरहित बिल्कुल नये करघों के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सभी वस्त्र गार्मेन्ट एवं जूट की ऐसी इकाइयों [illegible] मिल सकेगा जो पुनर्गठित प्रौउनियो के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं।

7. टेक्नीकल टेक्सटाइल की मशीनरी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता केवल टेक्नीकल टेक्सटाइल इकाईयों [illegible] मिलेगा। क्योंकि टेक्नीकल टेक्सटाइल की कुछ मशीनरी टेक्नीकल टेक्सटाइल इकाईयों में समान (कॉमन) [illegible] अतः 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति के लिए इच्छुक इकाईयाँ को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति से पूर्व एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।

<u>सहायता की मात्रा</u>

8. 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता विशिष्ट मशीनरी को मिलेगी और इसकी गणना मशीनरी के बेसिक मूल्य पर की जायेगी और मान संबंधी गणना के लिए टैक्स के हिस्से को छोड़ दिया जायेगा। दूसरे शब्दों मे स्वदेशी मशीनरी के मामले में बेसिक मूल्य तथा आयतित मशीनरी के मामले में सी आई एफ मूल्य को पूंजीगत सहायता की गणना के लिए पकड़ा जायेगा।

9. 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता सम्पूर्ण परियोजनाओं की लागत पर न होकर विशिष्ट मशीनरी की लागत पर होगी। तक के सुसंगत निवेश वाली सम्पूर्ण परियोजना के साथ विशिष्ट मशीनरी पहले की ही तरह 5 प्रतिशत ब्याज प्रोत्साहन प्राप्त करते रहेगी।

<u>पूंजीगत आर्थिक सहायता का जारी करना</u>

10. ऋणदाता संस्थान द्वारा विशिष्ट मशीनरी के लिए आवधिक ऋण के संवितरण के समय पूंजीगत आर्थिक सहायता दी जायेगी।

11. पूंजीगत आर्थिक सहायता को प्रमोटर के हिस्से के रुप में भी समायोजित किया जा सकता है ।

000

प्रपत्र - टी एफ आर -I

टेक्नीकल टेक्सटाईल इकाईयों के लिए पुनर्गठित प्रौउनियों के तहत 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

1.	इकाई का नाम एवं पूरा पत्ता	
	प्रबंध निदेशक का नाम	
	टेलिफोन संख्या :	
	फैक्स नं.	
	ई-मेल का पताः	
	वेबसाइट का पता :	
2.	क्या लघु औद्योगिक / गैर लघु औद्योगिक	
3.	उत्पादित उत्पाद का विवरण	
4.	उत्पाद के आखिरी कार्यरत रहने की तिथि	
5.	मौजूदा मुख्य मशीनरी का विवरण	
6.	ऋणदाता संस्थान का नाम, पता टेलिफोन संख्या तथा ई-मेल सहित	

7. टेक्नीकल टेक्सटाईल के लिए 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता के अंतर्गत संस्थापन हेतु प्रस्तावित किए जाने वाली मशीनरी का विवरण

क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	आयतित /स्वदेशी	मशीनों की संख्या	जी आर के परिशिष्ट –के का क्रम संख्या	सभी प्रकार के करों को छोड़कर बैसिक मूल्य

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक - एफ आर -।

पुनर्गठित प्रौउनियों के अंतर्गत इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति का दावा करने संबंधी आवेदन का फार्म

एम एम एस @ 15% - प्रौउनियो :

एम एम एस @ 30% - प्रौउनियो :

(जो लागू हो उस पर टीक करें)

1.	निरीक्षण किए जाने वाली फैक्टरी का का नाम एवं पत्ता पिन कोड सहित तालुका / तहसिल / मंडल : जिला : राज्य : पिन कोड :	
	टेलिफोन / मोबाईल नम्बर	
	फैक्स नं.	
	ई-मेल का पता :	
	इकाई का पेन नम्बर	
	संपर्क किये जाने व्यक्ति का नाम एवं फोन नम्बर	
2.	(ए) लघु औद्योगिक इकाई पंजीकरण /ई.एम.नम्बरएवं दिनांक (बी) पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी	
3.	क्या मौजूदा है अथवा नई इकाई है ।	
4.	परियोजना लागत का ब्यौरा (ए) जमीन (बी) बिल्डिंग (सी) प्लांट एवं मशीनरी (डी) अन्य (ई) कुल (एफ) यदि बिल्डिंग लीज पर हो तो पंजीकृत लीज /किराया एग्रीमेंट संलग्न करें ।	
5.	(ए) फर्म का स्वरुप	मालिकाना /भागीदारी /प्राइव्हेट लिमिटेड/ कॉ.ऑपरेटिव
	(बी) मालिक / भागीदारों /प्रबंध निदेशकों के नाम (पार्टनरशिप डीड /एम ओ यू –एम ओ ए जैसा मामला हो संलग्न करें)	
6.	ऋणदाता संस्थान का नाम एवं पता (पिन कोड सहित)ब्रांच एवं फोन नम्बर सहित	
	आवधिक ऋण खाता संख्या	
	चालू खाता संख्या	
	ऋण मंजूरी की राशि एवं तारीख (ऋण मंजूरी पत्र की प्रति संलग्न करें ।)	
	ऋण संवितरण की राशि एवं तिथि	
7.	मांगी गई मशीन एवं उनका विवरण	

दिनांक:
स्थान :

मालिक /प्रबंध निदेशक इत्यादि
के हस्ताक्षर एवं इकाई शील

अनुलग्नक -जी

ब्रान्ड न्यू शटललेस लूम्स हेतु टी.यू.एफ.एस के अन्तर्गत @ 15% सहायिकी पूंजी के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश

1. विनिर्दिष्ट वीविंग मशीनरी अर्थात ब्रान्ड न्यू शटललेस लूम्स हेतु 6% सहायिकी ब्याज जोड़कर 15% सहायिकी पूंजी का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है।

योजना की अवधि

2. टी.यू.एफ.एस के अधीन @ 15% सहायिकी पूंजी का प्रचालन आर.आर. टी.यू.एफ.एस सहित सह-अन्त होगा.

पात्रता

3. 15% की सहायिकी पूंजी केवल ऐसी परियोजनाओं को दी जाएगी जिनको नोडल एजेंसिस, नोडल बैंक, कॉ आपटेड पी.एल.आई द्वारा मियादी कर्ज की मंजूरी दी गई हो।

4. ब्रान्ड न्यू शटल लेस करघों पर सहायिकी पूंजी टी.यू.एफ.एस के अन्तर्गत कर्ज हेतु सभी पात्र वस्त्र इकाईयों को दी जाएगी।

सहायता की मात्रा

5.मूल्यांकन का उद्वेश्य शुल्क घटकों को छोड़कर15% की सहायता पूंजी ब्रान्ड न्यू शटललेस लूम्स पर उपलब्ध होगी तथा मशीन का मूल्य निर्धारण मूल पर ही होगा। दूसरे शब्दों में, देशी और आयातित मशीनरी की कीमत सी.आई.एफ कीमत सहायता से बाहर मानी जाएगी।

6. 15% की सहायता पूंजी विनिर्दिष्ट मशीनरी को छोड़कर संपूर्ण परियोजना के लिए नही होगी। संपूर्ण परियोजना सम्मिलित विनिर्दिष्ट मशीनरी टी.यू.एफ के अनुरुप निवेश करने पर 6% की ब्याज हेतु पात्र होने पर जारी रहेगी।

सहायिकी पूंजी का लोकार्पण

7.सहायिकी पूंजी विनिर्दिष्ट मशीनरी हेतु मियादी कर्ज के संवितरण के समय लेन्डिग एजेंसिस द्वारा दी जाएगी।

8. प्रवर्तक की भागीदारी के विरुद्व भी सहायिकी पूंजी का समायोजन किया जा सकता है।

9. सहायिकी पूंजी के दुरुपयोग को रोकने हेतु, यह अपेक्षित है कि इकाई सहायिकी संवितरण तिथि से निम्नतम 3 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम कार्य किया जाए।

अनुलग्नक – एफ आर- 2

प्रोउनियो के अंतर्गत एकमात्र आईडी संख्या प्राप्त करने हेतु ऋणद अभिकरणों द्वारा आवेदन करने हेतु ऑन-लाईन आवेदन हेतु प्रपत्र

ऋण अभिकरण का नाम :

पैन	आयइएम / डीसी (एसएस आ) संख्या	इसीएन (सहयेजित पीएलआय के मामले में)	इकाई का नाम एवं पता	एसएस एमई/ नॉन एसएस एमई	विद्यमान /नई इकाई	खंड	के लिए प्रोउनिया लाभ प्राप्त करना चाहते है	स्वीकृत परियोजना लागत (रू.)	सांवधि ऋण स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत सावधि ऋण	प्रोउनियो के अंतर्गत पात्र सावधि ऋण	ऋणस्थगन/ कार्यान्वयन सहित पुनर्भुगतान अवधि				तारीख वार संवितरण पॅटर्न	सात वर्ष की अवधि अथवा वारतविक अवधि,जो भी कम हो ,के लिए तिमाही वार सब्सिडी (तिमाही की विशिष्ट तिथि के साथ)
												ऋणस्थगन/ कार्यान्वयन		पुनर्भुगतान अवधि			
												से	तक	से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

- कृपया चुनाव किए गए प्रौउनियो लाभ उल्लेख करें, यथा, 2% आईआर 5% आई आर अथवा 5% आई आर अधिक10%/15% पूंजी सहायता अथवा 2% / 5%/6% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अथवा 5%/6% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अधिक 10%/15% पूंजी सहायता अथवा 8% एमएसएस / 15% एमएसएस अथवा 30% एमएसएस अथवा 30% पूंजी सहायता

टिप्पणी : 1.साझेदारी मामले में (वित्तीय सहायता) ऋणद अभिकरण द्वारा परियोजना लागत दर्शायी जाए, को दुबारा गिनती को टालने हेतु इकाई को ऋण की अधिकतम राशि स्वीकृत की गई है। तथापि ऋणद अभिकरण द्वारा स्वीकृत की गई राशि तथा वितरित की गई राशि दर्शाए जाए।

3. केवल आईडी संख्या प्राप्त करने की तिथि के बाद की तिमाही की समाप्ति तक सब्सिडी दावा वैध रखने की वरीयता का अधिकार

खंड

1. कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग
2. रेशम क्षेत्र (यथा रिलिंग, ट्विस्टींग ,कताई एवं बुनाई)
3. ऊन क्षेत्र(स्काऊरिंग ,कॉम्बिंग, कताई,(वर्स्टेड ,शॉडी एवं वूलन) तथा बुनाई)
4. सिथेटिंक फिलामेंट यार्न टेक्सचरायझिंग क्रिम्पिंग एवं ट्विस्टींग
5. स्टॅण्ड अलोन स्पीनिंग
6. मैचिंग डाऊनस्ट्रीम क्षमता के साथ कताई
7. विस्कोज फिलामेंट यार्न /विस्कोज स्टेपल फायबर का विनिर्माण
8. स्वतंत्र बुनाई तैयारियां
9. बुनाई
10. निटिंग
11. नॉन वूवन तथा नॉन वूवन का कनवर्टर
12. स्टॅड अलोन आधार पर एम्ब्रायडरी
13. तकनीकी वस्त्र
14. गारमेंट विनिर्माण
15. मेडअप विनिर्माण
16. फायबर, यार्न फेब्रिक , गारमेंट तथा मेडअप की प्रक्रिया
17. पटसन उद्योग
18. कारपेट विनिर्माण
19. हथकरघा बुनाई
20. संयुक्त उन्नयन (कताई,बुनाई/निटिंग एवं प्रोसेसिंग में उन्नयन हेतु जानेवाली इकाइयां)
21. बहु गतिविधियां (उपरोक्त उल्लिखित संयुक्त उन्नयन के बिना दो या उससे अधिक गतिविधियों के साथ इकाइयां)। बहु गतिविधियों के मामलें में गतिविधियों के नामों का उल्लेख किया जाए।

परिशिष्ट एफ.आर - 2 का पूरक (मशीनों का विवरण)

क्र.सं.	मशीन का नाम	यूनिट	क्षमता		कार्यान्वयन उपरान्त कुल क्षमता
			मौजूदा	प्रस्तावित	
	फाइबर संसाधन मशीने				
	कॉटन जिनिंग मशीन	संख्या			
	प्रैसिंग मशीन	संख्या			
	विजकोसफाइबर /विनिर्मित यार्न	मि.किग्रा			
	वूल स्कारिंग तथा कॉमबिंग	मि.किग्रा			
	सिल्क रीलिंग मशीनें	संख्याएं			
	स्पीनिंग मशीनें				
	स्पांडलेस	संख्या			
	रोटोर्स	संख्या			
	वीविंग मशीनें				
	हैंडलूम	संख्या			
	ऑटो शटल लूम	संख्या			
	ब्रान्ड न्यू शटल लेस लूम	संख्या			
	सैकेण्ड हैंड शटल लेस लूम	संख्या			
	नीटिंग मशीन				
	सरक्युलर	संख्या			
	फ्लैट	संख्या			
	रेप	संख्या			
	संसाधन मशीनें				
	i) डायिंग				
	फाइबर	किग्रा			
	यार्न	किग्रा			
	फैब्रिक्स	मिट्रिक			
	ii) प्रिन्टिग				
	रोटररी प्रिन्टिग	मि.मिट्रिक			
	फ्लैटबेड प्रिन्टिग	मि.मिट्रिक			
	स्टीचिंग मशीन				
	गारमेंन्टिग	संख्या			
	मेड-अप	संख्या			
	टेकनिकल टेक्सटाइल				
	नन वोवेन टेकनिकल टेक्सटाइल	मि.मिट्रिक			
	वोवेन टेकनिकल टेक्सटाइल	मि.मिट्रिक			
	अन्य				
	एमब्रोइड्री	संख्या			
	टेक्सयुराइजिंग	संख्या			
	टवीस्टिंग	संख्या			
	टेस्टींग उपकरण	संख्या			
	उपकरण नियंत्रण पद्वति	संख्या			
	जूट संसाधन क्षमता	मि. किग्रा			

अनुलग्नक -एच

सहयोजित राज्य वित्तीय निगमों / राज्य औद्योगिक विकास निगमों / द्विन फंक्शन औद्योगिक विकास निगमों, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, सहयोजित बैंकों/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सूची

1. **अनुसूचित व्यापारिक बैंक**

ए. **आई डी बी आय तथा एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**

1.. बैंक ऑफ अमेरिका

2. बैंक ऑफ नोवा स्कोटीया

3. बैंक नॅशनल डे पॅरीस (फ्रेंच बैंक)

4. सीटी बैंक

5. डेयुस्चड बैंक

6. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (ए बी एन एमरो बैंक एन.वी.)

7. स्टॅन्डर्ड चार्टड बैंक

8. एच डी एफ सी बैंक

9. हॉग – काँग बैंक एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन

बी **केवल बाय एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**

10. एलेजेमेने बैंक नैदरलैंड एन.वी.

11. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनॅशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन

12. बैंक ऑफ बैहरीन एण्ड कुवैट बी. एस. सी.

13. बैंक ऑफ टोकियो लिमिटेड

14. बैंक इंडोसूझ

15. बरेली कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड

16. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड

17. ब्रिटीश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट

18. क्रेडीट लॉयन्नीस

19. डेव्हलपमेंट क्रेडीट बैंक लिमिटेड बॉम्बे

20. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

21. ड्रेरेस्डर्न बैंक एजी.

22. इमीरॅटस कॅमिर्शियल बैंक लिमिटेड (आबु दाभी कॅमिर्शियल बैंक)

23. ग्रिंडलैज बैंक

24. मितसुई बैंक लिमिटेड
25. नैनीताल बैंक लिमिटेड
26. नेदुनगडी बैंक लिमिटेड
27. ओमन इंटरनॅशनल बैंक एस.ए.ओ.
28. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
29. सांगली बैंक लिमिटेड
30. सनवा बैंक लिमिटेड नई दिल्ली
31. सोसीइट जनरेट पॅरीस (फ्रांस)
32. टाइम्स बैंक

सी. केवल आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

33. येस बैंक लिमिटेड
34. कोटक महिन्द्रा बैंक

II कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक्स

ए आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

35. द ग्रेटर बॉम्बे कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
36. द सोलापुर जिला सेन्ट्रल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
37. द जलगांव पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
38. प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी पतपेढ़ी

बी. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

39. बॉम्बे मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, मुंबई
40. डोंबीवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
41. द कॉसमॉस कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
42. जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
43. सूरत पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत
44. द न्यू इंडिया कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
45. द सारस्वत कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
46. द शामराव विठ्ठल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
47. द सूरत जिला कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
48. द सुटेक्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत

49. महाराष्ट्र स्टेट कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, मुंबई

50. सर्वोदया सहकारी बैंक लिमिटेड

51. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड

52. अभ्युदय कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

53. प्राईम कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

54. श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड

55. सूरत नॅशनल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

56. द कुर्ला नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड

57. द झोरास्ट्रियन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

58. द शिरपुर पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

59. द धुले विकास सहकारी बैंक लिमिटेड

60. द जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड,

61. व्यापरी सहकारी बैंक लिमिटेड

सी. एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

62. अपना सहकारी बैंक लिमिटेड

63. गुजरात इंडस्ट्रियल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत

64. इचलकंरजी जनता सहकारी बैंक

65. जनता कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक, मालेगांव, महाराष्ट्र

66. कालूपूर कमिर्शियल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद

67. राजकोट नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड

68. श्री वीरशैव कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

69. टेक्सटाईल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक, बैंगलोर, कर्नाटका

70. द कपोल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

71. द नाशिक मर्चंन्टस कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक(एन ए एम सी ओ बैंक)

72. द पंचशील मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

73. विटा मर्चन्टस कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

74. द सूरत नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड

75. द नव-जीवन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

76. द सूरत मर्कन्टाईल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

77. श्री पार्श्वनाथ कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

78. द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड

79. जैन सहकारी बैंक लिमिटेड

80. भारत कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक (मुंबई) लिमिटेड

81. इचलकरंजी अरबन कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

82. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड

83. द वरच्छा कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

84. मेहसाणा कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

85. चौंदेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड

86. नूतन नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड

87. द उधना सीटीजन कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

III. **अन्य वित्तीय निगम (एस एफ सी एस)**

ए. **आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**

88. आसाम फायनान्शियल कारपोरेशन

89. बिहार फायनान्शियल कारपोरेशन

90. दिल्ली फायनान्शियल कारपोरेशन

91. गुजरात स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन

92. हिमाचल प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन

93. जम्मू एण्ड कश्मिर स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन

94. कर्नाटका स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन

95. केरला फायनान्शियल कारपोरेशन

96. मध्य – प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन

97. उडीसा स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन

98. पंजाब फायनान्शियल कारपोरेशन

99. राजस्थान फायनान्शियल कारपोरेशन

100. तामिलनाडु इंडिस्ट्रयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

101. उत्तर प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन

102. वेस्ट बंगाल फायनान्शियल कारपोरेशन

बी. **आय डी बी आय,एस आय डी बी आय एण्ड आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित**

103. आन्ध्र प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन

104. हरियाणा स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन

105. महाराष्ट्र स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन

IV. स्टेट इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन एस आय डी सी एस) ए. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

106. आन्ध्र प्रदेश इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

107. बिहार प्रदेश क्रेडीट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

108. गुजरात इंडिस्ट्रयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

109. हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

110. इंडिस्ट्रयल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उडीसा लिमिटेड

111. जम्मू एण्ड कश्मिर स्टेट इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

112. कर्नाटका स्टेट इंडिस्ट्रयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

113. केरला स्टेट इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

114. मध्य – प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

115. प्रदेश्य इंडिस्ट्रयल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

116. पंजाब स्टेट इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

117. राजस्थान स्टेट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

118. स्टेट इंडिस्ट्रयल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड

119. स्टेट इंडिस्ट्रीस प्रमोशन कारपोरेशन ऑफ तामिलनाडु लिमिटेड

120. वेस्ट बंगाल इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

बी. आय डी बी आय, एस आय डी बी आय एवं आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित

121. आसाम इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

122. हरियाणा स्टेट इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

V. टिवीन फंक्शन इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन

ए. आय डी बी आय, एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

123. अंदमान एण्ड निकोबार इजलैंड इंटरगेटेड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

124. अरुणाचल प्रदेश इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट एण्ड फायनान्शियल कारपोरेशन लिमिटेड

125. इकोनौमिक डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ऑफ गोवा दमन एण्ड दिव लिमिटेड

126. मणिपुर इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

127. मेघालय इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

128. मिझोरम इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

129. नागालैंड इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

130. ओमनीबस इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दिऊ एण्ड दादरा एण्ड नगर हवेली लिमिटेड (ओ एच डी सी)

131. पौडेचेरी इंडिस्ट्रयल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

132. सिक्किम इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

133. तिरुपुर इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

बी. केवल आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित (जूट इंडस्ट्रीस के लिए)

134. नार्थ ईर्स्टन डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

VI. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

बी. केवल आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

135. भारतीय जीवन बीमा निगम

सी. आय डी बी आय एवं आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित

136. इंडिस्ट्रयल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया

VII. अन्य

ए. एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

137. नॅशनल स्मॉल इंडिस्ट्रीस कारपोरेशन लिमिटेड

बी. आय डी बी आय द्वारा सहयोजित

138. इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (आय आर ई डी ए)

अनुलग्नक - आई

पी एल आईस द्वारा नोडल एजेन्सी को बैंक के लेटर हेड पर दिए जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

हम (ऋणदाता संस्थान) ऐतद्द्वारा प्रमाणित करते हें कि रुपये ---------------- का दावा नीचे दी गई अवधि हेतु सही है और यह सत्यापित करते हैं कि हमारे द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान का दावा नहीं किया गया है। माँग की गई अनुदान की राशि समय - समय पर संशोधित प्रौउनियो के अन्तर्गत जारी दिशा -निर्देशों / उपबंधों के पूर्णतः अनुपालन में हैं, इसके अतिरिक्त इन दावों में ब्लैक लिस्टेड इकाईयों / कम्पनियों के अनुदान सम्बन्धी दावे सम्मिलित नहीं हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक प्रौउनियो अनुदान के दावे के लिए भ्रष्ट गतिविधियों / अनुचित व्यवहार में लिप्त नहीं है।

2. हम प्रौउनियो की ब्याज प्रतिपूर्ति एवं कैपिटल सबसिडी हेतु हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष -------- के लिए जारी मंजूरी पत्र में दी गई शर्तो को स्वीकार करते हैं। हम नोडल एजेन्सी को प्रधिकृत करते हैं कि वे प्रौउनियों वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार की ब्याज प्रतिपूर्ति / कैपिटल सबसिडी के लिए प्री - रिसीप्ट जारी करें।

ऋणदाता संस्थान का नाम	दावे की अवधि	दावे की राशि

3. हम (ऋणदाता संस्थान) ने उपरोक्त जानकारी देने में यथोचित परिश्रम किया है और प्रमाणित करते हैं कि यह सत्य है। हम किसी भी ब्याज प्रतिपूर्ति की गलत गणना अथवा उपरोक्त जानकारी देने में हुई किसी चूक/ गलत बयानी की जबाबदारी लेते हैं।

4. हमें पता है कि शुद्धता प्रमाण पत्र (करेक्टनेश सर्टीफिकेट) नोडल एजेन्सी द्वारा वस्त्र आयुक्त को हमारे प्रमाणन पर पूर्णतः भरोसा करके जारी किया जायेगा। अतः हम नोडल एजेन्सी एवं उनके अधिकारियों, डायरेक्टरों एवं कर्मचारियों की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु बीमा करने को तैयार हैं जो इस प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के छद्म, लापरवाही या कमी या गलत गणना वाले उक्त एक या सभी कार्यो, दावों, लागतों, नुकसानदेही, हानि से होगी।

स्थान (प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक नाम :------------------------

पदनामः-----------------

बैंक की सील

अनुलग्नक -जे

बैंक के लेटर हेड पर वस्त्र आयुक्तकार्याला को नोडल अभिकरण द्वारा तैयार किया गया प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित अवधि लिये रु. -------------------(रुपये ----------------------) का दावा नियमानुकूल है और यह सत्यापित किया जाता है कि कोई अतिरिक्त अनुदान का दावा संबंधित ऋणद प्राधिकरणों /नोडल अभिकरण द्वारा सहयोजित ऋण संस्थानों द्वारा नहीं किया गया है । समेकित दावा की राशि में नोडल अभिकरण का दावा तथा नोडल अभिकरण के निम्नलिखित प्राथमिक ऋणद संस्थान (पीएलआई) का दावा शामिल है । यह प्रमाणपत्र स्वतंत्र प्राथमिक ऋणद संस्थानों (पीएलआई) द्वारा किये गये प्रमाणन के आधार पर जारी किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इन दावों में काली सूची में डाली गई इकाइयां / कंपनियां सम्मिलित नहीं है ।

अनुक्रमांक	ऋण्द अभिकरण का नाम	दावे की अवधि	दावे की राशि

स्थान

दिनांक

(प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम :------------------------

पदनाम:-----------------

000